



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



झारखण्ड सरकार

**स्थानीय निकायों पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
भाग-क		
अध्याय I		
पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दों का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
पंचायती राज संस्थानों का संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली	1.3	3
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	5
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	6
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	1.6	11
सामाजिक अंकेक्षण	1.7	12
उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण	1.8	12
वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दे	1.9	13
संक्षिप्त आकस्मिक (एसी)/विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र	1.10	20
अध्याय II		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज विभाग		
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की उपयोगिता का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1	21
'पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत/परिवर्तन/साज-सज्जा' का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	2.2	59
भाग-ख		
अध्याय III		
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दों का विहंगावलोकन		
परिचय	3.1	75
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.2	76
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	3.3	76
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.4	78
विभिन्न समितियों का गठन	3.5	82
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.6	84
लेखापरीक्षा अवलोकनों पर प्रतिक्रिया	3.7	85
लोकपाल	3.8	86
उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण	3.9	87
श.स्था.नि. की आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	3.10	88
वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दे	3.11	88
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ	3.12	92
चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान की कम प्राप्ति	3.13	94
संक्षिप्त आकस्मिक (एसी)/विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र	3.14	95

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3.1	97
1.2	पं.रा.सं. के प्राधिकारियों को सौंपे गये कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3.1	98
1.3	सरकारी विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विवरणी	1.3.3	99
1.4	नमूना-जाँचित जिला परिषदों में स्वीकृत बल की तुलना में कार्यरत बल को दर्शाने वाली विवरणी	1.3.4	102
1.5	जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की शक्तियों और कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	1.4	103
1.6	निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) निर्गत करने में विलंब	1.5.1.1	105
1.7	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विवरणी	1.8	108
1.8	बुनियादी अभिलेखों के संधारण में विफलता	1.9.3	109
2.1.1	लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की सूची	2.1.4	113
2.1.2	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति	2.1.7	114
2.1.3	लोहरदगा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी अनुदान की अधिक और कम राशि की विमुक्ति	2.1.9.1	119
2.1.4	राज्य सरकार द्वारा अनुदान के विलंब से हस्तांतरण के लिए ग्राम पंचायतों को भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि	2.1.9.4	120
2.1.5	नव गठित या मौजूदा शहरी स्थानीय निकाय में विलय के बाद शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान	2.1.9.5	122
2.1.6	संचालन-रखरखाव और पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	2.1.9.6	125
2.1.7	अस्वीकार्य सामग्रियों/वस्तुओं पर किये गये व्यय	2.1.9.6	126
2.1.8	क्रय समिति के गठन के बिना वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय	2.1.9.6 (ii)	129
2.1.9	ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के हस्तांतरण एवं भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने में राज्य सरकार द्वारा विलंब	2.1.10	132
2.1.10	प्रशासनिक स्वीकृति में विलंब (तकनीकी स्वीकृति की तिथि से)	2.1.13.2 (i)	133
2.1.11	लाभुक समितियों को पन्द्रह हजार रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान	2.1.13.2 (ii)	134
2.1.12	रॉयल्टी की कटौती लाभुक समितियों के विपत्रों से की गई लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं की गई	2.1.13.2 (iii)	135
2.1.13	कार्य विभाजन के पश्चात क्रियान्वित योजनाओं के नाम	2.1.13.2 (iv)	137
2.1.14	बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु लक्षित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन	2.1.13.2 (v)	139

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1.15	मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर (अंगूठे के निशान) को प्रमाणित किये बगैर लाभुक समितियों को भुगतान की गई राशि की विवरणी	2.1.13.2 (vi)	142
2.1.16 (क)	बिना नकदी रसीद के निर्माण सामग्री का क्रय	2.1.13.2 (vi)	144
2.1.16 (ख)	विपत्रों में बिना जीएसटी नंबर दर्शाए निर्माण सामग्री का क्रय	2.1.13.2 (vi)	145
2.1.16 (ग)	संबंधित चालानों पर किसी तिथि का उल्लेख किए बिना सामग्री का क्रय	2.1.13.2 (vi)	147
2.1.16 (घ)	लाभुक समिति के चयन से पूर्व क्रय की गई सामग्री	2.1.13.2 (vi)	149
2.1.17	योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लाभुक समितियों के विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना	2.1.13.3	150
2.1.18	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लाभुक समितियों के विपत्रों से कटौती की गई श्रम उपकर की राशि को कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया जाना	2.1.13.3	152
2.1.19	लाभुक समितियों के विपत्रों से श्रम उपकर की कम कटौती	2.1.13.3 (iii)	153
2.1.20	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वैधानिक कटौतियों का उपयोग किया जाना	2.1.13.4	154
2.1.21	ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त एलईडी लाइटों का अधिष्ठापन	2.1.14	155
2.2.1	पंचायत भवनों के निर्माण लागत में वृद्धि	2.2.6.2	160
2.2.2	गिरिडीह जिला परिषद द्वारा निविदा आमंत्रण में विलंब के कारण पंचायत भवनों के निर्माण लागत में वृद्धि	2.2.6.2	163
2.2.3	पंचायत भवनों के निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण	2.2.7.1	164
3.1	झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकाय	3.1	165
3.2	चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची	3.2	167
3.3	नमूना जाँचित 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूची (31 मार्च 2022 तक)	3.4.5	168
3.4	शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न समितियों के कार्य	3.5	169
3.5	नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों के बजट अनुमानों में व्यापक भिन्नता को दर्शाने वाली विवरणी	3.11.4	172

प्राक्कथन

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन हेतु राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए दायित्व के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संबंधित विभागों सहित राज्य के पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में पाये गये दृष्टान्तों के साथ-साथ, वैसे मामलों को भी शामिल किया गया है जो 2017-22 के पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, परन्तु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे। 2017-22 के बाद की अवधि से संबंधित आवश्यक मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। पहले और तीसरे अध्याय में क्रमशः पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) और शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दों का विहंगावलोकन शामिल है। दूसरे अध्याय में दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ (i) 'पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की उपयोगिता' और (ii) 'पंचायत भवनों का निर्माण/मरम्मत/ परिवर्तन/साज-सज्जा' शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में वर्णित विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल राशि ₹ 99.48 करोड़ सन्निहित है।

लेखापरीक्षा नमूने, सांख्यिकीय प्रतिदर्श के साथ-साथ जोखिम आधारित निर्णयात्मक प्रतिदर्श से आहरित हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तैयार किए गए हैं और सरकार के जवाबों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों की गई हैं। इस विहंगावलोकन में मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश दिया गया है।

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दों का विहंगावलोकन

झारखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) की 4,638 इकाइयाँ हैं जिनमें 24 जिला परिषद् (जि.प.), 263 पंचायत समितियाँ (पं.स.) और 4,351 ग्राम पंचायतें (ग्रा.पं.) शामिल हैं। वर्ष 2017-22 के दौरान इस कार्यालय के द्वारा निर्गत किये गये 229 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में 2,352 कंडिकाएँ सन्निहित थीं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 838.04 करोड़ था। पर्याप्त जवाब के अभाव में लंबित नि.प्र./कंडिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। विभाग ने लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटान हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाये थे।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (डी.एल.एफ.ए) स्थानीय निधियों के प्राथमिक लेखापरीक्षक थे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन (टी.जी.एस) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) की लेखापरीक्षा कर रहे थे। 2017-22 के दौरान स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय ने 538 इकाइयों के योजनाबद्ध अंकेक्षण के मुकाबले, 403 इकाइयों का ही अंकेक्षण किया था। जुलाई 2022 तक, निरीक्षित इकाइयों के विरुद्ध इनके द्वारा केवल 123 निरीक्षण प्रतिवेदन ही निर्गत किये गये थे एवं 280 निरीक्षण प्रतिवेदनों को निर्गत किया जाना शेष था।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जे.एस.एल.पी.एस.) के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने 2017-18 के दौरान राज्य में 14वें वित्त आयोग के अधीन योजनाबद्ध 1,500 ग्राम पंचायत में से 1,499 का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। बाद के वर्षों में, अर्थात् 2018-19 से

2021-22 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण हेतु न तो कोई योजना बनाई गई और न ही संचालित की गई थी।

नमूना-जाँचित जिला परिषदों द्वारा अनुदान/ऋण पंजी, परिसंपत्ति पंजी एवं भंडार पंजी जैसे बुनियादी अभिलेखों को संधारित नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण पंजियों के असंधारण के कारण पंचायतों के वित्त/परिसंपत्तियों पर स्थानीय स्व-शासन का नियंत्रण कमजोर रहा। पंचायती राज संस्थाएँ मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों एवं ऋणों पर आश्रित थे क्योंकि उनके स्वयं के संसाधन, व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त थे। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 में कराधान से संबंधित प्रावधान होने के बावजूद राज्य सरकार ने पंचायतों द्वारा कर लगाने संबंधी कोई नियम नहीं बनाये।

(कंडिका 1.1 से 1.10)

2. विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा- पंचायती राज संस्थान

2.1 पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की उपयोगिता

“पंचायती राज संस्थानों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की उपयोगिता” की लेखापरीक्षा, 06 जिला परिषदों, 21 पंचायत समितियों और 63 ग्राम पंचायतों में वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच जून 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान की गई। प्रमुख निष्कर्ष निम्नांकित हैं:

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों पर वित्त आयोग द्वारा की गई 19 अनुशंसाओं में से सिर्फ 04 अनुशंसाओं को झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित किया गया। नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक वार्षिक योजनाएँ तैयार नहीं की गईं। इस दौरान ग्राम सभाओं में तैयार की गई योजनाओं की सूची के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता था। हालाँकि, नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने स्थायी समितियों की सिफारिशें प्राप्त किये बगैर एवं आधारभूत सर्वेक्षण संचालित किये बगैर, वर्ष 2019 से ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जी.पी.डी.पी.) तैयार करना शुरू कर दिया था।

राज्य सरकार चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 258.22 करोड़ (जनवरी 2022 तक) का उपयोग नहीं कर पाई थी। राज्य द्वारा भारत सरकार को ग्राम पंचायतों को विमुक्त अनुदान सम्बंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करने में 21 से 183 दिनों का विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा अनुदान की अगली किश्तें जारी करने में देरी हुई। आगे, ग्राम पंचायतों को अनुदान के अंतरण में 10 से 210 दिनों का विलंब हुआ जिससे ग्राम पंचायतों को ब्याज के रूप में भुगतान हेतु राज्य की ₹ 53.04 करोड़ की देनदारियाँ बढ़ी।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के अपने स्रोत से राजस्व अधिरोपित करने और एकत्र करने के लिए नियम व विनियम नहीं बनाए जाने के कारण राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग के ₹ 486.09 करोड़ का निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं हो सका।

नमूना-जाँचित 63 ग्राम पंचायतों में से 12 ग्राम पंचायतों द्वारा बुनियादी सेवाओं से संबंधित 72 योजनाओं के निष्पादन के लिए बुनियादी अनुदान (बी.जी.) से ₹ 72.87 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था। इसके अलावा, नमूना-जाँचित 23 ग्राम पंचायतों ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में ₹ 48.39 लाख का अनियमित रूप से उपयोग/खर्च किया गया, जिसमें कार्यों (रॉयल्टी, श्रम उपकर और बिक्री कर) के लिए वैधानिक रूप से कटौती की जानी चाहिए थी।

नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों में क्रमशः कनीय अभियंताओं (जेई) और लेखाकार-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी 18 से 25 प्रतिशत तक थी।

(कंडिका 2.1)

2.2 पंचायत भवनों का निर्माण/मरम्मत/परिवर्तन/साज-सज्जा

“पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत/परिवर्तन/सज्जा” की वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए जून 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच विस्तृत लेखापरीक्षा पंचायती राज विभाग और 06 जिला परिषदों के अभिलेखों के नमूना-जाँच के माध्यम से संचालित की गयी।

ग्राम पंचायतों को अपने प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक उपयुक्त अवसंरचना आवश्यक थी। तदनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक पंचायत भवन के निर्माण की योजना बनायी थी जहाँ पंचायत के निर्वाचित सदस्य, पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष हैं:

जिला परिषद(जि.प.), पश्चिमी सिंहभूम ने 19 नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से ₹ 7.08 करोड़ का विचलन किया, जबकि राज्य सरकार ने इस निधि से नए पंचायत भवनों के निर्माण पर रोक लगाई थी।

जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम ने पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ₹ 4.17 करोड़ का उपयोग नहीं किया और यह राशि उनके खातों में अवरुद्ध पड़ी रही।

नमूना-जाँचित 05 जिला परिषदों के 20 पंचायत भवनों के आवश्यक बुनियादी ढाँचे पूर्ण होने के पूर्व ही, निर्धारित तिथियों से छः से 362 दिनों पूर्व ग्राम पंचायतों को सौंप दिए गये।

दो नमूना-जाँचित जिला परिषदों (बोकारो और राँची) के नौ पंचायत भवनों को उनके निर्माण पूर्ण होने के 213 दिनों और 760 दिनों के विलंब से संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपे गये थे।

(कंडिका 2.2)

3. शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मामलों का विहंगावलोकन

झारखण्ड में 50 शहरी स्थानीय निकाय हैं अर्थात् 09 नगर निगम, 21 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत और 01 अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी)। 2017-22 के दौरान इस कार्यालय के द्वारा 40 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संचालित की गयी और निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए गए थे जिनमें 431 कंडिकाएँ शामिल थी जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 2,090.90 करोड़ था। हालाँकि, सभी कंडिकाएँ निपटान हेतु लंबित थे।

तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन (टी.जी.एस) के तहत, निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (डी.एल.एफ.ए) द्वारा 18 श.स्था.नि. (2020-21 में 14 और 2021-22 में 4) की लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई थी लेकिन 2017-22 के दौरान लेखापरीक्षा में केवल 12 श.स्था.नि. को आच्छादित किया गया।

श.स्था.नि. के पास मार्च 2022 तक ₹ 7,592.10 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। इसके अलावा, वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान ₹ 39.78 करोड़ के आकस्मिक विपत्र आहरित किए गये जिसके विरुद्ध ₹ 39.48 करोड़ (99 प्रतिशत) के विस्तृत आकस्मिक विपत्र मार्च 2022 तक बकाया थे।

श.स्था.नि. वित्तीय रूप से सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों और ऋणों पर निर्भर थे क्योंकि उनके अपने संसाधन उनकी व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार सभी शहरी श.स्था.नि. के लिए परिसंपत्ति कर संग्रहण की दक्षता कम से कम 85 प्रतिशत होने चाहिए परन्तु नमूना जाँचित श.स्था.नि. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे, इनके परिसंपत्ति कर के संग्रह का प्रतिशत 46 (2019-20) और 63 (2021-22) के बीच था।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए चौदहवें वित्त आयोग मद में बुनियादी अनुदान के रूप में ₹ 243.36 करोड़ एवं निष्पादन अनुदान के रूप में ₹ 245.09 करोड़ (कुल ₹ 488.45 करोड़) की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 3.1 से 3.14)

भाग-क

पंचायती राज संस्थाएँ

अध्याय-।

**पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली,
जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन
मुद्दों का विहंगावलोकन**

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दों का विहंगावलोकन

राज्य में पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) की कार्य पद्धति का विहंगावलोकन

1.1 परिचय

1992 में लागू किए गए 73वें संवैधानिक संशोधन में, पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना की गई और समान संरचना, नियमित चुनाव, वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह इत्यादि की एक प्रणाली स्थापित की गई। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, इन निकायों को ऐसी शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ सौंपने की आवश्यकता थी ताकि ये संस्थाएँ स्व-शासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। विशेष रूप से, पं.रा.सं. को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता थी, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल विषय भी सम्मिलित थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पं.रा.सं. प्रणाली स्थापित करने के लिए झारखण्ड पंचायत राज (झा.पं.रा.) अधिनियम, 2001 लागू किया और पं.रा.सं. की सुचारू कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए झारखण्ड पंचायत राज (बजट और लेखा) नियमावली, 2010 बनाये गये।

झारखण्ड में पं.रा.सं. की 4,638 इकाइयाँ हैं। इनमें 24 जिला परिषद (जि.प.), 263 पंचायत समितियाँ (पं.स.) और 4,351 ग्राम पंचायतें (ग्रा.पं.) शामिल हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियाँ और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, पिछले दशक में झारखण्ड में जनसंख्या वृद्धि 22.4 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या की वृद्धि का औसत 17.7 प्रतिशत था। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 24 एवं 76 था। ग्रामीण और शहरी आबादी की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 19.6 और 32.4 प्रतिशत था। राज्य की तुलनात्मक जनसांख्यिकी और विकासात्मक विवरणी तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: झारखण्ड राज्य के बुनियादी आँकड़े

विवरण	इकाई	आँकड़े
ग्रामीण आबादी	लाख में	250.37
शहरी आबादी	लाख में	79.33
जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति/वर्ग. किमी.	414
ग्रामीण लिंगानुपात	प्रति हजार	961
शहरी लिंगानुपात	प्रति हजार	910
ग्रामीण साक्षरता दर	% (2011)	61.11
शहरी साक्षरता दर	% (2011)	82.26
जिला परिषद/जिला पंचायत	संख्या	24
पंचायत समिति/ब्लॉक पंचायत	संख्या	263
ग्राम पंचायत/गाँव पंचायत	संख्या	4,351


1.2 पंचायती राज संस्थानों का संगठनात्मक ढाँचा

पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिसके प्रमुख एक सचिव होते हैं। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) और प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति (पं. स.) के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रभारी होते हैं। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम (झा.पं.रा. अधिनियम), 2001, और उसके तहत बनाए गए नियम/उपनियम, कार्यकारी/प्रशासनिक निकायों के अलावा, निर्वाचित निकायों को जनादेश देने और पं.रा.सं. के प्रशासन का प्रबंधन करने का प्रावधान करते हैं। निर्वाचित निकायों की संरचना के तहत, जिला परिषद का नेतृत्व उसके अध्यक्ष, पंचायत समिति के मामले में प्रमुख और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) के मामले में मुखिया करते हैं। पं.रा.सं. का तृतीय चुनाव मई-जून 2022 में हुए थे।

पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक संरचना को चार्ट-1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1 संगठनात्मक संरचना

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड सरकार



(स्रोत: झा.पं.रा. अधिनियम, 2001)

1.3 पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली

1.3.1 पं.रा.सं. की शक्तियाँ और कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243जी और 243एच में प्रावधान है कि राज्य सरकार पं.रा.सं. को निम्नलिखित शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान कर सकती है:

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना;
- ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की सौंपी गई योजनाओं को कार्यान्वित करना; और
- कर लगाने और पंचायतों द्वारा प्राप्त किये गये सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन करने की शक्तियाँ।

इन उद्देश्यों के साथ, राज्य सरकार द्वारा झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76, 77 और 79 से 83 के तहत ग्रा.पं., पं.स. और जि.प. की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित किया गया है। पं.रा.सं. के कार्य एवं शक्तियों का संक्षेपण **परिशिष्ट-1.1** में दिया गया है। पं.रा.सं. के प्राधिकारियों के कार्य **परिशिष्ट-1.2** में दिए गए हैं।

1.3.2 राज्य सरकार की शक्तियाँ

झा.पं.रा. अधिनियम, 2001, राज्य सरकार को पं.रा.सं. की उचित कार्यप्रणाली की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपती है। पं.रा.सं. के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों और भूमिकाओं का सारांश **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियाँ
झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 131	नियम बनाने की शक्ति: राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन, झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए नियम बना सकती है।
झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 100 और 135	सरकार को मॉडल नियम बनाने की शक्ति एवं निरीक्षण: राज्य सरकार झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 के प्रयोजनों के लिए पं.रा.सं. के लिए मॉडल नियम और उपनियम बना सकती है और उसे पंचायतों के कामकाज के निरीक्षण की शक्ति है।
झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 123	जिला योजना समिति: राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन करेगी, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करेगी।

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियाँ
झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 114	पंचायतों के लिए वित्त आयोग : राज्य सरकार पं.रा.सं. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और पं.रा.सं. की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उपायों एवं धन के हस्तांतरण के लिए सिफारिशें करने के लिए हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगी।
झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 धारा 93 और 95	कराधान: पं.रा.सं., राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दरों के अधीन, होल्डिंग, व्यवसायों पर कर लगा सकते हैं और टोल, शुल्क और दरें लगा सकते हैं।
झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 163	कठिनाइयों का निवारण: यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, आधिकारिक राजपत्र में ऐसा कुछ आदेश प्रकाशित कर सकती है जो कठिनाई का निवारण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

1.3.3 कार्यों का हस्तांतरण

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पं.रा.सं. के संबंध में 29 विषय शामिल हैं। राज्य सरकार को इन 29 विषयों के लिए पं.रा.सं. को कार्यों, कर्मियों और निधियों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी, ताकि ये संस्थान स्व-शासी संस्थानों के रूप में कार्य कर सकें। अक्टूबर 2012 और अगस्त 2017 के बीच कार्यों, निधियों और कर्मियों (3एफ) के हस्तांतरण के लिए 22 विषयों के संबंध में झारखण्ड सरकार के 14 विभागों द्वारा संकल्प जारी किया गया।

यह देखा गया कि केवल 6 विषयों से संबंधित कार्यों को संबंधित विभागों के द्वारा पं.रा.सं. को पूर्णतया हस्तांतरित किया गया था। हालाँकि, 16 विषयों के लिए न तो निधियाँ और न ही कर्मियों को हस्तांतरित किया गया था (जैसा कि **परिशिष्ट-1.3** में वर्णित है) (मार्च 2022)। सात विषयों के संबंध में, झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 (10 मई 2001) को लागू हुए 20 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी 3एफ के हस्तांतरण के लिए कोई सरकारी संकल्प या आदेश जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार, 16 विषयों के संबंध में 3एफ का केवल आंशिक हस्तांतरण ही किया गया था।

1.3.4 मानवबल की कमी

नमूना-जाँचित 12 जिला परिषदों द्वारा मानवबल के संबंध में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति¹ की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट-1.4** में दी गयी है और इसका सार **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

¹ बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, पाकुड़, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। आकार के अनुपात में संभावना (पीपीएस) नमूनाकरण पद्धति के आधार पर, इन जिला परिषदों को 24 जिला परिषदों में से चुना गया था।

तालिका-1.3: 31 मार्च 2022 को नमूना-जाँचित पं.रा.सं. में स्वीकृत बल की तुलना में कार्यरत बल

जिलों की संख्या	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	मानव बल की कमी (प्रतिशत में)
12 (12 में से 04 जिलों ने यह जानकारी नहीं दी है)	1,202	497	705	59

(स्रोत: नमूना-जाँचित पं.रा.सं. द्वारा प्रदान की गई सूचनाएँ)

तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि जिला परिषद स्तर पर मानवबल (यानी 59 प्रतिशत) की भारी कमी थी। इसका योजनाओं के कार्यान्वयन पर असर पड़ा जिसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रतिवेदन के अध्याय II में की गई है।

1.4 विभिन्न समितियों का गठन

ग्राम पंचायत के सदस्य अपने कार्यों और कर्तव्यों, जैसे कि बजट प्राक्कलन की तैयारी और समीक्षा, वार्षिक लेखों की मंजूरी, भंडार का भौतिक सत्यापन (झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 के अनुसार), योजनाओं के चयन (पंचायती राज विभाग अधिसूचना-सितंबर 2020 के अनुसार) आदि के लिए स्थिति विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करना, के निर्वहन के लिए सात स्थायी समितियों का गठन कर सकते हैं। ऐसी समितियों को ग्रा.पं. के सामान्य नियंत्रण में होना और ग्रा.पं. द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के सचिव, स्थायी समिति के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

इसी प्रकार, प्रत्येक पं.स. और जि.प. के सदस्यों को अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आठ स्थायी समितियों का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि ग्रा.पं. में होता है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ)/ कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) जिला परिषद/पं.स. की सभी समितियों के पदेन सचिव होते हैं। स्थायी समितियों के गठन के तौर-तरीके और उनके कार्य परिशिष्ट-1.5 में विस्तृत रूप से वर्णित हैं।

इसके अलावा, पं.स. और जि.प. ऐसे मामलों के लिए एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकती है, जो निर्धारित समितियों के कार्य क्षेत्रों के दायरे में नहीं आते हैं।

नमूना-जाँचित पं.रा.सं. (जि.प., पं.स. और ग्रा.पं.) के अभिलेखों की जाँच के दौरान, पाया गया कि इन स्थायी समितियों (ग्रा.प. के लिए 07 और पं.स./जि.प. के लिए 08) का गठन किया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये स्थायी समितियाँ कार्यात्मक थीं या नहीं, क्योंकि उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.4.1 जिला योजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी और झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 123 के अनुसार, राज्य सरकार ने अगस्त 2011 में एक राजपत्र अधिसूचना² जारी की, जिसमें झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति (जि.यो.स.) के गठन के तौर-तरीके निर्धारित किए गए।

जि.यो.स.मुख्यतः एक जिले के सभी पं.रा.सं. और शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की योजनाओं के एकीकरण के लिए जिम्मेदार है। जि.यो.स. का उद्देश्य किसी जिले के विकास के लिए एक एकीकृत, भागीदारीपूर्ण और समन्वित योजना तैयार करना है।

यह देखा गया कि, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी प्रावधान करता है कि जि.यो.स. के कुल सदस्यों के कम से कम चार बटा पाँच (4/5) सदस्यों का निर्वाचन जिला परिषद और नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से होना चाहिए, तथापि झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 निर्वाचित सदस्यों में से केवल तीन-चौथाई सदस्यों के चयन का प्रावधान करता है।

इस प्रकार, जि.यो.स. में निर्वाचित सदस्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, जि.यो.स. के गठन में निर्वाचित सदस्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया।

इसके अलावा, 12 जिलों की नमूना-जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि सात जिलों में जि.यो.स. का गठन किया गया था, दो जिलों में कोई जि.यो.स. गठित नहीं की गई थी और शेष तीन जिलों ने कोई जानकारी नहीं दी थी। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदें अपने-अपने स्तर पर विकास योजनाएँ तैयार कर रही थीं, लेकिन उन्हें समेकन एवं अग्रतर सम्प्रेषण हेतु क्रमशः उच्च प्राधिकारियों अर्थात् पंचायत समितियों, जिला परिषदों और जि.यो.स. को अग्रेषित नहीं किया जा रहा था। इसलिए, नमूना-जाँचित 12 जिलों में से नौ में जि.यो.स. द्वारा जिला विकास योजनाएँ तैयार नहीं की गईं और शेष तीन के द्वारा कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (नि.,स्था.नि.ले.नि.), राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2014 में स्थानीय निकाय (स्था.नि.) के लेखों के प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस) के तहत पं.रा.सं. का लेखापरीक्षण कर रहे हैं। टी.जी.एस व्यवस्था सी.ए.जी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत है। झारखण्ड स्थानीय निकाय लेखा संपरीक्षा संशोधन अधिनियम, 2012 की

² झारखण्ड पंचायत राज (जिला योजना समिति गठन, कार्य प्रक्रिया, शक्ति एवं कृत्य) नियमावली, 2011

धारा 4 के अनुसार, सी.ए.जी. द्वारा, टी.जी.एस. और स्थानीय निकायों के लेखों की नमूना जाँच के आधार पर एक वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर) तैयार की जानी है तथा इसे राज्यपाल को सौंपा जाना है, जो इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

स्था.नि.ले.नि. द्वारा प्रदान की गई जानकारी/अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उनके द्वारा 2017-18 से 2021-22 तक पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान 538 इकाइयों (2.3 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा सम्पादित करने की योजना बनाई गई थी। वर्ष-वार नियोजित इकाइयाँ 0 और 306 के बीच थीं (राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की 4,638 लेखापरीक्षा इकाइयाँ हैं)। स्था.नि.ले.नि. द्वारा कुल 4638 इकाइयों में से 403 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी, जिसके विरुद्ध लेखापरीक्षित इकाइयों को केवल 123 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) ही निर्गत किये गये थे जिनमें कुल 810 कंडिका थी। 280 लेखापरीक्षित इकाइयों के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन जुलाई 2022 तक निर्गत नहीं किए गए थे। इसका कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षित इकाइयों एवं निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: लेखापरीक्षित इकाइयों एवं जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष-वार विवरणी

अवधि	झारखण्ड में कुल पंचायती राज संस्थान की संख्या	चयनित इकाइयों की संख्या	चयनित इकाइयों का प्रतिशत	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	1 अगस्त 2022 तक जारी नि.प्र. की संख्या	निर्गत नि.प्र. में शामिल कंडिकाओं की संख्या	निर्गत करने हेतु लंबित नि.प्र. की संख्या
2017-18	4,638 (जि.प.-24, पं.स.-263 और ग्रा.पं.-4,351)	29	0.6	29	23	251	6
2018-19	4,638	133	2.9	133	97	522	36
2019-20	4,638	0	0	0	0	0	0
2020-21	4,638	70	1.5	60	2	24	58
2021-22	4,638	306	6.6	181	1	13	180
कुल		538	2.3	403	123	810	280

(स्रोत: स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय के द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट-रिटर्न)

इस प्रकार, जुलाई 2022 तक, स्था.नि.ले.नि. 135 नियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के साथ-साथ 280 निरीक्षण प्रतिवेदनों को निर्गत करने में विफल रहा। इससे पता चला कि स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में स्था.नि.ले.नि. अपने उद्देश्य को पूरा करने में पिछड़ गया।

1.5.1.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) निर्गत करने में विलंब

स्था.नि.ले.नि. द्वारा प्रदान किए गए सूचनाओं/अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 403 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। जिनमें से 123 नि.प्र. जारी किए गए थे जिसमें कुल 810 कंडिकाएँ शामिल थीं, को 5 दिनों से लेकर 1,766 दिन के विलंब से निर्गत किया गया। जैसा कि **परिशिष्ट-1.6** में वर्णित है।

नि.प्र., निर्गत करने में विलंब का कारण स्था.नि.ले.नि. में आवश्यक मानव बल की कमी थी जैसा कि कंडिका 1.5.4.1 में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, विलंब से नि. प्र. निर्गत करने से लेखापरीक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

1.5.1.2 लेखापरीक्षा कंडिकाओं की ट्रैकिंग

स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि, वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान स्था.नि.ले.नि. द्वारा 810 (जारी) लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से केवल 02 कंडिकाओं का निपटान किया गया था। इसका विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा कंडिकाओं के निपटान की स्थिति

शेष कंडिकाओं की संख्या (प्रारंभिक शेष)	वित्त वर्ष में जोड़ी गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का अनुपालन और वित्त वर्ष में विलोपित हो गए	शेष कंडिकाओं की संख्या (अंतिम शेष)
1	2	3	4 (1+2+3)
0	251 (2017-18)	0	251
251	522 (2018-19)	02	771
771	0 (2019-20)	0	771
771	24 (2020-21)	0	795
795	13 (2021-22)	0	808
कुल कंडिका	810	02	

(स्रोत: स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए रिपोर्ट और रिटर्न)

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन की स्थिति अच्छी नहीं है। स्था.नि.ले.नि. को लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ मिलकर शेष कंडिकाओं के शीघ्र निपटान हेतु कड़े प्रयास की आवश्यकता है।

1.5.2 अनुपालन लेखापरीक्षा, वित्तीय लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा

स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि उनके द्वारा स्थानीय निकायों की अनुपालन पहलू से लेखापरीक्षा की जा रही थी। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान योजनाओं/ कार्यक्रमों का निष्पादन लेखापरीक्षा और स्थानीय निकायों के लेखों की वित्तीय लेखापरीक्षा या प्रमाणन नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि पंचायती राज विभाग ने 14^{वीं} /15^{वीं} वित्त आयोग (वि.आ.) अनुदान के लेखों की लेखापरीक्षा/प्रमाणन के लिए सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया था।

1.5.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा निर्गत पं.रा.सं. के निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा निर्गत नि. प्र. की विवरणी

वित्त वर्ष	निर्गत किए गए नि. प्र. की संख्या	नि. प्र. में निहित कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
2017-18	58	331	136.82
2018-19	0	0	0
2019-20	15	163	198.92
2020-21	64	667	194.56
2021-22	92	1,191	307.74
कुल	229	2,352	838.04

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में, देवघर और पलामू जिलों के लिए जिला केंद्रित लेखापरीक्षा (डीसीए) के तहत 2 जिला परिषदों, 4 पंचायत समितियों और 28 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गई थी और उसके प्रतिवेदनों (जिला केंद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) को पंचायती राज विभाग और संबंधित जिला परिषदों को (अप्रैल 2022) भेजा गया था। लेकिन इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना नवंबर 2022 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

1.5.4 तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन (टी.जी.एस) से संबंधित व्यवस्था

मार्च, 2012 की राज्य सरकार की अधिसूचना तथा लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के विनियम 120 के तहत, झारखण्ड राज्य में स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन का कार्य, स्था.नि. में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, सी.ए.जी. डीपीसी अधिनियम की धारा 20(1) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। टी.जी.एस की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक प्रति वर्ष मार्च के अंत तक, अगले वित्त वर्ष में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा और इसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करेगा।

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रियाएँ राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों, विधियों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

(iii) चयनित स्थानीय निकायों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियाँ, स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा प्रणाली सुधार पर सलाह के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएंगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग

द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा प्रणालियों में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से इसकी समीक्षा करेगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसी निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच करके स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की गुणवत्ता की भी निगरानी करेगा।

(iv) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक सलाह और निगरानी के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

(v) तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कुछ पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-जाँच करेगा। नमूना-जाँच से संबंधित प्रतिवेदन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुसरण हेतु स्थानीय निधि लेखापरीक्षक को प्रेषित की जाएगी। स्थानीय निधि लेखापरीक्षक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं का अनुपालन, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत प्रतिवेदनों के अनुपालन के लिए विहित तरीके से, करेंगे।

(vi) आपत्तियों के मौद्रिक मूल्य की परवाह किए बिना, स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा नोटिस में आये हुए किसी भी गंभीर अनियमितता, जैसे कि प्रणाली में कमियाँ, नियमों का गंभीर उल्लंघन और धोखाधड़ी, के बारे में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जाएगा।

(vii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से, अपने संस्थान में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करेगा।

(viii) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन भी करेगा।

1.5.4.1 स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवबल की कमी, उसके द्वारा की गई लेखापरीक्षा तथा उस पर प्रदान किया गया टी.जी.एस मार्गदर्शन

स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की जाने वाली स्था.नि. लेखापरीक्षा के लिए, राज्य सरकार ने 22 पद³ सृजित (मार्च 2013) किया और टी.जी.एस व्यवस्था के तहत प्राथमिक लेखापरीक्षक के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (नवंबर 2014) को नियुक्त किया गया था। हालाँकि, स्था.नि.ले.नि. के अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ कि स्था.नि. लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का कोई संवर्ग (कैंडर) पद स्वीकृत नहीं किया गया था। इसने लेखापरीक्षा के लिए 12 लेखापरीक्षकों को योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से लिया था। स्था.नि.ले.नि. के पास अधिकारियों/कर्मचारियों के रूप में (अगस्त 2018 से) केवल

³ निदेशक-1, संयुक्त निदेशक (श.स्था.नि.)-1, संयुक्त निदेशक (पं.रा.सं.)-1, अनुभाग अधिकारी-2, निजी सचिव-1, सहायक-4, निजी सहायक-2, कंप्यूटर ऑपरेटर-3, उच्च श्रेणी लिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-1, ड्राइवर-3, चपरासी-2

दो ही कर्मों थे, अर्थात् एक निदेशक और एक सहायक अनुभाग अधिकारी, जबकि शेष 20 पद (91 प्रतिशत) जुलाई 2022 तक रिक्त थे।

स्था.नि.ले.नि. में मानवबल की कमी के कारण, स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा अनिवार्य होते हुए भी नहीं की जा रही थी, फलस्वरूप राज्य में, वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पं.रा.सं. (4,638 इकाइयाँ प्रति वर्ष) की समस्त इकाइयों की लेखापरीक्षा के मुकाबले, क्रमशः केवल 2.3 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत इकाइयों की योजना बनाई गई एवं उनका लेखापरीक्षण किया गया।

आगे, टी.जी.एस के तहत, स्था.नि.ले.नि. ने पिछले पाँच वर्षों में मार्च 2022 तक महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को 39 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि. प्र.) भेजे। सभी नि. प्र. की महालेखाकार कार्यालय द्वारा जाँच की गई और तकनीकी मार्गदर्शन के स्था.नि.ले.नि. को लौटा दिए गए।

1.5.4.2 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय के कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, झारखण्ड द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एमएस-एक्सेल, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं को तैयार करना एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों को तैयार करना, पंचायत समिति और जिला परिषद की लेखापरीक्षा जैसे विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें स्था.नि.ले.नि. के 17 कर्मियों ने भाग लिया था।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, पं.रा.सं. की इकाइयों के लेन-देन का नमूना-जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण करता है तथा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए जाते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं जिनका निराकरण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं किया जाता है, तो उन्हें नि. प्र. में शामिल कर लिया जाता है और लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को निर्गत किया जाता है, तथा उसकी एक प्रति अगले उच्च पदाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ), पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) और ग्राम पंचायत के मुखिया को नि. प्र. में निहित टिप्पणियों का जवाब देना था और चार सप्ताह के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को एक अनुपालन प्रतिवेदन भेजना था। इसके अलावा, टी.जी.एस. व्यवस्था के अनुसार, स्था.नि.ले.नि. को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा उठायी गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान/कार्रवाई स्वयं की लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुरूप करना था।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा जारी 2,352 कंडिकाओं वाले 229 निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से पता चला कि पं.रा.सं. इकाइयों द्वारा वित्त वर्ष 2017-18

से 2021-22 की अवधि के दौरान लंबित नि. प्र./कंडिकाओं के लिए कोई भी जवाब नहीं प्रेषित किया गया था। इसके अलावा, 2,352 लंबित कंडिकाओं में से 2312 के जवाब दिसंबर 2024 तक प्रतीक्षित थे।

यह जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रा.पं. के मुखिया एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु किये जाने वाले प्रयासों में कमी को इंगित करता है।

जवाबदेही प्रक्रिया

1.7 सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण में प्राथमिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ समुदाय द्वारा कार्यक्रमों /योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उसके परिणामों का प्रतिपादन सत्यापित करना है। भ्रष्टाचार को दूर करने तथा सरकारी सेवा प्रदान करने की जवाबदेही को मजबूत करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 1010 (मार्च 2017) और अधिसूचना संख्या 1551 (सितंबर 2020) में परिकल्पना की गई है कि 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत कार्यान्वित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण प्रति वर्ष किया जायेगा।

सामाजिक अंकेक्षण इकाई, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में 14वें वित्त आयोग के तहत योजनाओं के लिए 1,500 नियोजित ग्राम पंचायतों में से 1,499 ग्रा.पं. का सामाजिक अंकेक्षण किया गया था। हालाँकि, वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान ना तो सामाजिक अंकेक्षण की योजना बनी और ना ही सामाजिक अंकेक्षण आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, विभाग ने झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा की गयी सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रति ग्रा.पं. ₹12,997 की राशि को लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में निर्धारित किया था। हालाँकि, 1,499 ग्रा.पं. में से 327 ग्रा.पं. द्वारा आज तक झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी को इस शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

1.8 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतिकरण

झारखण्ड वित्तीय नियमों के अनुसार, वार्षिक या गैर-आवर्ती सशर्त अनुदान के मामले में, विभागीय अधिकारी जिनके हस्ताक्षर या प्रति-हस्ताक्षर पर अनुदान सहायता विपत्र आहरित किया जाता है, अनुदान की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करेंगे।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के कार्यालय से प्राप्त जानकारी (अगस्त 2022) से यह ज्ञात हुआ कि, प्रमुख शीर्षों 2515 (अन्य ग्रामीण विकास

कार्यक्रम) और 6515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भुगतान की गई कुल ₹2,608.29 करोड़ की अनुदान राशि के विरुद्ध केवल ₹28.96 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जून 2022 तक महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त हुआ। इसका विवरण परिशिष्ट-1.7 में दिया गया है।

इतनी लम्बी अवधि तक ₹2,579.34 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न कर पाना एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक है तथा निधियों के दुरुपयोग के जोखिम से भरपूर है।

1.9 वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दे

1.9.1 पंचायती राज संस्थानों को निधि प्रवाह

1.9.1.1 पंचायती राज संस्थानों में निधियों के स्रोत और अभिरक्षा

पंचायती राज संस्थानों के लिए निधियों के तीन मुख्य स्रोत हैं, अर्थात् (i) विकासात्मक कार्यों और कार्यालय व्यय जैसे कर्मचारियों के लिए वेतन अनुदान, आकस्मिक अनुदान आदि के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी अनुदान (ii) वेतन व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण और (iii) जिला परिषदों के संबंध में स्वयं का राजस्व, जैसे दुकानों, डाक बंगलों, निरीक्षण बंगलों आदि से किराया प्राप्तियों के रूप में।

पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के संबंध में, स्वयं के राजस्व का (धन पर अर्जित ब्याज के अलावा) अर्जन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अतः, विभाग के पास पं.रा.सं. की अपनी राजस्व प्राप्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रमुख योजनाओं के लिए निधि प्रवाह व्यवस्था तालिका 1.7 में दी गई है।

तालिका 1.7: प्रमुख योजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्था

क्र.सं.	योजना	निधि प्रवाह की व्यवस्था
1.	चौदहवाँ वित्त आयुग (14 ^{वाँ} वि.आ.) अनुदान	अनुदान प्रति वर्ष जून और अक्टूबर के महीने में दो किश्तों में जारी किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार से प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को धन जारी किया। वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक, बैंक से केवल ब्याज राशि प्राप्त हुई और बैंक खाते में जमा की गयी।
2.	पंद्रहवाँ वित्त आयुग (15 ^{वाँ} वि.आ.) अनुदान	अनुदान प्रति वर्ष टाइड और बेसिक अनटाइड ग्रांट के तहत दो किश्तों में क्रमशः जारी किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार से प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के अंदर पं.रा.सं. को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से पं.रा.सं. को धनराशि जारी की गई।

क्र.सं.	योजना	निधि प्रवाह की व्यवस्था
3.	आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति	वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान जिला परिषदों को राज्य योजना के तहत अनुदान जारी किया गया था। ₹5 लाख तक की स्थानीय महत्व की योजनाएँ, जिनकी पूर्णता अवधि एक वर्ष से कम हो, आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति के माध्यम से क्रियान्वित की जानी थीं। राज्य सरकार, उप विकास आयुक्त को आवंटन जारी करती है, जो आगे आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति के बैंक खाते में धनराशि जारी करती है।

1.9.1.2 पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान सभी पं.रा.सं. को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की स्थिति और विभिन्न योजनाओं के संबंध में वहां से किए गए व्यय का विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: पं.रा.सं. की प्राप्ति और व्यय

(₹ हजार में)

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	कुल प्राप्तियों के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत	कुल प्राप्तियों के विरुद्ध बचत का प्रतिशत
2017-18	राजस्व	1,64,72,199	15,46,480	1,80,18,679	1,57,49,469	22,69,210	87	13
	पूंजी	60,000	0	60,000	35,134	24,866	59	41
	कुल	1,65,32,199	15,46,480	1,80,78,679	1,57,84,603	22,94,076	87	13
2018-19	राजस्व	1,65,91,949	8,47,364	1,74,39,313	87,28,750	87,10,563	50	50
	पूंजी	60,000	0	60,000	23,930	36,070	40	60
	कुल	1,66,51,949	8,47,364	1,74,99,313	87,52,680	87,46,633	50	50
2019-20	राजस्व	1,97,80,949	87,58,890	2,85,39,839	2,48,21,104	37,18,735	87	13
	पूंजी	60,000	0	60,000	0	60,000	0	100
	कुल	1,98,40,949	87,58,890	2,85,99,839	2,48,21,104	37,78,735	87	13
2020-21	राजस्व	1,87,86,762	21,11,602	2,08,98,364	1,85,27,465	23,70,899	89	11
	पूंजी	60,000	0	60,000	47,402	12,598	79	21
	कुल	1,88,46,762	21,11,602	2,09,58,364	1,85,74,867	23,83,497	89	11
2021-22	राजस्व	2,61,72,099	4,62,605	2,66,34,704	80,36,371	1,85,98,333	30	70
	पूंजी	60,000	0	60,000	24,587	35,413	41	59
	कुल	2,62,32,099	4,62,605	2,66,94,704	80,60,958	1,86,33,746	30	70

(स्रोत: अनुदान संख्या 56 का विनियोग लेखा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, झारखण्ड)

तालिका-1.8 से यह स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, राजस्व और पूंजीगत शीर्ष के तहत कुल प्राप्तियों के मुकाबले व्यय क्रमशः 30 और 89 प्रतिशत तथा 0 और 79 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, कुल राजस्व प्राप्तियों के विरुद्ध बचत 11 से 70 प्रतिशत के बीच थी, जबकि पूंजीगत शीर्ष के तहत बचत 21 से 100 प्रतिशत के बीच थी। इससे यह पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग क्षमता से कम हुआ है।

1.9.1.3 चयनित पं.रा.सं.की वित्तीय रूपरेखा

वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना-जाँचित पं.रा.सं. की प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण तालिका-1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: नमूना-जाँचित पं.रा.सं.की प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पं.रा. सं.का स्तर	प्रा.शेष	प्राप्तियाँ				कुल प्राप्तियाँ	स्वयं के स्रोतों का जीआईए से प्रतिशत	कुल व्यय	अंत शेष	प्रा. शेष पर ब्याज का %	व्यय का प्रतिशत कुल प्राप्ति की तुलना में	राजस्व में प्रतिशत वृद्धि/कमी
			सहायता अनुदान (जीआईए)	ब्याज	ऋण	स्वयं के स्रोत							
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5+6+7)	9 = (7/4)*100	10	11 = (8-10)	12 = (3/5)*100	13 = (11/8)*100	14
2017-18	जि.प.	198.99	117.8	3.39	0.11	7.66	327.95	6.50	84.77	243.19	1.7	25.85	
	पं.स.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	ग्रा.प.	6.99	11.55	0.22	0	0	18.76	0.00	9.85	8.92	3.15	52.51	
2018-19	जि.प.	243.19	59.04	1.88	0.12	8.72	312.95	14.77	97.63	215.33	0.77	31.20	13.84
	पं.स.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
	ग्रा.प.	8.97	7.18	0.2	0	0	16.35	0.00	10.98	5.37	2.23	67.16	0
2019-20	जि.प.	219.43	56.76	2.11	0	6.12	284.42	10.78	103.97	180.45	0.96	36.56	-29.82
	पं.स.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
	ग्रा.प.	5.35	22.09	0.26	0	0	27.7	0.00	20.26	7.45	4.86	73.14	0
2020-21	जि.प.	180.45	429.51	3.15	0.14	94.91	708.16	22.10	377.56	330.59	1.75	53.32	1450.82
	पं.स.	0.00	16.23	0.15	0.00	0.00	16.38	0.00	1.59	14.78	0	9.71	0
	ग्रा.प.	7.52	7.8	0.2	0	0	15.52	0.00	6.82	8.7	2.66	43.94	0
2021-22	जि.प.	330.59	112.25	4.89	0.16	18.68	466.57	16.64	218.17	248.4	1.48	46.76	-80.32
	पं.स.	14.78	16.14	0.47	0	0	31.39	0.00	21.48	9.91	3.18	68.43	0
	ग्रा.प.	8.79	7.6	0.21	0	0	16.6	0.00	11.09	5.51	2.39	66.81	0

(स्रोत: नमूना-जाँचित पं.रा.सं. इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

तालिका-1.9 से, यह स्पष्ट है कि पं.रा.सं. ज्यादातर वित्त आयोगों और झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान पर निर्भर है। केवल जिला परिषदों के पास राजस्व के अपने स्रोत (ओ.एस.आर.) थे, जो 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल प्राप्तियों का 6.50 प्रतिशत से 22.10 प्रतिशत के बीच थे। इसी अवधि के दौरान इनके अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्तियों में (-) 80.32 प्रतिशत से 1450.82 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि नमूना-जाँचित पं.रा.सं. में केवल 9.71 प्रतिशत से 73.14 प्रतिशत के बीच ही धनराशि का उपयोग किया जा सका। जो, प्रत्येक वर्ष के अंत में रोकड़ बही में भारी अंत शेष के रूप में परिलक्षित हुए। निधियों का निष्क्रिय रहना/अवरुद्ध होना उस प्रयोजन का उल्लंघन था जिसके लिए उन्हें मूल रूप से आवंटित किया गया था। ये अवरुद्ध निधियाँ केवल 0.77 प्रतिशत से 4.86 प्रतिशत के बीच बैंक ब्याज अर्जित कर लाभप्रद उपयोग से वंचित रहीं। धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए उन्हें आवंटित किया गया था।

1.9.1.4 करों का उद्ग्रहण

झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 की धारा 93, जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को उनके अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी होल्डिंग के अधिभोगी, व्यवसाय, व्यापार, पेशे और रोजगार, जलापूर्ति आदि पर कर लगाने और वसूलने का अधिकार देती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम इस बात का समर्थन करता है कि राज्य सरकार कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। हालाँकि, 20 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, राज्य सरकार ने पंचायतों द्वारा कर लगाने के लिए कोई नियम नहीं बनाया था, जिसके कारण पं.रा.सं. ना तो कर लगा रहे थे और ना ही कर एकत्र कर रहे थे। इस प्रकार, पं.रा.सं. सेवाएँ प्रदान करने हेतु पूरी तरह से राज्य सरकार के अनुदान और ऋण पर निर्भर हैं।

1.9.2 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- (i) राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, चुंगी, पथकरों और शुल्कों से शुद्ध आय के स्वरूप को राज्य और पंचायतों के बीच साझा करना।
- (ii) पंचायतों को करों, चुंगी, पथकरों और शुल्कों का आवंटन; और
- (iii) पंचायतों को सहायता अनुदान

आयोग के प्रतिवेदन को, उस पर कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है।

संविधान के अनुच्छेद 243 I के अनुसरण में, राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति का आकलन करने और उन सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए चार राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ.) का गठन किया था, जिसके आधार पर स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाने थे, जैसा कि तालिका 1.10 में दिखाया गया है:

तालिका 1.10: राज्य वित्त आयोगों का गठन

राज्य वित्त आयोग	गठन की तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
प्रथम राज्य वित्त आयोग	जनवरी 2004	अप्रैल 2009
द्वितीय राज्य वित्त आयोग	दिसंबर 2009	समर्पित नहीं किया गया।
तृतीय राज्य वित्त आयोग	अप्रैल 2015	समर्पित नहीं किया गया।
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	जुलाई 2019	अब तक समर्पित नहीं किया गया।

प्रथम राज्य वित्त आयोग ने अप्रैल 2009 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सिफारिशें थीं। दूसरे और तीसरे राज्य वित्त

आयोग ने अपने-अपने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किया जबकि उनका कार्यकाल क्रमशः जनवरी 2014 और जनवरी 2019 में समाप्त हो गया। चौथे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल जनवरी 2024 तक है, लेकिन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के पद जुलाई 2019 से (जुलाई 2022 तक) रिक्त पड़े थे। अतः, इसकी सिफारिशें (जुलाई 2022 तक) प्रतीक्षित थीं। चूँकि पं.रा.सं. के संबंध में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, चुंगी, पथकरों और शुल्कों की शुद्ध आय के बंटवारे का स्वरूप और पंचायतों द्वारा करों, चुंगी, पथकरों और शुल्कों के निर्धारण का कार्यभार नहीं लिया गया, जिससे पं.स. और ग्रा.पं. द्वारा स्वयं के राजस्व संग्रह पर बुरा प्रभाव पड़ा।

1.9.3 अभिलेखों/पंजियों का संधारण

झारखण्ड पंचायत राज (बजट और लेखा) नियम, 2010 में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु विभिन्न अभिलेखों, पंजियों और लेखों के संधारण का प्रावधान है। नमूना-जाँचित जिलों के पं.रा.सं. (जि.प., पं.स. और ग्रा.पं.) में अभिलेखों के प्रबंधन की नमूना-जाँच से ज्ञात हुआ कि महत्वपूर्ण अभिलेखों/पंजियों का संधारण नहीं किया जा रहा था, जैसा कि **परिशिष्ट-1.8** में दर्शाया गया है। ऐसे पं.रा.सं. की संख्या तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: मूलभूत अभिलेखों का असंधारण

क्र.सं.	अभिलेखों/पंजियों का असंधारण	नमूना-जाँचित पं.रा.सं. की संख्या (12 जिला परिषदों, 24 पंचायत समितियों और 48 ग्राम पंचायतों में से)
1	दीर्घकालिक 5-वर्षीय योजनाएँ एवं वार्षिक योजना पंजिका	जि.प. (04), पं.स. (08), ग्रा.पं. (27)
2	आय व्यय पंजिका	जि.प. (03), पं.स. (12), ग्रा.पं. (27)
3	तुलन पत्र (बैलेंस शीट)	जि.प. (03), पं.स. (15), ग्रा.पं. (31)
4	बजट पंजिका	जि.प. (04), पं.स. (13), ग्रा.पं. (28)
5	अनुदान पंजिका	जि.प. (03), पं.स. (12), ग्रा.पं. (30)
6	संपत्ति पंजिका	जि.प. (शून्य), पं.स. (11), ग्रा.पं. (27)
7	स्टॉक पंजिका	जि.प. (शून्य), पं.स. (06), ग्रा.पं. (04)
8	अग्रिम पंजिका	जि.प. (03), पं.स. (12), ग्रा.पं. (03)
9	अभिश्चव पंजिका	जि.प. (03), पं.स. (11), ग्रा.पं. (26)

(स्रोत: नमूना-जाँचित पं.रा.सं.द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

तालिका 1.11 से यह स्पष्ट है कि पं.रा.सं. द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेखों/पंजियों का संधारण नहीं किया जा रहा था।

1.9.4 वार्षिक लेखे

झारखण्ड पंचायत राज (बजट और लेखा) नियम, 2010, प्रति वर्ष मु.का.पदा./का.पदा.⁴ द्वारा पं.रा.सं. के वार्षिक लेखों/प्रतिवेदनों को तैयार करके उन्हें अनुमोदनार्थ पं.रा.सं. की सामान्य प्रशासनिक समिति को 30 मई तक प्रस्तुत करने तथा इन वार्षिक लेखों/प्रतिवेदनों को प्रति वर्ष 15 जून को या उससे पहले पं.रा.सं. के प्रत्येक स्तर की आम सभा द्वारा स्वीकार व अनुमोदित करने का प्रावधान करता है। पं.रा.सं. के प्रत्येक स्तर द्वारा अनुमोदन के पश्चात वार्षिक लेखों/प्रतिवेदनों को प्रति वर्ष 30 जून या उससे पहले संभागीय आयुक्त, निदेशक (पंचायती राज) और पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना है।

नमूना-जाँचित जिलों के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वित्त वर्ष 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग से प्राप्त निधि के लिए पं.रा.सं. इकाइयों द्वारा जिला परिषदों, पंचायत समितियों (पं.स.) और ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के वार्षिक लेखों (केवल प्राप्तियाँ और भुगतान लेखे) को तैयार किया गया था तथा विभाग द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा लेखापरीक्षा की गयी थी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे। अतः पं.रा.सं. द्वारा उक्त निर्धारित प्रावधान का वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पालन नहीं किया गया था।

1.9.5 बजट की तैयारी

बजटीय प्रक्रिया में वार्षिक बजट अनुमानों की तैयारी व जाँच तथा व्यय पर अनुवर्ती नियंत्रण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे अधिकृत अनुदान या विनियोजन के अंदर रखा गया है। इस उद्देश्य के साथ, प्रत्येक पं.रा.सं. को एक वार्षिक बजट तैयार करना था, जैसा कि झारखण्ड पंचायत राज (बजट और लेखा) नियम, 2010 के नियम 3 (2) द्वारा निर्धारित किया गया था। बजट की तैयारी, पं.रा.सं. इकाइयों के समग्र संसाधन लिफाफे का आकलन करने और पं.रा.सं. इकाइयों द्वारा उनके बजट आवंटन के तहत तदनंतर योजना निष्पादन का एक अभिन्न अंग था। हालाँकि, यह देखा गया कि नमूना-जाँचित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए अपना बजट तैयार नहीं किया गया था। बजट के अभाव में, पं.रा.सं. द्वारा किया गया व्यय झारखण्ड पंचायत राज (बजट और लेखा) नियमावली, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

इसके अलावा, ससमय बजट तैयार न होने के कारण, पं.रा.सं. के वार्षिक योजनाओं की तुलना में उनके निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

⁴ पं.स. और ग्रा.पं. के लिए कार्यपालक पदाधिकारी (का.पदा.) और जिला परिषद के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.पदा.)। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पं.रा.सं. के कार्यों के लिए का.पदा. है।

1.9.6 पंचायत राज निधि का सृजन

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 94, प्रत्येक जिले में एक पंचायत राज निधि के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 93 के अधीन लगाए गए उपकर, अतिरिक्त स्टॉप शुल्क⁵ या पंचायत के अधीन ऐसे अन्य करों की प्राप्तियाँ, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट हैं, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले ऐसे संग्रहण शुल्कों में से कटौती करने के बाद जमा किया जाना है।

पंचायत राज निधि में उपलब्ध समेकित राशि को त्रिस्तरीय पंचायतों के बीच इस तरह और ऐसे अनुपात में वितरित किया जाना है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी नमूना-जाँचित पं.रा.सं. में पंचायत राज निधि का सृजन (मार्च-2022 तक) नहीं किया गया था।

1.9.7 मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम अधिनियम, 2001 की धारा 90, प्रत्येक जिला परिषद में एक मुख्य लेखा अधिकारी (मु.ले.अ.) की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जिसे वित्तीय नीति और वार्षिक लेखे व बजट की तैयारी के मामलों पर जिला परिषद को सलाह देने की आवश्यकता होती है।

राज्य सरकार ने जिला परिषदों की वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य की जिला परिषदों में मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी।

1.9.8 लेखांकन प्रारूपों का अभिग्रहण और वेब पोर्टल पर डेटा अपलोड करना

पं.रा.सं. से संबंधित आँकड़ों को पी.आर.आई.ए.सॉफ्ट (प्रियासॉफ्ट) पोर्टल से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर स्थानांतरित किया गया, जिसे अप्रैल 2020 में प्रारंभ किया गया था। पं.रा.सं. के मानक लेखांकन प्रणाली (मा.ले.प्र.) का ढाँचा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से अगस्त 2012 में जारी किया गया था। पं.रा.सं. के लेखों के उचित संधारण के लिए आठ प्रारूपों की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार हैं:

प्रारूप-I : मासिक/वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा; प्रारूप-II : समेकित सार पंजिका; प्रारूप-III : बैंक और कोषागार (ट्रेज़री) के साथ समाशोधन विवरण; प्रारूप-IV : प्राप्य और देय का विवरण; प्रारूप-V : अचल संपत्ति की पंजिका; प्रारूप-VI : चल संपत्ति की पंजिका; प्रारूप-VII : इन्वेंटरी पंजिका; और प्रारूप-VIII : मांग, संग्रहण और शेष का पंजिका।

⁵ स्टॉप शुल्क सबसे पहले राज्य की समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में, यदि विधान सभा द्वारा इस संबंध में पारित विनियोग विधेयक द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाता है, तो समेकित निधि से निकासी कर सकती है। राज्य की ऐसी राशि जो पिछले वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की गई प्राप्तियों (वसूली) के बराबर होगी।

इन पंजिकाओं के संधारण से अंततः लेखांकन की नयी प्रणाली (उपार्जन प्रणाली) में परिवर्तित होने में मदद मिलने की उम्मीद थी।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में प्रविष्टियों की जाँच से पता चला कि:

- I. आठ मानक लेखांकन प्रणाली के प्रारूपों में से केवल पाँच को वेब पोर्टल में प्रदर्शित किया गया था। तीन मानक लेखांकन प्रणाली प्रारूप (प्राप्य और देय का विवरण (प्रारूप IV), अचल संपत्ति की पंजिका (प्रारूप V), चल संपत्ति की पंजिका (प्रारूप VI) प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
- II. उपरोक्त पाँच प्रारूपों में से, प्रारूप I और II को वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान जिला परिषदों और पंचायत समितियों द्वारा संधारित नहीं किये गये थे।
- III. पं.रा.सं. द्वारा प्रारूप VII और VIII संधारित नहीं किये गये थे।
- IV. 2017-18 से 2021-22 के दौरान पोर्टल पर केवल वित्त आयोग के अनुदान के आँकड़े ही अपलोड किये गये।

उपरोक्त प्रारूपों के अतिरिक्त, इकाई-वार लेखांकन प्रतिवेदन (वस्तु शीर्ष वार व्यय प्रतिवेदन) के संबंध में डेटा बनाए रखा जाना था, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, श्रम उपकर और रॉयल्टी की कटौती अपलोड करनी थी। आँकड़ों की प्रविष्टियों की जाँच से पता चला कि कटौती अपलोड नहीं की गई थी।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट था कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल का उपयोग क्षमता से कम था क्योंकि मा.ले.प्र. के तीन प्रारूप वेब पोर्टल में प्रदर्शित नहीं किए गए थे और शेष पाँच प्रारूपों में आँकड़ें आंशिक रूप से अपलोड किए गये थे।

1.10 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी)/विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 184 से 191 के अनुसार, भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता वाले आकस्मिक व्यय को "सार विपत्र" द्वारा आहरित किया जाता है, जिसमें खर्च का विस्तृत विवरण नहीं होता है और बिना किसी सहायक वाउचर के कोषागार को प्रस्तुत किया जाता है। मासिक विस्तृत विपत्र, प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय के मामले में, सभी सब-वाउचर के साथ नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है, या, यदि कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं है, तो महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड से प्राप्त (मई 2022) एसी/डीसी विपत्रों की जानकारी से पता चला कि अप्रैल 2022 तक ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के विरुद्ध वित्त वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2021-22 से संबंधित ₹ 7.05 करोड़ की राशि के तीन एसी विपत्रों (शीर्ष-2515) के डीसी विपत्र समायोजन के लिए लंबित थे तथा वित्त वर्षों 2018-19 और 2020-21 में एसी विपत्रों से कोई निकासी नहीं हुई थी।

अध्याय-॥

**अनुपालन लेखापरीक्षा
पंचायती राज संस्थाएँ**

अध्याय-II अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थानों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की उपयोगिता का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच उनके आवंटन के संबंध में अनुशंसाएँ करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोग (वि.आ.) का गठन किया जाता है। आयोग उन सिद्धांतों के संबंध में भी अनुशंसा करता है जिनके आधार पर राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) प्रदान किया जाता है, साथ ही, राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों के अलावा, उनके स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय संसाधनों की पूर्ति भी की जाती है।

अनुदान अवधि 2015-20 के लिए केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के निर्दिष्ट पहलुओं पर अनुशंसाएँ करने के लिए, चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) का गठन जनवरी 2013 में किया गया था और इसने 15 दिसंबर 2014 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 14वें वि.आ. ने बुनियादी सेवाओं⁶ की आपूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को धन के सुनिश्चित हस्तांतरण हेतु आश्वासन की अनुशंसा की थी, क्योंकि लोगों को इन सेवाओं का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान की जाने वाली बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। 14वें वि.आ. ने कुल मिलाकर पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) के संबंध में 23 अनुशंसाएँ की थी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया (24 फरवरी 2015)।

14वें वि.आ. की अनुशंसाओं के आलोक में, ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) को अनुदान उपलब्ध कराये गये, जो बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। 14वें वि.आ. ने प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान का आकलन किया और अनुशंसा किया कि अनुदान दो भागों में हो, यानी बुनियादी अनुदान (बीजी) और निष्पादन अनुदान (पीजी)। बीजी एवं पीजी का अनुशंसित अनुपात 90:10 (ग्रा.प. के संबंध में) था। अनुशंसित अनुदान, पं.रा.सं. के तीनों स्तरों में केवल, ग्राम पंचायत को ही प्रदान किया गया था, क्योंकि ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

⁶ जल आपूर्ति, सेप्टिक प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट-लाइटिंग, कब्रिस्तान और श्मशान घाटों का रखरखाव; और कोई भी अन्य बुनियादी सेवाएँ, प्रासंगिक कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के भीतर।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- झारखण्ड सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं का कुशल और प्रभावी क्रियान्वयन किया गया था।
- आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से 14वें वि.आ. अनुदान के उपयोग के लिए पर्याप्त योजना बनाई गई थी।
- वांछित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए अनुदानों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था।
- एक पर्याप्त और प्रभावी निगरानी प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद थी।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत निम्नलिखित थे:

- ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी करने एवं उनकी उपयोगिता के संबंध में 14वें वि.आ. का प्रतिवेदन और चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देश
- 14वें वि.आ. की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार तथा झारखण्ड सरकार द्वारा जारी अनुदान स्वीकृति पत्र, परिपत्र, सरकारी आदेश, निर्देश इत्यादि
- झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001
- झारखण्ड पंचायत राज (बजट एवं लेखा) नियमावली, 2010 एवं 2017
- झारखण्ड ट्रेजरी कोड, 2011; और
- झारखण्ड वित्तीय नियमावली

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा, जून 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान चयनित इकाइयों (*परिशिष्ट-2.1.1*) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के द्वारा की गई थी। विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा में सैंपल की गई इकाइयों का चयन, आकार के संभाव्य आनुपातिक (पी.पी.एस.) नमूना पद्धति का उपयोग करके किया गया था, जिसके द्वारा 24 जिला परिषदों में से छह यानी कुल जिला परिषदों का 25 प्रतिशत का चयन किया गया था। इन छह चयनित जिला परिषदों के तहत, 76 पंचायत समितियों में से 21 (28 प्रतिशत) और 580 ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) में से 63 (चयनित पंचायत समिति के तहत 11 प्रतिशत) ग्रा.प. को लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुश्रवण के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए, 14वें वि.आ. सिफारिशों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ग्रा.प. स्तर पर क्षमता संवर्धन एवं

राज्य सरकार को अनुदान की उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) समर्पित करने के लिए पंचायती राज विभाग और जिला पंचायत राज कार्यालयों (डीपीआरओ) के अभिलेखों की भी जाँच की गई।

इसके अतिरिक्त, योजना अभिलेखों की संवीक्षा के बाद चयनित साहिबगंज जिले के 15 कार्यों का विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया एवं फोटोग्राफिक साक्ष्य भी लिए गये।

10 जून 2022 को पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया था। प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर टिप्पणियाँ/जवाब प्राप्त करने के लिए प्रारूप प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी।

15 मई 2023 को पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित की गई थी। विभाग के प्रधान सचिव ने सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कदम उठाए जायेंगे। पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा कंडिकावार जवाब प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।


2.1.5 संगठनात्मक व्यवस्था

राज्य स्तर पर, पंचायती राज विभाग का नेतृत्व प्रधान सचिव/सचिव करते हैं, जो पंचायती राज संस्थानों के कामकाजों का समन्वय एवं अनुश्रवण करते हैं और ग्राम पंचायत द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राम पंचायत का नेतृत्व मुखिया करते हैं, जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी)-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) और पंचायत समिति (पं.स.) स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)-सह-कार्यपालक पदाधिकारी क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के कार्यकारी प्रमुख हैं। जबकि, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कार्यालय का प्रभारी होते हैं।

2.1.6 हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियों, जो चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और उसके तहत निधि के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं, को चार्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.1: हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ (पंचायती राज संस्थाएँ)



(स्रोत: 14वें वि.आ. के लिए झारखण्ड सरकार का परिचालन दिशानिर्देश)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) ने पंचायती राज संस्थानों से संबंधित विभिन्न मामलों के संबंध में 23 अनुशंसाएँ की थीं। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने राज्यों के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे (अक्टूबर 2015)।

झारखण्ड सरकार के द्वारा 19 अनुशंसाओं में से केवल चार अनुशंसाएँ ही क्रियान्वित की गईं।

14वें वि.आ. द्वारा पंचायती राज संस्थानों से संबंधित 23 अनुशंसाओं में से, 16 को राज्यों द्वारा, चार को भारत सरकार द्वारा, और शेष तीन को राज्यों और भारत सरकार दोनों के द्वारा लागू किया जाना था। 14वें वि.आ. से संबंधित पंचायती राज विभाग की संचिकाओं की संवीक्षा, क्रियान्वयन और लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों और उनसे प्राप्त तथ्यों और आँकड़ों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों से संबंधित 19 में से केवल चार अनुशंसाओं को झारखण्ड सरकार द्वारा पूरी

तरह से लागू किया गया था। 14वें वि.आ.की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का सारांश तालिका 2.1.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1.1

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का सारांश

क्र.सं.	अनुशंसाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत अनुदान केवल बुनियादी सेवाओं पर ही खर्च किया जाना था।	लागू किया गया
2.	स्थानीय निकायों की लेखा पुस्तकों का शीर्ष-वार संधारण किया जाना था, अर्थात् स्वयं के कर और गैर-कर, राज्य, वित्त आयोग और किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त अनुदान आदि।	लागू किया गया
3.	पंचायती राज संस्थानों से संबंधित अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। संसाधनों के वितरण के लिए नवीनतम राज्य वित्त आयोग के फॉर्मूला का उपयोग करके अनुदान वितरित किया जाना था।	राज्य वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय एवं तृतीय अवधि का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। लागू नहीं किया गया
4.	यदि राज्य वित्त आयोग का फॉर्मूला उपलब्ध न हो तो प्रत्येक गा.पं. का हिस्सा 2011 की जनसंख्या के आधार पर, जिसका भार 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका भार 10 प्रतिशत के साथ वितरित किया जाना था।	लागू किया गया
5.	निष्पादन अनुदान (पीजी) निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रदान किया गया था: (i) लेखापरीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थानीय निकायों की प्राप्ति और व्यय पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराना, और (ii) स्वयं के राजस्व में सुधार।	पंचायती राज विभाग, भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ग्राम पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती थी। लेकिन ग्राम पंचायतों के पास अपने स्वयं के स्रोतों से कोई राजस्व नहीं था। लागू नहीं किया गया
6.	निष्पादन अनुदान हेतु पात्र होने के लिए, पंचायतों को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा जमा करने थे जो पिछले दो वर्षों से पहले का न हो, और पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि भी दिखानी थी, जैसा कि लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया हो।	ग्राम पंचायतों के द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये गये थे। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा किये जा रहे थे। हालाँकि, पिछले वर्ष की तुलना में उनके स्वयं के राजस्व में वृद्धि नहीं देखी गई, क्योंकि ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व की उगाही नहीं की थी। लागू नहीं किया गया
7.	राजस्व सुधार के आधार पर ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान वितरण की विस्तृत प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा मार्च 2016 तक अधिसूचित की जानी थी।	राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की, लेकिन ग्राम पंचायतों को कर, शुल्क आदि लगाने का अधिकार नहीं दिया। लागू नहीं किया गया

क्र.सं.	अनुशंसाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
8.	रॉयल्टी से होने वाली आय का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जाना था, जिनके अधिकार क्षेत्र में खनन किया गया था।	झारखण्ड सरकार ने नियमावली नहीं बनाया और रॉयल्टी से प्राप्त आय को स्थानीय निकायों के साथ साझा नहीं किया। लागू नहीं किया गया
9.	राज्यों को बेटरमेंट टैक्स लगाने के लिए नियमों की एक रूपरेखा तैयार करनी थी।	झारखण्ड सरकार ने बेटरमेंट टैक्स लगाने संबंधी नियम नहीं बनाए। लागू नहीं किया गया
10.	धनराशि के उपयोग में अनियमितता पाए जाने या इंगित किए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी थी।	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए स्थानीय निकायों पर तैयार किये गये वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर)/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को मार्च 2024 में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) में चर्चा के लिए रखा गया है। लागू नहीं किया गया

(स्रोत: 14वें वि.आ. का प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग और नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

14वें वि.आ. द्वारा पंचायती राज संस्थानों के संबंध में की गयी सभी 23 अनुशंसाओं एवं उन पर की गई कार्रवाई की विवरणी इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-2.1.2** में दी गई है। 14वें वि.आ. की अनुशंसाओं को लागू न करने के निहितार्थों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.8 नियोजन


2.1.8.1 ग्राम पंचायत में योजनाओं के नियोजन की प्रक्रिया

ग्राम पंचायतों को 14वें वि.आ. अनुदान, प्रासंगिक विधान के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बुनियादी सेवाओं की योजना बनाने और वितरण के लिए थे। इस संबंध में सभी व्यय, लागू नियमों⁷ और विनियमों के अनुसार, योजना बनाने के बाद ही पंचायतों द्वारा किये जाने थे। पंचायती राज संस्थाओं में योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन की प्रक्रिया चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है।

⁷ पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तैयार किये गये अधिनियम एवं नियमावली जो पंचायती राज संस्थानों पर लागू हैं यथा झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2011 एवं झारखण्ड पंचायत राज (बजट एवं लेखा) नियमावली, 2010 एवं 2017

चार्ट 2.1.2

ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं के अनुमोदन प्रणाली



(स्रोत: पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार)

2.1.8.2 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) की सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायत को अनुदानों के उपयोग के लिए उचित योजनाएँ बनानी थीं। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए (मार्च 2017) जिसके तहत ग्राम पंचायतों को अपने अधीन सभी वार्डों के स्वीकृत कार्यों को समेकित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार करनी थीं। इसके अलावा, झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 10 (2) के अनुसार, ग्राम पंचायत को अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करनी थीं, और अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से तीन महीने पूर्व उन्हें ग्राम सभा की वार्षिक बैठकों में रखना था।

नमूना जाँचित ग्राम पंचायतों में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान, ग्राम पंचायतें, वार्षिक योजनाओं के बदले, निधि/अनुदान प्राप्त करने के

बाद, वित्तीय वर्ष के लिए केवल योजनाओं की एक सूची तैयार करती थीं तथा उसे ग्राम सभाओं में रखती थीं तथा तदनुसार उन्हें क्रियान्वित करती थीं। वित्त वर्ष 2015-16 में 14वें वि.आ. की अवधि प्रारम्भ होने पर, ग्राम पंचायत को 14वें वि.आ. का अनुदान जारी करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी)⁸ भी उपलब्ध कराने के लिए कहा (जून 2015)। हालाँकि, ग्राम पंचायतों के द्वारा एएपी, पंचायती राज विभाग को उपलब्ध नहीं कराये गए थे तथा अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिससे यह पता चले कि ग्राम पंचायतों द्वारा एएपी प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों के द्वारा कोई प्रयास किया गया था।

आगे, राज्य सरकार द्वारा जीपीडीपी तैयार करने हेतु मार्च 2017 में एक संकल्प पारित किया गया। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों⁹ से यह अपेक्षा की गई थी कि वे ग्राम पंचायत के लिए क्षेत्र-वार गतिविधियों को समेकित करें एवं उसे प्राथमिकता दें। जीपीडीपी का उद्देश्य सूचना और आँकड़े (जो आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किया जाना था) के संग्रह के बाद, ग्राम पंचायतों को बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करना था।

जबकि, नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतें वर्ष 2019 से जीपीडीपी तैयार कर रहे थे, ये जीपीडीपी स्थायी समिति की सिफारिशों के बिना और आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित किए बगैर तैयार किए जा रहे थे। वर्ष 2019 से पहले, नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतें वार्षिक योजनाओं और पंच-वर्षीय योजनाओं की तैयारी के बदले, ग्राम सभाओं में

⁸ 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में बताया गया है कि ग्रा.प. के एएपी में संसाधन लिफाफे की उपलब्धता, ग्रा.प. के क्षेत्रों के स्थितिजन्य विश्लेषण सर्वेक्षण पर ग्राम सभा द्वारा योजनाओं की पहचान, निर्धारित करना शामिल होना चाहिए। विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों के लिए संभावित समाधान, स्थायी समितियों द्वारा क्षेत्र-वार गतिविधियों की पहचान, योजना चयन में प्राथमिकताओं का निर्धारण और उनके लिए धन का निर्धारण आदि।

⁹ सामान्य प्रशासनिक समिति - संसाधन लिफाफे की जानकारी प्राप्त करने के बाद बजट तैयार करना और पंचायत सचिव और मुखिया के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उसे ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना।

निर्माण तथा विकास समिति - ग्राम पंचायत में निर्माण और विकास के लिए लेआउट तैयार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वन एवं पर्यावरण के लिए समिति- स्कूलों का निरीक्षण, शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण, एकीकृत बाल विकास योजनाओं का निरीक्षण, आँगनवाड़ी, वयस्क शिक्षा, परिवार नियोजन, टीकाकरण और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए प्रोत्साहन।

महिलाओं, शिशु एवं समाज कल्याण के लिए समिति- विकलांगों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं की तैयारी, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और पिछड़े वर्गों का सामाजिक कल्याण एवं विकास।

कृषि, सहकारिता, सार्वजनिक संपदा एवं उद्योग समिति- कृषि, मत्स्य पालन, खेल-कूद, सार्वजनिक संपदा और उद्योग से संबंधित कार्य।

संचार और अधोसंरचना समिति- संचार और बुनियादी ढाँचे से संबंधित गतिविधियाँ और **ग्राम सुरक्षा समिति**- ग्राम सुरक्षा से संबंधित गतिविधियाँ।

वित्त वर्ष में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की एक सूची तैयार करते थे और तदनुसार उन्हें क्रियान्वित करते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि भारत सरकार ने 14वें वि.आ. की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी (अक्टूबर 2015) किए थे, तथापि राज्य सरकार ने 18 महीने की देरी से ग्राम पंचायत स्तर पर 14वें वि.आ. अनुदान के उपयोग के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी (अप्रैल 2017) किए। इसके अलावा, यह देखा गया कि, हालाँकि नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने जी.पी.डी.पी. के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सभी सात स्थायी समितियों का गठन किया था, लेकिन ये समितियाँ क्रियाशील नहीं थीं।

जवाब में, पंचायती राज विभाग ने बताया (सितंबर 2024) कि 2019 से जीपीडीपी की चयनित योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। आगे बताया गया कि झारखंड पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों के पदावधि, कार्यकाल और स्थायी समिति के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी समितियों के गठन और कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ग्रा.प. को निर्देश जारी किए गए थे। ग्राम पंचायतों को नियमों का पालन करने हेतु पुनः निर्देश जारी किये जायेंगे।


पंचायती राज विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये नियम 2011 से ही अस्तित्व में होने के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण स्थायी समितियों के अनिवार्य कामकाज पर असर पड़ा। इसके कारण नियमों के लागू होने के 13 साल बाद भी ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियाँ कार्यरत नहीं हो सकी।

अनुशंसा 1: इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 14वें वि.आ. अनुदान के उपयोग के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।

2.1.9 वित्तीय प्रबंधन

ग्राम पंचायतों को 14वें वि.आ. अनुदान की विमुक्ति की निधि प्रवाह प्रणाली चार्ट 2.1.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.1.3: 14वें वि.आ. का निधि प्रवाह



(स्रोत: पंचायती राज संस्थानों के अनुदान स्वीकृति एवं आवंटन पत्र)

2.1.9.1 14वें वि.आ. अनुदान की विमुक्ति एवं उपयोगिता

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) ने विधिवत गठित ग्राम पंचायत को दो भागों में सहायता अनुदान (जीआईए) की अनुशंसा की थी, अर्थात्, (i) बुनियादी अनुदान¹⁰ (बीजी) और (ii) निष्पादन अनुदान¹¹ (पीजी)। साथ ही आयोग ने निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों के लिए दो शर्तों¹² की अनुशंसा की थी।

14वें वि.आ. ने वर्षवार प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान का आकलन किया था और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति को समर्थन देने तथा मजबूत करने के लिए बुनियादी अनुदान और निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की थी। ग्राम पंचायत के संबंध में बुनियादी अनुदान (बीजी) एवं निष्पादन अनुदान (पीजी) के बीच अनुदान के विभाजन का अनुपात 90:10 था।

14वें वि.आ. ने अनुशंसित किया कि सहायता अनुदान को समग्र स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹ 488 की सहायता के रूप में जारी किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड की ग्रामीण जनसंख्या 2,50,55,073 थी। इसलिए, 2015-20 की अवधि के लिए 14वें वि.आ. के तहत भारत सरकार द्वारा ₹ 6,113.44 करोड़¹³ जारी किए जाने थे। हालाँकि, भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत) के लिए ₹ 6,046.73 करोड़ (बीजी के रूप में ₹ 5,442.07 करोड़ और पीजी के रूप में ₹ 604.66 करोड़) की पात्रता/हकदारी तय की।

वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा तय सहायता अनुदान की पात्रता एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है।

¹⁰ बुनियादी अनुदान: बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए गा.प. को प्रदान किया गया।

¹¹ निष्पादन अनुदान: प्राप्ति और व्यय के आँकड़े और स्वयं के राजस्व में सुधार के साथ-साथ विश्वसनीय लेखापरीक्षित खातों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

¹² गा.प. को लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जो उस वर्ष से ठीक पहले दो साल से पूर्व के नहीं होने चाहिए जिसमें गा.प. ने पीजी का दावा करना चाहा था। उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि दिखाने की भी आवश्यकता थी, जैसा कि लेखापरीक्षित खातों में दर्शाया गया है।

¹³ ₹ 488 x 2,50,55,073 x 5 वर्ष = ₹ 61,13,43,78,120

तालिका 2.1.2

अनुदान की हकदारी एवं विमुक्त किये गये अनुदान

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	बुनियादी अनुदान			निष्पादन अनुदान		
	भारत सरकार द्वारा तय की गई पात्रता	भारत सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को विमुक्त राशि	झारखण्ड सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को विमुक्त राशि	भारत सरकार द्वारा तय की गई पात्रता	भारत सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को विमुक्त राशि	झारखण्ड सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को विमुक्त राशि
2015-16	652.83	652.83	652.83	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	903.96	903.96	903.96	118.57	118.57	118.57
2017-18	1,044.45	1,044.45	1,044.45	134.18	0	0
2018-19	1,208.24	1,208.24	604.11	152.38	0	0
2019-20	1,632.59	1,632.59	2,236.72	199.53	0	0
कुल	5,442.07	5,442.07	5,442.07	604.66	118.57	118.57

(स्रोत: पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख)

राज्य ने जनवरी 2022 तक चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की राशि ₹ 258.22 करोड़ का उपयोग नहीं किया।

राज्य की ग्राम पंचायतों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की राशि ₹ 258.22 करोड़ (जनवरी 2022 तक) का उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 तक शेष राशि के उपयोग की अनुमति (जून 2022) दी थी, तथापि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को अनुदान की शेष राशि का उपयोग अक्टूबर 2022 तक करने का निर्देश (जून 2022) दिया था। हालाँकि, ग्राम पंचायतें मार्च 2023 तक लक्षित उद्देश्य के लिए अनुदान का उपयोग नहीं कर सकीं।

पंचायती राज विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2024) कि चूँकि ग्राम पंचायतों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था, इसलिए उक्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जा रहा था।

इसके अलावा, 14वें वि.आ. अनुदान की ₹ 79.72 लाख के प्रावधानित अनुदान राशि को बुनियादी सेवाओं के लिए उपयोग करने के बजाय कनीय अभियंताओं और अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय के लिए उपयोग किया गया था। यह भी देखा गया कि जनवरी 2022 तक 11 नमूना-जाँचित पंचायत समिति¹⁴ और तीन नमूना-जाँचित डीपीआरओ (बोकारो, गिरिडीह और साहिबगंज) में क्रमशः ₹ 40.62 लाख और ₹ 39.10 लाख की अनुदान राशि वितरित नहीं की गई थी।

¹⁴ बोकारो-चंदनक्यारी- ₹ 1.44 लाख, पूर्वी सिंहभूम- गोलमुरी- ₹ 9.08 लाख, गिरिडीह-जमुआ- ₹ 3.01 लाख, हजारीबाग-बरकड़ा- ₹ 2.79 लाख, चौपारण- ₹ 1.32 लाख, राँची-बुरमू- ₹ 10.81 लाख, कांके- ₹ 0.68 लाख, नामकुम- ₹ 0.07 लाख, रातू- ₹ 9.31 लाख, तमाड़- ₹ 0.98 लाख, साहिबगंज-राजमहल- ₹ 1.13 लाख

पंचायती राज विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि (सितंबर 2024) संबंधित जिलों के डीपीआरओ को उचित कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे।

यह भी देखा गया कि, पंचायती राज विभाग ने लोहरदगा जिले की चार पंचायत समितियों के अंतर्गत आठ ग्राम-पंचायतों को ₹ 3.84 लाख के कम बुनियादी अनुदान एवं चार पंचायत समितियों अंतर्गत 19 ग्राम-पंचायतों को उनकी पात्रता के विरुद्ध ₹ 1.46 लाख के अधिक बुनियादी अनुदान विमुक्त किये गये थे (*परिशिष्ट-2.1.3*)।

पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और आश्वस्त किया (सितंबर 2024) कि दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार निधियों को आवंटित किया जाएगा।

2.1.9.2 निष्पादन अनुदान की हानि

स्वयं के राजस्व के गैर-संग्रहण के कारण, राज्य सरकार को ₹ 486.09 करोड़ के निष्पादन अनुदान की हानि हुई।

निष्पादन अनुदान (पीजी) की पात्रता के लिए, ग्राम पंचायतों को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होते थे, जो उस वर्ष से दो वर्ष पूर्व के नहीं होने चाहिए, जिसमें संबंधित ग्राम-पंचायतों ने पीजी का दावा किया था। साथ ही, लेखापरीक्षित लेखाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 'स्वयं के राजस्व' में वृद्धि को दर्शाना आवश्यक था। इसके अलावा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 95 में कहा गया है कि राज्य सरकार, पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले होल्डिंग के दखलकार पर, चलाये जाने वाले व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और नियोजनों पर कर, वाहनों के निबंधन पर फीस, तीर्थस्थानों, हाटों और मेलों में स्वच्छता साधनों के प्रबंध पर शुल्क, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता कर के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण एवं हिस्सा बाँटने का विनियम करने के लिए नियम बना सकेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रतिवर्ष पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जा रही थी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा करों के अधिरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण के लिए कोई नियम एवं विनियम निर्धारित नहीं किए गए थे। इसलिए, ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व एकत्र करने के लिए किसी भी प्रकार का कर, शुल्क आदि नहीं लगा सकती थीं। ग्राम पंचायतों के लेखापरीक्षित लेखाओं में राजस्व के स्वयं के स्रोतों (ओएसआर) में वृद्धि की कोई प्रवृत्ति प्रतिबिंबित नहीं थी।

समन्वय समिति¹⁵ ने अपनी चौथी बैठक में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए झारखण्ड सरकार को ₹ 118.57 करोड़ का निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा की (मार्च 2017), क्योंकि राज्य ने पात्रता और वितरण मानदंडों को 14वें वि.आ. सिफ़ारिशों के अनुसार अधिसूचित¹⁶ किया था। हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने

¹⁵ 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।


¹⁶ पत्र संख्या 02 गा यो-05 /2015/238 दिनांक 20 जनवरी 2017

निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया था और इसलिए, झारखण्ड सरकार को निष्पादन अनुदान के ₹ 486.09 करोड़ जारी नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, अनुदान अवधि 2016-20 के लिए राज्य सरकार को निष्पादन अनुदान के अंतर्गत कुल दावेदारी ₹ 604.66 करोड़ में से ₹ 118.57 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दावेदारी राशि का 19.61 प्रतिशत) और अपनी निष्पादन अनुदान दावेदारी प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा न करने के कारण ₹ 486.09 करोड़ (दावेदारी राशि का 80.39 प्रतिशत) निष्पादन अनुदान की राशि की दावेदारी समाप्त हो गई।

इस प्रकार, झारखण्ड सरकार को निष्पादन अनुदान की कुल दावेदारी का केवल 19.61 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ, जैसा कि चार्ट 2.1.4 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.1.4



जवाब में, पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (सितंबर 2024) कि 14वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को पीजी जारी करना पिछले वर्ष से "स्वयं के राजस्व में वृद्धि" के मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर था। हालाँकि, ग्राम पंचायतें इस मानदंड को पूरा करने में असमर्थ थीं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा कर लगाने और उनके संग्रह द्वारा स्वयं के राजस्व बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए, भारत सरकार ने राज्य सरकार को निष्पादन अनुदान की पूरी राशि आवंटित नहीं की।

पंचायती राज विभाग ने आगे बताया कि राज्य सरकार स्वयं के राजस्व के लिए कर लगाने और एकत्र करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ देने पर सक्रियता से विचार कर रही है।

2.1.9.3 ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान का अनियमित संवितरण

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए, वित्त वर्ष 2014-15 के

ग्राम पंचायतों के लेखों का लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए था और वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में स्वयं के राजस्व में वृद्धि दर्शाई जानी चाहिए थी।

आगे, भारत सरकार के निर्देशों (सितंबर 2016) पर, झारखण्ड सरकार ने अधिसूचित किया (जनवरी 2017) कि 90 प्रतिशत पीजी का वितरण ग्राम पंचायतों को लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने के मानदंडों को पूरा करने के बाद किया जाएगा, जो उस वर्ष से दो वर्ष पहले से संबंधित नहीं होना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायतों ने पीजी का दावा किया हो। इसके अतिरिक्त, यदि ग्राम पंचायतें अपने राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाती हैं, जैसा कि लेखापरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया हो, तो 10 प्रतिशत राशि विमुक्त की जाएगी।

समन्वय समिति ने अपनी चौथी बैठक में, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए झारखण्ड सरकार को ₹ 118.57 करोड़ का निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा की (मार्च 2017), क्योंकि राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पात्रता और वितरण मानदंडों को अधिसूचित¹⁷ किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 118.57 करोड़ के निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हुई (31 मार्च 2017), जिसे ग्राम पंचायतों को वितरित कर दिया गया था। पंचायती राज विभाग ने 24 जिलों के 4,384 ग्राम पंचायतों को ₹ 106.71 करोड़ जारी किए, जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर निष्पादन अनुदान का 90 प्रतिशत तथा 11 जिलों¹⁸ के 116 ग्राम पंचायतों को ₹ 11.86 करोड़ (₹ 118.57 करोड़ - ₹ 106.71 करोड़) था, जो कि, स्वयं के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर निष्पादन अनुदान का 10 प्रतिशत था, जैसा कि वित्त वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, इस तथ्य के विपरीत, ग्राम पंचायतों के इन 116 लेखापरीक्षित लेखों में से किसी में भी विगत वर्ष में स्वयं के राजस्व में वृद्धि नहीं दर्ज की गई थी।

इस प्रकार, पंचायती राज विभाग ने निष्पादन अनुदान जारी करने की शर्तों का पालन किए बिना, 116 ग्राम पंचायत को अनियमित रूप से ₹ 11.86 करोड़ जारी किए थे।

जवाब में, पंचायती राज विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितंबर 2024) एवं कहा कि इस मुद्दे को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट कर लिया गया है।

2.1.9.4 ब्याज का भुगतान न करना

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य को भारत सरकार द्वारा उक्त अनुदान उनके लेखा में जमा किए जाने के 15 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों

¹⁷ पत्र संख्या 02 गा यो -05/2015/238 दिनांक 20 जनवरी 2017

¹⁸ दुमका-15, देवघर-4, पूर्वी सिंहभूम-10, गिरिडीह-10, गोड्डा-3, खूँटी-5, कोडरमा-9, लोहरदगा-9, सरायकेला-खरसावां-20, सिमडेगा-11 और पश्चिमी सिंहभूम-20

को जारी करना था, ऐसा न करने पर राज्य अपने स्वयं के कोष से आरबीआई बैंक दर पर स्थानीय निकाय को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि पंचायती राज विभाग ने निर्धारित समय सीमा से 11 से 210 दिनों के विलंब के साथ ग्राम पंचायतों को निधियाँ हस्तांतरित की थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत को 15 दिनों के भीतर निधि हस्तांतरित दिखाते हुए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को प्रमाण पत्र निर्गत किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.04 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.4) की ब्याज देनदारी बनी। हालाँकि, विभाग ने ग्राम पंचायतों को ₹ 53.04 करोड़ में से केवल ₹ 9.61 करोड़ का भुगतान किया था, और ब्याज राशि का ₹ 43.43 करोड़ अभी भी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना शेष था।

पंचायती राज विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2024) कि ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी करने में देरी पर ब्याज राशि का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और तदनुसार भुगतान के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी।

2.1.9.5 ग्राम पंचायतों से नवगठित शहरी स्थानीय निकायों को बुनियादी अनुदान का हस्तांतरण

उच्च-स्तरीय निगरानी समिति (एचएलएमसी) ने अपनी बैठक (30 नवंबर 2017) में निर्णय लिया कि वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी अनुदान को उन ग्राम पंचायतों से पंचायती राज विभाग को वापस जमा किया जाना चाहिए, जिन्हें या तो मौजूदा शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय कर दिया गया था या नए शहरी स्थानीय निकायों के रूप में गठित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 47 ग्राम पंचायत को या तो मौजूदा शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.) में विलय कर दिया गया था या नए श.स्था.नि. के रूप में गठित किया गया था अर्थात् जनवरी 2016 से सितंबर 2018 तक ढाई साल की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया था। यह भी देखा गया कि पंचायती राज विभाग ने इन ग्राम पंचायतों को ₹ 20.86 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.5) का अनुदान जारी (जनवरी 2016 से सितंबर 2019 तक) किया था, भले ही उन्हें श.स्था.नि. के रूप में अधिसूचित किया गया था।

हालाँकि, एचएलएमसी के इस निर्णय के बावजूद, नव गठित श.स्था.नि. के पास पड़ी सहायता अनुदान और अनुदान की राशि ₹ 20.86 करोड़ के संग्रह के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जवाब में, पंचायती राज विभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि इस मुद्दे को मार्गदर्शन के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.1.9.6 संचालन व रखरखाव तथा पूँजीगत व्यय में अनियमितताएँ

14वें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि बी.जी. की कुल राशि का 10 प्रतिशत परिचालन एवं रख-रखाव (ओ. एंड एम.) और पूँजीगत व्यय के लिए किया जाना चाहिए। हालाँकि, इन राशियों का उपयोग पहले से ही अन्य योजनाओं से वित्त पोषित गतिविधियों, अभिनंदन/सांस्कृतिक समारोह/सजावट/उद्घाटन, मानदेय, निर्वाचित प्रतिनिधियों के यात्रा भत्ता (टीए/डीए) और मौजूदा कर्मचारियों के वेतन/मानदेय-स्थायी और अनुबंध, दान/अनुदान, मनोरंजन, एयर कंडीशनर की खरीद और वाहनों की खरीद पर व्यय के लिए नहीं किया जाय।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों में, संचालन व रख-रखाव और पूँजीगत व्यय पर खर्च की गई राशि निर्धारित सीमा से अधिक थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 2015-22 के दौरान ₹ 10.21 करोड़ के अनुदान के विरुद्ध संचालन व रख-रखाव तथा पूँजीगत व्यय पर ₹ 1.53 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.6) खर्च किए थे, जो कुल बुनियादी अनुदान का 15 प्रतिशत था, अर्थात् निर्धारित सीमा 5 प्रतिशत से अधिक ₹ 0.51 करोड़ का व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँचित 35 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-22 की अवधि में स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, प्रोजेक्टर क्रय, योग दिवस समारोह, ईंधन क्रय, मुख्यमंत्री का दौरा, विधानसभा चुनाव के दौरान पेंटिंग कार्य जैसी मदों/गतिविधियों पर ₹ 17.99 लाख व्यय किए गए (परिशिष्ट-2.1.7)।

चूँकि 14वें वि.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान का उपयोग सम्मान/सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंधित था, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर किये गये व्यय उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप नहीं थे।

(i) 14वें वि.आ. अनुदान के संबंध में पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया (जनवरी 2017) कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ग्राम पंचायत में काम करने के लिए नियुक्त कनीय अभियंता और अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानदेय का भुगतान करेंगे। बीडीओ अलग से लेखाओं का संधारण करेंगे, जहाँ संबंधित ग्राम पंचायतें अपने हिस्से का मानदेय जमा करेंगी। हालाँकि, पंचायती राज विभाग ने अपने निर्देश (जुलाई 2018) को संशोधित किया और अगस्त 2018 से उक्त लेखाओं का संधारण और उसमें से मानदेय के वितरण के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारियों (डी.पी.आर.ओ.) को अधिकृत किया। नमूना जाँचित पंचायत समिति और डी.पी.आर.ओ. के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पता चला कि मानदेय का उपयोग 14वें वि.आ. अनुदान के तहत योजनाओं के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(क) पूर्वी सिंहभूम के दो ग्राम पंचायतें¹⁹ और बोकारो जिले (चास) के एक पंचायत समिति ने कंप्यूटर ऑपरेटरों को ₹ 3.73 लाख²⁰ का भुगतान किया था, इस तथ्य के विपरीत कि उन्हें 14वें वि.आ. से संबंधित कार्यों के लिए नहीं लगाया गया था।

(ख) चार जिलों²¹ के सात पंचायत समितियों ने अस्वीकार्य मदों, जैसे वस्तुओं की खरीद, ईंधन, सांस्कृतिक समारोहों के आयोजन आदि पर ₹ 13.18 लाख खर्च किए थे।

(ग) जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डीपीआरओ), साहिबगंज ने अगस्त 2018 से दिसंबर 2018 तक पाँच कनीय अभियंताओं को दो बार समान अवधि के लिए ₹ 3.36 लाख का भुगतान किया था। इसके अलावा, अप्रैल 2019 के महीने के लिए एक अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर को दो बार ₹ 10,500 का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, डीपीआरओ, साहिबगंज ने खाते से ₹ 2.32 लाख की निकासी की, जिसे मानदेय भुगतान के लिए खर्च नहीं किया गया था।

पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (सितंबर 2024) कि ग्राम पंचायतों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और निर्देशों में निहित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएँगे।

ii) वस्तुओं की खरीद

पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला परिषदों के डीडीसी-सह-सीईओ को एक क्रय समिति गठित करने का निर्देश दिया (मार्च 2017), जिसका उद्देश्य 14वें वि.आ. अनुदान से ग्राम पंचायतों द्वारा खरीदी जाने वाली सामान्य प्रकृति की सभी वस्तुओं की कीमतों में एकरूपता सुनिश्चित करना था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 45 ग्राम पंचायतों में ₹ 5.20 करोड़ की लागत वाली वस्तुएँ (परिशिष्ट-2.1.8) बिना किसी क्रय समिति के गठन के खरीदी गई थीं। उन्होंने किसी भी तीन एजेंसियों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर वस्तुएँ खरीदी थीं।

इस प्रकार, क्रय समिति का गठन न किया जाना पंचायती राज विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा उक्त समिति की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा, कीमतों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर भी आश्वस्त नहीं हो सका।

पंचायती राज विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

¹⁹ धोलाबेड़ा और केंदुआ

²⁰ पूर्वी सिंहभूम- ₹ 0.69 लाख और चास- ₹ 3.04 लाख

²¹ बोकारो-पंचायत समिति (पं.स.) चास- ₹ 96,000, चंदनक्यारी- ₹ 5,11,936, पूर्वी सिंहभूम- पं.स. गोलमुरी- ₹ 26,544, हज़ारीबाग- पं.स. चौपारण- ₹ 55,400, और राँची- पं.स. तमाड़- ₹ 2,62,192, पं.स. नामकुम- ₹ 2,97,993 और काँके- ₹ 68,325

2.1.10 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करना

भारत सरकार द्वारा जारी 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 14वें वित्त आयोग का अनुदान हर साल जून और अक्टूबर में दो किस्तों में जारी²² किया जाना था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बुनियादी और निष्पादन अनुदान की दूसरी और बाद की किस्तों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में पिछली किस्तों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ग्राम पंचायत को अनुदान जारी करने के संबंध में प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक था।

इसके अलावा, 14वें वित्त आयोग का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना था। यदि अनुदान निर्धारित समय के भीतर हस्तांतरित नहीं किया जाता, तो राज्य सरकार को विलंब से जारी दिनों की संख्या के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज देना पड़ता।

राज्य सरकार ने 2015-20 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित अनुदान की पूरी राशि के विरुद्ध भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए थे। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इसकी पहली किस्त (जुलाई 2015) में जारी करने की वास्तविक तारीख से 29 दिनों की देरी से जारी की। तथापि, राज्य सरकार ने जारी की गई राशि की अगली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को 21 दिन से 183 दिन की देरी से प्रस्तुत किए।

पंचायती राज विभाग द्वारा संधारित कोषागार पंजी की जाँच से पता चला कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को निर्धारित सीमा से 10 से 210 दिनों के विलंब से निधि जारी की गई (*परिशिष्ट-2.1.9*)। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को जारी किए गए अनुदानों के लिए प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में, आवंटन की तिथियों को अनुदान के हस्तांतरण की तिथियों के रूप में दिखाया गया था, जबकि आवंटन की तिथियों और जारी करने की तिथियों के बीच अंतराल था। इसके अलावा, भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अनुसार, अनुदान की सम्पूर्ण राशि निर्धारित समयावधि के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई थी, यद्यपि अनुदान के हस्तांतरण में विलंब के मामले देखे गये थे, जैसा कि **कंडिका 2.1.9.4** में चर्चा की गई है।

इसके अलावा, नमूना-जाँचित किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज विभाग के निर्देशों (मार्च 2017) के अनुसार, जिला परिषदों के डीडीसी-सह-सीईओ को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

²² वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग डिवीज़न), भारत सरकार द्वारा निर्गत चौदहवें वित्त आयोग के संबंध में निर्गत दिशानिर्देश संख्या: 13(32)एफ.एफ.सी./एफ.सी.डी./2015-16, के खंड संख्या 16 एवं 19 (i).

मार्च 2022 तक ग्राम पंचायतों के विरुद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का सारांश तालिका 2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण में वित्त वर्ष-वार विलंब की विवरणी

वित्त वर्ष	किस्तों की संख्या	अनुदान विमुक्त करने का अपेक्षित माह	भारत सरकार द्वारा विमुक्त अनुदान (₹ करोड़ में)	झारखंड सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने की तिथि	भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने में विलंब	भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षित तिथि (कॉलम 3 के अनुसार)	झारखंड सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि	झारखंड सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-16	पहली	जून 2015	326.41	29.07.2015	29 दिन	30.09.2015	31.03.2016	183 दिन
	दूसरी	अक्टूबर 2015	326.41	31.03.2016	150 दिन	31.05.2016	21.06.2016	21 दिन
2016-17	पहली	जून 2016	451.98	04.07.2016	4 दिन	30.09.2016	11.11.2016	42 दिन
	दूसरी	अक्टूबर 2016	451.98	11.01.2017	101 दिन	31.05.2017	11.05.2017	-
2017-18	पहली	जून 2017	522.23	19.06.2017	नहीं	30.09.2017	07.11.2017	38 दिन
	दूसरी	अक्टूबर 2017	522.23	21.12.2017	42 दिन	31.05.2018	16.03.2018	-
2018-19	पहली	जून 2018	604.12	13.06.2018	नहीं	30.09.2018	31.12.2018	92 दिन
	दूसरी	अक्टूबर 2018	604.12	26.04.2019	176 दिन	31.05.2019	02.07.2019	32 दिन
2019-20	पहली	जून 2019	816.30	30.07.2019	30 दिन	30.09.2019	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	दूसरी	अक्टूबर 2019	816.30	25.10.2019	नहीं	31.05.2020	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

(स्रोत: पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार के अभिलेख)

*अगली किस्त के अनुसार देय तिथियाँ निर्धारित की जाएंगी (उसी वर्ष 30 सितम्बर तथा उसके अगले वर्ष 31 मई)

तालिका 2.1.3 से, यह स्पष्ट है कि, राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भारत सरकार की ओर से बाद में अनुदान विमुक्त करने में विलंब हुआ, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित धनराशि से वंचित होना पड़ा।

पंचायती राज विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया (सितंबर 2024) और निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा 2: उपयोगिता प्रमाण-पत्र का ससमय प्रस्तुतीकरण एवं 14वें वि.आ. अनुदान पात्रता के लिए पात्रता शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.11 स्थानीय निकायों के अपने स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति

14वें वि.आ. ने अनुशंसा की थी कि स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालाँकि, पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों द्वारा करों के संग्रह के लिए कोई नियम नहीं बनाया, जिससे वे स्वयं के राजस्व के सृजन के अवसरों से वंचित हो गए।

एचएलएमसी, झारखण्ड सरकार ने पंचायती राज विभाग को कर, शुल्क आदि लगाने के लिए कानूनों/नियमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जाँच करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उनके स्वयं में राजस्व के सृजन के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया (फरवरी 2017)। इसके अलावा, एच.एल.एम.सी. ने अपनी बैठक (20 दिसंबर 2017) में निर्णय लिया गया कि राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) से अनुमोदन प्राप्त करके पंचायतों द्वारा कर/शुल्क आदि लगाने के लिए पंचायती राज विभाग एक प्रस्ताव तैयार करेगा।

तदनुसार, पंचायती राज संस्थानों में स्वयं के राजस्व (ओएसआर) के संग्रहण और संवर्धन के लिए नियमों/अधिनियमों/विनियमों/निर्देशों आदि के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जाँच के लिए पंचायती राज विभाग ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया²³। तीन सदस्यीय टीम ने ओएसआर में वृद्धि के लिए विभाग को निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे (जुलाई 2017):

- क) झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 के प्रावधानों और पंचायती राज संस्थानों को सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए नियम तैयार करना।
- ख) राज्य सरकार मकानों के प्रकार के अनुसार आवश्यक होल्डिंग चार्ज/फीस की सीमा तय करेगी।²⁴
- ग) कर, शुल्क आदि की वसूली न होने की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान करना।
- घ) कर, शुल्क आदि के संग्रहण हेतु मानव संसाधनों की व्यवस्था करना।

हालाँकि, समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के पाँच वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी राज्य सरकार ने ऐसे नियम/विनियम नहीं बनाए थे।

इसके अलावा, 14वें वि.आ. की एक अनुशंसा में कहा गया था कि रॉयल्टी से होने वाली आय का कुछ हिस्सा उन स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में खनन किया गया हो। हालाँकि, राज्य सरकार ने रॉयल्टी के बंटवारे के लिए कोई नियम और विनियम नहीं बनाए थे। दो नमूना-जाँचित जिलों (गिरिडीह: ₹ 217.34 करोड़ और बोकारो: ₹ 7.40 करोड़) में, वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान रॉयल्टी के रूप में वसूल की गई थी, लेकिन, कोई नियम और विनियम नहीं बनने के कारण राज्य सरकार द्वारा, संबंधित स्थानीय निकायों के साथ

²³ कार्यालय आदेश संख्या 114 दिनांक 21/4/2017, कार्यालय आदेश संख्या 175 दिनांक 23/6/2017 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 183 दिनांक 6/7/2017।

²⁴ 'होल्डिंग टैक्स' या 'संपत्ति कर' एक वार्षिक शुल्क है जिसे स्थानीय निकायों (पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम) को भुगतान करना आवश्यक है। होल्डिंग टैक्स लगाकर अर्जित धन का उपयोग क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और सीवेज सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, पार्क आदि सहित अन्य प्रमुख सुविधाओं के रखरखाव के लिए किया जाता है।

कोई रॉयल्टी साझा नहीं की गई, जिससे उनके स्वयं के राजस्व के सृजन पर असर पड़ा।

पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (सितंबर 2024) और कहा कि कोई रॉयल्टी साझा नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार ने करों के लगाने और संग्रह के लिए कोई नियम और विनियम नहीं बनाए थे। यह भी आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने पर विचार कर रही है।

2.1.12 14वें वि.आ. अनुदान के अंतर्गत किये गये कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय कार्य की प्रगति

14वें वि.आ. अनुदान से नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तालिका 2.1.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1.4 14वें वि.आ. अनुदान के तहत निष्पादित कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रगति					भौतिक प्रगति		
	प्रारंभिक शेष	प्राप्त निधि ²⁵	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंतिम शेष	ली गई योजनाएँ	पूर्ण योजनाएँ	पूर्णता का प्रतिशत
1	2	3	4 (2+3)	5	6(4-5)	7	8	9
2015-16	शून्य	4.33	4.33	0.41	3.92	84	76	90
2016-17	3.92	16.52	20.44	11.85	8.59	951	920	97
2017-18	8.59	16.93	25.52	13.29	12.23	861	816	95
2018-19	12.23	9.92	22.15	15.79	6.36	874	837	96
2019-20	6.36	32.12	38.48	26.44	12.04	1,223	1,148	94
2020-21	12.04	0.21	12.25	9.95	2.30	26	26	100
2021-22	2.30	0.05	2.35	1.38	0.97	21	21	100
	कुल	80.08		79.11		4,040	3,884	96

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

तालिका 2.1.4 से यह स्पष्ट है कि 63 नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने सात वर्षों अर्थात् वर्ष 2015-22 के दौरान शुरू हुई कुल 4,040 योजनाओं में से 3,884 योजनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध धनराशि का 99 प्रतिशत उपयोग किया था। उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गई अनियमितताओं की चर्चा अगली कंडिका में की गई है।

2.1.13 योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

2.1.13.1 योजनाओं/कार्यों के निष्पादन के संबंध में ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करने में विलम्ब

भारत सरकार ने 14वें वि.आ. की अनुशंसाओं को लागू करने हेतु दिशानिर्देश (8 अक्टूबर 2015) जारी किए और यह निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतें बुनियादी

²⁵ जी.आई.ए. और ब्याज शामिल हैं।

सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सेप्टिक प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सामुदायिक संपत्तियों का संधारण, सड़कों, पगडंडियों, स्ट्रीट-लाइटिंग, कब्रिस्तान और श्मशान घाटों आदि के रखरखाव पर अनुदान का व्यय करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने 29 जुलाई 2015 को बुनियादी अनुदान की पहली किस्त जारी की थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को पाँच माह बाद, यानी 12 जनवरी 2016 को धनराशि जारी की। इसके अलावा, राज्य सरकार ने, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देश के 14 माह से अधिक समय बीत जाने के पश्चात्, 23 दिसंबर 2016 को 14वें वि.आ. अनुदान के उपयोग के बारे में निर्देश जारी किए थे। निर्देश निर्गत करने तथा ग्राम पंचायतों को अनुदान/निधि जारी करने में हुए विलम्ब के कारण, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इन 63 नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों को जारी की गयी कुल अनुदान राशि ₹4.33 करोड़ में से उक्त 63 गा. पं में से केवल सात ग्राम पंचायतें ही 84 योजनाओं की शुरुआत कर पाईं।

जवाब में, पंचायती राज विभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के मूल्यांकन और परामर्श के पश्चात्, पंचायती राज विभाग ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार दिशानिर्देश निर्गत किए थे।

2.1.13.2 विभाग के आदेशों का अनुपालन न करना

14वें वि.आ. अनुदान से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने दिसंबर 2016 में दिशा-निर्देश जारी किये थे। हालाँकि, नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी 14वें वि.आ. अनुदान के दिशानिर्देशों के अनुसार, निधियों एवं योजनाओं की उपलब्धता के अनुसार बजट तैयार किया जाना था, जिसकी प्राक्कलित लागत प्रतिबद्ध देयताओं को घटाने के पश्चात् उपलब्ध निधियों का 1.25 गुना थी। तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् सात दिनों के अंदर योजना पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाना था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित 63 ग्राम पंचायतों में से 18 गा.पं. में, पीसीसी सड़क, नाली, पेवर ब्लॉक, पगडंडी, सुरक्षा दीवार, हैंडपंप अधिष्ठापन इत्यादि जैसी 175 योजनाओं में प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् 01 से लेकर 395 दिनों के विलम्ब से प्रदान किया गया था (**परिशिष्ट-2.1.10**) तथा अभिलेखों में उक्त विलंब का कोई कारण दर्ज नहीं पाया गया। नमूना-जाँचित 32 ग्राम पंचायतों में यह भी देखा गया कि 71 योजनाओं में प्रशासनिक अनुमोदन की तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया था।

पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 2024) तथा बताया कि ग्राम पंचायतों में मानवबल की कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई। आगे यह भी बताया गया कि वर्ष 2023 में पंचायत सचिवों की नियुक्ति के पश्चात ग्राम पंचायतों के कामकाज में सुधार हुआ है।

(ii) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम

14वें वि.आ. अनुदान के तहत योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज विभाग के परिचालन दिशानिर्देशों (मार्च 2017) के अनुसार, ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले ₹ 2.50 लाख तक के कार्यों के लिए लाभुक समितियों²⁶ के माध्यम से या ₹ 2.50 लाख से अधिक की प्राक्कलित लागत वाले कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया जाना था।

14वें वि.आ. अनुदान से कार्यों के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹ 15,000 का प्रथम अग्रिम या किसी कार्य की प्राक्कलित लागत का पचास प्रतिशत, जो भी कम हो, योजना के क्रियान्वयन के लिए लाभुक समितियों को प्रदान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, भुगतान मापी पुस्तिका (एम.बी.) में कार्यों की माप दर्ज करने और कार्यकारिणी समिति²⁷ के अनुमोदन के बाद किया जाना चाहिए।

हालाँकि, परिचालन दिशानिर्देशों में निहित निर्देशों के बावजूद, नमूना जाँचित 63 ग्राम पंचायतों में से 34 ग्रा.पं. द्वारा 616 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लाभुक समितियों को ₹ 15,000 से अधिक की पहली अग्रिम राशि प्रदान की गई (*परिशिष्ट-2.1.11*)।

पंचायती राज विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (सितंबर 2024) को स्वीकार करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों ने कभी-कभी लाभुक समितियों को धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक अग्रिम राशि प्रदान की थी। आगे यह भी कहा गया कि राज्य सरकार इस मामले पर उचित निर्णय लेगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि *लाभुक समितियों* को दिए जाने वाले अग्रिम की अधिकतम सीमा पंचायती राज विभाग द्वारा ही निर्धारित की गई थी।

²⁶ लाभुक समिति-जहाँ योजना को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है, वहाँ के ग्राम सभा की बैठक में चयनित समिति। लाभुक समिति के लिए ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष और सचिव के अलावा तीन और सदस्यों का चयन किया जाता है। लाभुक समिति का अध्यक्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

²⁷ कार्यकारिणी समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया और उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कार्यकारिणी समिति का नेतृत्व ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी समिति ग्रा.प. की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विभिन्न ग्रामों से प्राप्त योजनाओं का अनुमोदन करती है।

(iii) रॉयल्टी जमा न करना

14वें वि.आ. के परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि पंचायत सचिव लाभुक समितियों के विपत्रों से रॉयल्टी की कटौती करेंगे और पंचायत समिति के बी.डी.ओ.-सह-का.पदा. की मदद से इन राशियों को राजकोष में जमा करेंगे।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 57 नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने लाभुक समिति के विपत्रों से 1,547 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 91.59 लाख की रॉयल्टी की कटौती की थी **(परिशिष्ट-2.1.12)** लेकिन काटी गई राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की गई थी।

पंचायती राज विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2024) कि रॉयल्टी के लेखा शीर्षों और जमा करने की प्रक्रिया, विभागीय स्तर पर निर्धारित नहीं की गयी है। हालाँकि, पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को रॉयल्टी राशि के लिए अलग से रोकड़ बही और बैंक खाते संधारित करने के निर्देश जारी किए थे।

इसके अलावा, यह पाया गया कि गिरिडीह जिला परिषद के जमुआ पंचायत समिति के नमूना-जाँचित तीन ग्राम पंचायतों (चिलगा, कुरहोबिंदो और पांडेयडीह) द्वारा सरकारी खाते में जमा करने के लिए एक निजी एजेंसी (मेसर्स बैद्यनाथधाम एंटरप्राइजेज) को रॉयल्टी²⁸ के रूप में ₹ 5.46 लाख और जीएसटी/बिक्री²⁹ कर के रूप में ₹ 0.34 लाख का अनियमित भुगतान (मार्च 2019) किया गया था, जो उक्त दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

इसके अलावा, निजी एजेंसी द्वारा रॉयल्टी और जीएसटी/बिक्री कर की जमा रसीदें ग्राम पंचायतों के अभिलेखों से सत्यापित नहीं की जा सकीं।

जवाब में पंचायती राज विभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि गिरिडीह जिले के तीन ग्राम पंचायतों (चिलगा, कुरहोबिंदो और पांडेयडीह) से रॉयल्टी जमा न करने का कारण पूछा जाएगा।

(iv) उच्च अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने से बचने हेतु कार्यों का विभाजन

पंचायती राज विभाग ने अपने संकल्प (मार्च 2017) के तहत, ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के लिए ₹ 5 लाख की सीमा निर्धारित की थी। साथ ही, ₹ 5 लाख से 10 लाख के बीच प्राक्कलित लागत वाले कार्यों को पंचायत समिति के बी.डी.ओ.-सह-का.पदा. द्वारा स्वीकृति दी जानी थी।

इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, ₹ 65.88 लाख की लागत वाले छह कार्यों को 19 कार्यों में विभाजित किया गया, ताकि उनकी प्रति इकाई प्राक्कलित लागत को ₹ 5 लाख की सीमा से कम किया जा सके **(परिशिष्ट-2.1.13)** और इस प्रकार, उच्च

²⁸ चिलगा- ₹ 3,83,402, कुरहोबिंदो- ₹ 90,495, पांडेयडीह- ₹ 72,082

²⁹ चिलगा- बिक्री कर: ₹ 15,054 और कुरहोबिंदो- वस्तु एवं सेवा कर: ₹ 18,660

अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचा जा सके। इसका विवरण तालिका 2.1.5 में दिया गया है।

तालिका-2.1.5

विभाजित किए गए कार्यों की संख्या का सार

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायत	योजना का नाम	योजनाओं की कुल अनुमानित लागत	विभाजित योजनाओं की कुल संख्या
1	बोकारो	भोजुडीह पश्चिम	गौरीग्राम में गुहीराम रजक के घर से प्राण कर्मकार के घर तक पगडंडी का निर्माण	6,94,800	2
			गुड़ाली भिट्टा में आनंद रजवार के घर से शिव मंदिर चितलाही तक पगडंडी का निर्माण	6,13,400	2
2	गिरिडीह	चंदौरी	चंदौरी अंबेडकर चौक से पुल तक सड़क के अतिरिक्त नाली का निर्माण	5,83,800	3
3	साहिबगंज	पश्चिमी नारायणपुर	पंचायत भवन की मरम्मती	5,52,100	2
4	हज़ारीबाग	भेलवारा	पंचायत भवन में चहारदीवारी का निर्माण	7,87,300	3
5	राँची	काँके पश्चिम	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना	33,57,000	7
कुल				65,88,400	19

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

इस प्रकार, नमूना जाँचित 63 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतों में, उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजनाओं को छोटी-छोटी लागत वाली योजनाओं में विभाजित किया गया था।

पंचायती राज विभाग (सितंबर 2024) ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों से जवाब मिलने के पश्चात् उचित कार्रवाई की जाएगी।

(v) मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने वाली योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं पर व्यय

14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि बुनियादी अनुदान (बीजी) की राशि को बुनियादी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति; सैप्टिक प्रबंधन सहित स्वच्छता; नाले एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज; सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव; सडकों, पगडंडियों, स्ट्रीटलाइटों, कब्रिस्तान और श्मशान घाटों का रखरखाव एवं अन्य बुनियादी सेवाएँ, जो प्रासंगिक विधानों के तहत उन्हें सौंपे गये कार्यों की आपूर्ति करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए हों, पर व्यय किया जाना चाहिए।

नमूना जाँचित 12
ग्राम पंचायतों ने
14वें वित्त आयोग
की अनुशंसाओं के
विपरीत 72 योजनाओं
के क्रियान्वयन पर
₹ 72.87 लाख खर्च
किए

हालाँकि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 12 ग्राम पंचायतों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान 72 योजनाओं के कार्यान्वयन पर ₹ 72.87 लाख (परिशिष्ट-2.1.14) का खर्च 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के विरुद्ध किया गया था। इन योजनाओं में निजी भूमि पर क्रियान्वित योजनाओं के साथ-साथ स्कूलों में व्यायामशाला स्थापित करने की योजनाएँ; खेल सामग्रियों की खरीद; धार्मिक स्थलों की चाहरदीवारी और द्वार का निर्माण; अंचलाधिकारी के आवास की चाहरदीवारी का निर्माण; बैंक ऑफ इंडिया आदि के परिसर में पगडंडी का निर्माण शामिल थे, जो 14वें वित्त आयोग अनुदान का दुरुपयोग है।

पंचायती राज विभाग ने (सितंबर 2024) संबंधित ग्राम पंचायतों से जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(vi) मस्टर रौल/अभिश्चव में अनियमितताएँ

झारखण्ड कोषागार संहिता, 2011 की धारा 248 (ए) में प्रावधान है कि विभागीय रूप से नियोजित मजदूरों की मजदूरी मस्टर रौल पर आहरित की जाएगी, जिसमें मजदूरों के नाम, उनके द्वारा किए गए कार्यों के दिनों की संख्या और प्रत्येक मजदूर को देय भुगतान की राशि दर्शाई जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन ग्राम पंचायतों (गिरिडीह और साहिबगंज जिले) में 11 कार्यों के लिए मस्टर रौल का संधारण नहीं किया जा रहा था तथा ₹ 1.81 लाख की मजदूरी का भुगतान हस्तलिखित रसीदों/सादे कागज के आधार पर दिखाया गया था। सभी 63 नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों में मस्टर रौल और निर्माण सामग्री के खरीद विपत्रों को कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, 38 नमूना-जाँचित ग्राम-पंचायतों के 155 योजनाओं के कार्यान्वयन में, 3,270 मजदूरों को मजदूरी के रूप में ₹ 49.16 लाख (परिशिष्ट-2.1.15) का भुगतान किया गया था, जिनके अंगूठे के निशान³⁰ को कनीय अभियंताओं और लाभुक समितियों द्वारा मस्टर रौल में प्रमाणित नहीं पाए गए। इस प्रकार संधारित मस्टर रौल में कई कमियाँ थीं, जैसे मजदूरों की नियुक्ति की तिथि या अवधि का उपलब्ध न होना, मजदूरों का नाम दर्ज न किया जाना, लिप्तलेखन (तारीखों में, मजदूरों का नाम, राशि, इत्यादि), प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान होने से पूर्व मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना तथा कार्यादेश निर्गत करना आदि, जो कि पूर्वोक्त नियमों का उल्लंघन है।

इसके अलावा, नमूना-जाँचित आठ ग्राम पंचायतों में, क्रय/उपभोग की गई सामग्री या प्रवृत्त मजदूरों के समर्थन में तैयार किए गए अभिश्चवों की राशि ₹ 19.65 लाख³¹

³⁰ झारखण्ड ट्रेजरी कोड के नियम 260 में यह प्रावधान है कि भुगतान किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जब भुगतान प्राप्तकर्ता की पावती एक निशान, मुहर या अंगूठे के निशान द्वारा दी जाती हो।

³¹ ₹ 6.56 लाख + ₹ 3.94 लाख + ₹ 8.49 लाख + ₹ 0.66 लाख = ₹ 19.65 लाख

(परिशिष्ट-2.1.16) में विसंगतियाँ पाई गईं, जैसे क्रय की गई सामग्री के अभिश्रवों में तिथि दर्ज न होना (₹ 8.49 लाख), कैश मेमो के बिना क्रय की गई सामग्री (₹ 6.56 लाख), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संख्या के बिना क्रय विपत्र (₹ 3.94 लाख), लाभुक समिति के चयन से पूर्व सामग्री की आपूर्ति (₹ 0.66 लाख) तथा मापी पुस्त और मस्टर रौल सहित अभिलेखों में विसंगतियाँ।

पंचायती राज विभाग (सितंबर 2024) ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों से जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.1.13.3 श्रम उपकर की कटौती न करना/कम करना एवं उनका जमा

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 (i) में प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा निर्माण लागत का एक से दो प्रतिशत के बीच श्रम उपकर लगाया जाएगा। एकत्रित उपकर की राशि कल्याण बोर्ड³² में जमा की जानी चाहिए।

इसके अलावा, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 12 में श्रम कल्याण बोर्ड में उपकर जमा न करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

- i) अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नमूना-जाँचित 54 ग्राम पंचायतों की 1,230 योजनाओं से संबंधित ₹ 19.38 लाख (परिशिष्ट-2.1.17) की राशि का श्रम उपकर नहीं काटा गया था और इसलिए लाभुक समितियों को ₹ 19.38 लाख की अधिक राशि का भुगतान किया गया।
- ii) आगे, नमूना-जाँचित 28 ग्राम पंचायतों की 458 योजनाओं से संबंधित ₹ 10.98 लाख (परिशिष्ट-2.1.18) की राशि का श्रम उपकर लाभुक समितियों के विपत्रों से कटौती की गई थी, लेकिन कल्याण बोर्ड के खाते में उक्त राशि को जमा नहीं किया गया। इस प्रकार, कल्याण बोर्ड के खाते में कटौती की गई राशि जमा न करने के कारण ग्राम पंचायतों पर जुर्माने के रूप में ₹ 10.98 लाख की देनदारी बनी।
- iii) इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँचित 24 ग्राम पंचायतों ने 14वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में संगलग्न लाभुक समितियों के अभिश्रवों से श्रम उपकर की ₹ 0.43 लाख (परिशिष्ट-2.1.19) की राशि कम काटी गई थी।

पंचायती राज विभाग ने आश्वासन (सितंबर 2024) दिया कि संबंधित ग्राम पंचायतों से जवाब प्राप्त करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

³² भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5

अनुशंसा 3: झारखंड सरकार को श्रम उपकर की सही कटौती और श्रम कल्याण बोर्ड में इसका जमा सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि बोर्ड अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

2.1.13.4 विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वैधानिक कटौतियों का अनियमित उपयोग

योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्ण होने पर रॉयल्टी, श्रम उपकर और बिक्री कर³³ जैसी वैधानिक कटौती की जानी चाहिए और उपयुक्त सरकारी खातों में जमा की जानी चाहिए।

नमूना-जाँचित 23 ग्राम पंचायतों में योजनाओं के अभिलेखों के निरीक्षण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लाभुक समितियों के अभिश्रवों से मार्च 2022 तक कुल ₹ 48.39 लाख (रॉयल्टी: ₹ 41.01 लाख³⁴, श्रम उपकर: ₹ 4.94 लाख³⁵ और बिक्री कर: ₹ 2.44 लाख³⁶) (परिशिष्ट- 2.1.20) की कटौती की गई थी। हालाँकि, नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों द्वारा कटौती की गई राशि को उपयुक्त सरकारी खातों में जमा नहीं किया गया था। वैधानिक कटौती के रूप में उचित सरकारी खातों में ₹ 48.39 लाख जमा करने की देनदारी के विरुद्ध, इन ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में 31 मार्च 2022 तक ₹ 11 लाख की राशि शेष थी।

पंचायती राज विभाग ने बताया (सितंबर 2024) कि संबंधित ग्राम पंचायतों से जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.1.14 एलईडी लाइटों की स्थापना पर देनदारी का सृजन

राज्य सरकार के संकल्प (मार्च 2019) के अनुसार, एलईडी लाइट अधिष्ठापित करने के संबंध में, मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), राँची को ग्रा.प. क्षेत्रों में एलईडी लाइट लगाने एवं उसके रख रखाव हेतु नामित किया गया था। ईईएसएल और जि.पं.रा.अ. के बीच एक समझौता किया जाना तथा एक एस्करो खाता खोला जाना था। जि.पं.रा.अ. द्वारा उन ग्रा.प. से धन एकत्र करने के बाद भुगतान किया जाना था, जहाँ एलईडी लाइट अधिष्ठापित की गई थी।

नमूना-जाँचित छह जिलों में, ग्राम पंचायतों ने अपनी कार्यकारिणी समितियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, संबंधित जि.पं.रा.अ. को एलईडी लाइटों (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अधिष्ठापित की जाने वाली) की अपनी माँग को अग्रेषित किया था। तत्पश्चात, जि.पं.रा.अ. ने, लाइट अधिष्ठापन के उद्देश्य से इन माँगों को ईईएसएल को प्रेषित किया था। तदनुसार, ईईएसएल ने इन छह नमूना जाँचित जिलों की ग्राम

³³ जून 2017 तक कटौती की गयी बिक्री कर

³⁴ ₹ 8,03,220 + ₹ 11,45,290 + ₹ 8,35,735 + ₹ 12,60,227 + ₹ 56,844 = ₹ 41,01,316

³⁵ ₹ 41,989 + ₹ 1,12,449 + ₹ 1,12,230 + ₹ 2,27,111 = ₹ 4,93,779

³⁶ ₹ 91,983 + ₹ 49,252 + ₹ 40,074 + ₹ 59,815 + ₹ 2,463 = ₹ 2,43,587

पंचायतों में ₹ 25.59 करोड़ की लागत से 1,22,785 एलईडी लाइटों का अधिष्ठापन (अप्रैल 2021 तक किए गये अधिष्ठापन के विरुद्ध) किया तथा एलईडी लाइटों का ₹ 6.01 करोड़ की लागत (दिसंबर 2021 तक) से रख रखाव किया, जैसा कि तालिका 2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.6
एलईडी लाइटों के संबंध में भुगतान की देनदारी

(₹ करोड़ में)

ज़िला	अनुबंध की तारीख	अधिष्ठापित एलईडी लाइटों की संख्या	अधिष्ठापन की लागत	रख रखाव की लागत	कुल राशि
बोकारो	11/6/2019	26,815	5.59	1.23	6.82
पूर्वी सिंहभूम	24/5/2019	27,053	5.64	1.27	6.91
गिरिडीह	4/6/2019	2,997	0.62	0.12	0.74
हज़ारीबाग	27/5/2019	19,176	4.00	0.58	4.58
राँची	1/6/2019	36,943	7.70	2.66	10.36
साहिबगंज	30/5/2019	9,801	2.04	0.15	2.19
कुल		1,22,785	25.59	6.01	31.60

(स्रोत: नमूना-जाँचित डीपीआरओ के अभिलेख)

नमूना जाँचित छह जि.पं.रा.अ. में से केवल तीन जि.पं.रा.अ.³⁷ ने ग्राम पंचायतों से ₹ 12.49 करोड़ एकत्र किए थे, जिनमें से दो जि.पं.रा.अ.³⁸ ने अगस्त 2024 तक ईईएसएल को ₹ 8.59 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अलावा, अन्य तीन नमूना जाँचित जि.पं.रा.अ. (बोकारो, गिरिडीह और साहिबगंज) के मामले में, संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, कुल ₹ 23.01 करोड़ (₹ 31.60 करोड़ - ₹ 8.59 करोड़) की राशि का भुगतान अभी भी छह नमूना-जाँचित जि.पं.रा.अ. द्वारा ईईएसएल, राँची को किया जाना बाकी था।

जवाब में पंचायती राज विभाग ने (सितंबर 2024) बताया कि ईईएसएल, राँची के बकाये को चुकाने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में पुनः स्मार-पत्र जारी किया जा रहा है।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस संबंध में संबंधित जि.पं.रा.अ. को निर्देश जारी किए जाने (सितंबर 2021) के बावजूद, ईईएसएल, राँची को बकाये की राशि का भुगतान अगस्त 2024 तक नहीं किये गये थे।

इसके अलावा, पंचायती राज विभाग के निर्देश (मार्च 2019) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 200 एलईडी लाइटें लगाई जानी थीं। हालाँकि, कार्यकारिणी समिति ने पंचायती राज विभाग के संकल्प में निर्धारित संख्या से अधिक एलईडी लाइटों की अनुशंसा की थी। इस प्रकार, कार्यकारिणी समिति की अनुशंसाओं पर,

³⁷ पूर्वी सिंहभूम- ₹ 4.58 करोड़, हज़ारीबाग- ₹ 82.58 लाख और राँची- ₹ 7.08 करोड़

³⁸ पूर्वी सिंहभूम- ₹ 3.39 करोड़ और राँची- ₹ 5.20 करोड़

ईईएसएल ने पंचायती राज विभाग के अनुमोदन के बिना 142 ग्राम पंचायतों में 11,318 (परिशिष्ट-2.1.21) अतिरिक्त एलईडी लाइटें अधिष्ठापित कीं और ₹ 2.36 करोड़ की अतिरिक्त राशि की माँग की, जैसा कि तालिका 2.1.7 में दिखाया गया है।

तालिका 2.1.7

अतिरिक्त एलईडी लाइटें लगाने के लिए राशि का दावा किया गया है

क्र.सं.	जि.पं.रा.अ.	गा.पं. की कुल संख्या	अतिरिक्त अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	प्रत्येक एलईडी लाइट की लागत (₹ में)	कुल अतिरिक्त लागत (₹ में)
1	बोकारो	49	3,163	2,084.95	65,94,697
2	पूर्वी सिंहभूम	14	865	2,084.95	18,03,482
3	गिरिडीह	2	47	2,084.95	97,993
4	हज़ारीबाग	33	2,800	2,084.95	58,37,860
5	राँची	28	1,286	2,084.95	26,81,246
6	साहिबगंज	16	3,157	2,084.95	65,82,187
कुल		142	11,318		2,35,97,465

(स्रोत: नमूना-जाँचित जि.पं.रा.अ. के अभिलेख)

इस प्रकार, पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार जितनी लाइटें अधिष्ठापित की जानी थी, उससे कहीं अधिक संख्या में ईईएसएल ने अधिष्ठापित कर दीं। इससे ₹ 2.36 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जवाब में, पं.रा.वि. ने (सितंबर 2024) कहा कि संबंधित ग्राम पंचायतों से जवाब मिलने के बाद अतिरिक्त एलईडी लाइटों के अधिष्ठापन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.1.15 संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष

वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान, 14वें वि.आ. अनुदान के तहत साहिबगंज जिले की नमूना जाँचित ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित 15 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (सं.भौ.स.) स्थानीय निकायों के कर्मियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किया गया। सं.भौ.स. के दौरान पाई गई कुछ अनियमितताएँ निम्नांकित हैं:

(i) निजी घरों में संचालित योजनाएँ झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 75 (ए) (11) में पेयजल, कपड़े धोने एवं नहाने के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और हैंडपंपों के अधिष्ठापन, मरम्मत तथा संधारण का प्रावधान है। इसलिए, इस योजना का क्रियान्वयन समुदाय के लाभ के लिए किया जाना चाहिए।



फोटो सं. 1: पंचायत समिति बरहरवा के ग्राम पंचायत श्रीकुंड में एक निजी व्यक्ति के परिसर में स्थापित बोरवेल (22 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

हालाँकि, बरहरवा पं.स. की ग्राम पंचायत श्रीकुंड द्वारा एक निजी व्यक्ति (फोटो सं.1) के परिसर में ₹ 1,49,500 की प्राक्कलित लागत से बोरवेल की योजना क्रियान्वित की गई। इस प्रकार, ग्राम पंचायत ने एक निजी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने हेतु उक्त प्रावधान के विरुद्ध कार्य किया था।

पंचायती राज विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (सितंबर 2024) कि ग्रामीणों की भूमि पर या घर में योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार नहीं था। संबंधित ग्रा.प. के मुखिया और पंचायत सचिव से जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह, बरहरवा पं.स. के ग्राम पंचायत श्रीकुंड द्वारा एक निजी मकान के परिसर में ₹ 25,460 की लागत से अनियमित रूप से हैंडपंप लगाया गया (फोटो 2)।

जवाब में, पंचायती राज विभाग ने कहा

(सितंबर 2024) कि संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव से जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।



फोटो सं. 2: ग्राम पंचायत श्रीकुंड, (पंचायत समिति बरहरवा) में एक निजी व्यक्ति के परिसर में लगा हैंडपंप। (फोटो 22 सितंबर 2022 को लिया गया)

ii) गैर-कार्यात्मक नाली की मरम्मती

ग्राम पंचायत हरिहर ने ₹ 1,05,100 की लागत से एक नाली की मरम्मत करके उसे चालू करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, भौतिक सत्यापन में पाया गया (फोटो 3), कि पूरी राशि खर्च करने के बावजूद नाली चालू नहीं था।

जवाब में पंचायती राज विभाग ने बताया

(सितंबर 2024) कि संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव से जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।



फोटो सं. 3: बड़हरवा, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत हरिहरा में गैर-कार्यात्मक नाली (22 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

iii) जल टैंक के निर्माण पर निष्फल व्यय

उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कसवा में ₹ 2,49,700 की लागत से एक मिनी सोलर वाटर सप्लाई सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई थी। हालाँकि, यह देखा गया (फोटो सं. 4) कि केवल एक संरचना, जो पानी की टंकी का हिस्सा थी, का निर्माण ₹ 1,07,500 की लागत से किया गया था, जो उपयोग में नहीं थी।



फोटो सं. 4: ग्राम पंचायत कसवा (पंचायत समिति राजमहल) में अक्रियाशील पानी की टंकी। (फोटो 22 सितंबर 2022 को लिया गया)

ii) एलईडी लाइटों की खराब स्थिति या कार्यात्मक न होना

मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), राँची को पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम-पंचायत क्षेत्रों में एलईडी लाइट अधिष्ठापित करने तथा उनके संधारण हेतु नियुक्त (मार्च 2019) किया गया था। तदनुसार, ईईएसएल ने अप्रैल 2021 तक चयनित किए गए जिलों की ग्राम-पंचायतों में 1,22,785 एलईडी लाइटें अधिष्ठापित कीं।

चयनित जिलों की ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइटों की मौजूदगी एवं उनकी कार्यपरक स्थिति की पुष्टि करने के लिए, लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2024) एलईडी लाइटों की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए 27 ग्राम पंचायतों से संपर्क किया। अंकेक्षण में पाया गया कि 4,116 में से 3,162 (77 प्रतिशत) एलईडी लाइटें पिछले चार माह से लेकर तीन साल तक से कार्य नहीं कर रही थीं। इसके अलावा, एलईडी लाइट लगे हुए 152 बिजली के खंभों का भौतिक सत्यापन करने से पता चला कि 28 खंभों में एलईडी लाइट नहीं लगी हुई थी और शेष 124 खंभों में से केवल

26 खंभों में एलईडी लाइटें अच्छी स्थिति में पाई गईं। बिजली के खंभों पर एलईडी लाइटों की गैर मौजूदगी नीचे दर्शाई गई है:

ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइटों की गैर मौजूदगी को दर्शाती तस्वीरें

 <p>Pupunki, Jharkhand, India M6X2+4VR, Pupunki, Pupunkighatbera, Jharkhand 827013, India Lat 23.698067° Long 86.201909° 24/08/24 11:44 AM GMT +05:30</p>	 <p>Hazaribagh, Jharkhand, India X9RV+6WQ, Nutan Nagar Colony, Hazaribagh, Jharkhand 825303, India Lat 23.990721° Long 85.394959° 23/08/24 02:17 PM GMT +05:30</p>
<p>फोटो सं. 5: ग्राम पंचायत पुपुनकी (वार्ड नं.4), चास पं.स., बोकारो में बिजली के खंभे पर लगे आर्म में एलईडी लाइट नहीं पायी गयी। (फोटोग्राफ 24 अगस्त 2024 को ली गई)</p>	<p>फोटो सं. 6: हजारीबाग के ग्राम पंचायत ओरिया (हजारीबाग सदर पं.स.) में बिजली के खंभे पर लगे आर्म में एलईडी लाइट नहीं पायी गयी। (फोटोग्राफ 23 अगस्त 2024 को ली गई)</p>
 <p>Kutiatu, Jharkhand, India 79RR+39M, Kutiatu, Jharkhand 834010, India Lat 23.290397° Long 85.390849° 23/08/24 11:51 AM GMT +05:30</p>	 <p>बारा बौदना, झारखंड, भारत CC3R+Q24, बारा बौदना, झारखंड 832104, भारत Lat 22.404357° Long 86.440105° 23/08/24 01:35 PM GMT +05:30</p>
<p>फोटो सं. 7: राँची के कुटियातु (नामकुम पं.स.) ग्राम पंचायत में बिजली के खंभे पर लगे आर्म में एलईडी लाइट नहीं पायी गयी। (फोटोग्राफ 23 अगस्त 2024 को ली गई)</p>	<p>फोटो सं. 8: पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया पं.स. के ग्राम पंचायत पलासबनी में बिजली के खंभे पर लगे आर्म में एलईडी लाइट नहीं पायी गयी। (फोटोग्राफ 23 अगस्त 2024 को ली गई)</p>


2.1.16 मानव संसाधन प्रबंधन

मानवबल किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। उचित रूप से प्रशिक्षित मानवबल के बिना कार्यों/योजनाओं का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है।

• मानव संसाधन परिनियोजन का अभाव

योजनाओं के कार्यान्वयन और निर्धारित पोर्टलों³⁹ पर आँकड़ों को अपलोड करने के लिए, पंचायती राज विभाग ने सम्बंधित जिलों के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुबंध के आधार पर प्रत्येक पं.स. में दो कनीय अभियंता और पं.स. की प्रत्येक तीन ग्रा.पं. के लिए एक अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना (अप्रैल 2016) जारी की। उपायुक्त द्वारा नियुक्त कनीय अभियंता और अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानदेय का भुगतान 14वें वि.आ. अनुदान (बुनियादी अनुदान का 10 प्रतिशत) से परिचालन एवं रख-रखाव (ओ एंड एम) और पूँजीगत व्यय के रूप में किया जाना था। हालाँकि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया था और पं.स. और ग्रा.पं. के लिए कम संख्या में कनीय अभियंता और अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए गए थे, जैसा कि क्रमशः चार्ट 2.1.5 और चार्ट 2.1.6 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.1.5: आवश्यकताओं के विरुद्ध कार्यरत कनीय अभियंताओं की संख्या




³⁹ **प्रिया सॉफ्टवेयर-** योजनाओं के आय-व्यय को सॉफ्टवेयर में अपलोड होना चाहिए;

प्लान प्लस- ग्रा.प. योजना का नाम, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि, कार्यों की लागत, योजनाओं के लाभार्थी, कार्य की प्राथमिकता आदि अपलोड करेगा;

एक्शन सॉफ्ट- योजनाओं की भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट अपलोड करना

नेशनल एसेट डायरेक्टरी- संपत्ति का नाम, निर्माण लागत, संपत्ति का स्थान, संपत्ति की स्थिति, इत्यादि।

चार्ट 2.1.6: आवश्यकताओं के विरुद्ध नियुक्त अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (एडीईओ) की संख्या



चार्ट 2.1.5 और 2.1.6 दर्शाते हैं कि, झारखंड सरकार के निर्देशों की तुलना में कनीय अभियन्ता और अकाउंटेंट-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या में क्रमशः 27 (18 प्रतिशत) और 131 (25 प्रतिशत) की कमी थी।

पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 2024) तथा बताया कि ग्राम पंचायतों में मानवबल की कमी का आकलन करने के पश्चात राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में पंचायत सचिवों की नियुक्ति कर दी है।

2.1.17 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

किसी भी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार हैं। 14वें वि.आ. ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एचएलएमसी) के गठन की अनुशंसा की, जिसमें वित्त सचिव और अन्य संबंधित विभागीय सचिव शामिल होंगे, जो अनुदान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के कामकाज का अनुश्रवण और समवर्ती मूल्यांकन करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उपयोग 14वें वि.आ. द्वारा अनुशंसित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया।

2.1.17.1 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

14वें वि.आ. के दिशा-निर्देशों में राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव को करनी थी। 14वें वि.आ. अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकायों का अनुश्रवण एवं समवर्ती मूल्यांकन करना आवश्यक था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

14वें वि.आ. अनुदान का उपयोग 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था।

भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के एक वर्ष पश्चात् राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय निगरानी समिति (अप्रैल 2016) का गठन किया। इसके अलावा, भारत सरकार ने (अप्रैल 2017) राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर उच्च स्तरीय निगरानी समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया था यानी अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक 12 बैठक आयोजित की जानी चाहिए थीं। हालाँकि, उच्च स्तरीय निगरानी समिति की केवल तीन बैठक ही (20/2/2017, (30/11/2017 और 28/12/2018) इस अवधि के दौरान आयोजित की गयीं थीं।

इस प्रकार, आवश्यक संख्या में बैठकों के आयोजित न होने के कारण, उच्च स्तरीय निगरानी समिति 14वें वित्त आयोग अनुदान के उचित उपयोग का अनुश्रवण करने में विफल रही, जैसा कि पिछली **कंडिका संख्या 2.1.13.2** में बताया गया है।

पंचायती राज विभाग ने (अगस्त 2016) छह कार्मियों को नियुक्त किया जिन्हें प्रत्येक माह 14वें वित्त आयोग अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय, उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा ग्राम पंचायतों से भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि समीक्षित दस्तावेज पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किए जाएँ।

हालाँकि, ऐसी कोई भी गतिविधि संपन्न नहीं की गई थी, क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि: (i) ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए गए अनुदान का पूर्णतः उपयोग नहीं किए जाने के कारण, मार्च 2022 तक ग्राम पंचायतों के खातों में शेष के रूप में ₹ 258.22 करोड़ बैंक में अप्रयुक्त रह गए (ii) उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने में विलम्ब हुआ था और (iii) योजनाएँ अपूर्ण रह गई थीं, जैसा कि पिछली कंडिकाओं में चर्चा की गई।

पंचायती राज विभाग ने इस तथ्य को (सितंबर 2024) स्वीकार करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उच्च स्तरीय निगरानी समिति की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि झारखण्ड सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

2.1.17.2 सामाजिक अंकेक्षण

राज्य सरकार ने (अप्रैल 2017) ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष 14वें वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करने का निर्देश दिया। सामाजिक अंकेक्षण का अनुश्रवण एक विकास समिति (ग्राम पंचायत की स्थायी समिति) द्वारा किया जाना था।

हालाँकि, किसी भी नमूना-जाँचित ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। साथ ही, नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों ने कहा कि स्थायी समितियाँ कार्यात्मक नहीं थीं, यद्यपि उनका गठन किया गया था।

जवाब में, पंचायती राज विभाग ने बताया (सितंबर 2024) कि सामाजिक अंकेक्षण प्रगति पर था।

2.1.17.3 निरीक्षण पंजी का संधारण एवं उसका जिला एवं पं.स. स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण

राज्य सरकार ने (अप्रैल 2017) ग्राम पंचायतों को निरीक्षण पंजी संधारित करने का निर्देश दिया, ताकि सभी पर्यवेक्षण और निरीक्षण अधिकारी ऐसी पंजिकाओं में अपनी टिप्पणियों को दर्ज कर सकें। लाभुक समितियों/मुखिया/पंचायत सचिव को संबंधित निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देशों का अनुपालन करना था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की प्रतिशतता (अप्रैल 2017) निर्धारित की थी। उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, उप निदेशक, जि.पं.रा.अ., जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के जिला अभियंता, सहायक निदेशक (उप-प्रमंडल स्तर पर), प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक अभियंता, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, कनीय अभियंता और पंचायत सचिव को अपने-अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना था (जो कुल क्रियान्वित योजनाओं का क्रमशः 01, 03, 05, 10, 10, 10, 20, 25, 50, 100, 100 और 100 प्रतिशत है)।

नमूना-जाँचित सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों ने बताया कि पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और पंचायत सचिव को छोड़कर कोई भी अन्य अधिकारी योजनाओं के निरीक्षण हेतु पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का दौरा नहीं कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, किसी भी नमूना-जाँचित ग्राम पंचायत द्वारा निरीक्षण पंजी संधारित नहीं की जा रही थी, जिस वजह से पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की टिप्पणियाँ दर्ज नहीं की जा सकीं।

पंचायती राज विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (सितंबर 2024) कि संबंधित कर्मियों को राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा।

2.2 'पंचायत भवनों' के निर्माण/मरम्मत/परिवर्तन/साज-सज्जा' का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

73^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा देश में अधिक सहभागी शासन संरचना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) को आर्थिक विकास हेतु वृहद योजनायें तैयार करने, सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से योजनाओं को लागू करने तथा भारत के संविधान की 11^{वीं} अनुसूची में निर्धारित 29 विषयों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य द्वारा पंचायतों को पर्याप्त धन, कार्य और कर्मियों को सौंपने की आवश्यकता थी, ताकि वे स्व-शासी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।

झारखण्ड सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) में पंचायत भवन (पी.बी.) का निर्माण करने का निर्णय लिया (मार्च 2002) जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत कार्यालयों के रूप में इनका उपयोग ग्राम पंचायतों के कामकाज से संबंधित गतिविधियों के लिए करना था, जैसे कि ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन, साथ ही ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन के लिए सभाएँ एवं बैठकें।

2.2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए, पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत/परिवर्तन/साज-सज्जा की विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा यह ज्ञात करने के लिए की गयी कि क्या: (i) निर्माण हेतु अनुमोदित लक्ष्यों के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण ससमय किया गया था। (ii) पंचायत भवनों का उपयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया, जिनके लिए उनका निर्माण किया गया था (iii) इस उद्देश्य के लिए जारी की गई धनराशि को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया था और (iv) परियोजना निष्पादन का अनुश्रवण कुशलतापूर्वक किया गया था।

लेखापरीक्षा अवधि जून से अक्टूबर 2022 के बीच थी। पंचायती राज (पं.रा.) विभाग और छः नमूना जिला परिषदों⁴⁰ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना-जाँच के माध्यम से की गयी थी। साथ ही, नमूना-जाँचित पाँच जिला परिषदों

⁴⁰ उत्तरी क्षेत्र: चतरा और गिरिडीह

मध्य क्षेत्र: बोकारो और हज़ारीबाग

दक्षिणी क्षेत्र: राँची और पश्चिमी सिंहभूम

(जिला परिषद, राँची को छोड़कर) के 35 पंचायत भवनों⁴¹ का जिला परिषदों के कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था।

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, क्षेत्र (दायरे) और कार्यप्रणाली पर चर्चा करने हेतु 10 जून, 2022 को पंचायती राज विभाग (पं. रा. विभाग) के सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मलेन आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए प्रधान सचिव, पं.रा.वि. के साथ निकास सम्मलेन (15 मई 2023) आयोजित किया गया था।

प्रधान सचिव, पं.रा.वि. ने सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। हालाँकि, कंडिका-वार विस्तृत जवाब प्रतीक्षित थे (नवंबर 2023 तक)।

2.2.3 पंचायती राज संस्थान (पं.रा.सं.) का संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर, पंचायती राज (पं.रा.) विभाग द्वारा, प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय व अनुश्रवण किया जाता है। ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) का नेतृत्व मुखिया करते हैं, जो ग्रा.पं. के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.)-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.प.) जिला स्तर पर तथा प्रखंड विकास अधिकारी (प्र.वि.अ.)-सह-कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.) प्रखण्ड स्तर पर क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के कार्यकारी प्रमुख हैं, जबकि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय के प्रभारी होते हैं।

2.2.4 योजना

किसी कार्यक्रम के उद्देश्यों को लागत प्रभावी और समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए उचित योजना तैयार करना अनिवार्य है। झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने निर्वाचित निकायों के कामकाज को सुविधाजनक बनाने तथा अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में मदद करने हेतु राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों (पं.भ.) का निर्माण करने का निर्णय लिया (मार्च 2002)। तदनुसार, झारखण्ड के मुख्य सचिव, ने सभी 4,350 ग्राम पंचायतों में पं.भ. के निर्माण के लिए निर्देश जारी किये (अगस्त 2002) ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात राज्य सरकार के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

⁴¹ **बोकारो (7)**- अराजू, बिजुलिया, उक्रिद, चंद्रा, सियालजोरी, अलकुशा और टांड बालीडीह,
चतरा (7) - योगियारा, रामपुर, प्रतापपुर, बभने, गजवा, पांडेपुरा और इचाक,
गिरिडीह (4)- सापामारन, सिरमडीह, धायेपुरा और रेम्बो,
हज़ारीबाग (7)- सखिया, ओरेया, नगवां, बहेरी, पसई, मसरातु और ढेंगुरा और
पश्चिमी सिंहभूम (10)- कोलचोकरा, कोकचो, जामिद, सिलफोरी, कासिया, लुपुंगुट्ट, खपोखरा, हथिया,
नरसंडा और कुदाहातु

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, 4,350 पंचायत भवनों में, 4,261 पंचायत भवनों का निर्माण दिसंबर 2021 तक किया जा चुका था जबकि 89 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाना शेष था, यद्यपि पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों को सभी पंचायत भवनों का निर्माण वर्ष 2020 के अंत तक (नवंबर 2020) पूरा करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार, मार्च 2002 में शुरू हुई योजना के 20 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी, सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

2.2.5 वित्तीय प्रबंधन

पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार ने प्रारंभ में प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण के लिए ₹ 17.48 लाख का एक मानक प्राक्कलन⁴² तैयार किया था (मार्च 2003)। मानक प्राक्कलन वर्ष 2016 की दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) पर तैयार किया गया था। इसके बाद, दरों की अनुसूची में बदलाव के आधार पर समय-समय पर मानक प्राक्कलनों को संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा अवधि (2017-22) के दौरान नमूना-जाँचित जिला परिषदें मानक प्राक्कलन ₹ 34.25 लाख से ₹ 44.30 लाख तक की सीमा⁴³ में कार्य कर रही थीं।

वित्त वर्ष 2017-18 से पहले, सभी ग्रा.पं. में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए, राज्य निधि, राष्ट्रीय सम विकास योजना (रा.स.वि.यो.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) का बी.आर.जी.एफ. के साथ अभिसरण⁴⁴ के तहत जिला परिषदों को धन उपलब्ध कराया गया था।

वित्त वर्ष 2017-18 से, पं.रा. विभाग, झारखण्ड सरकार ने सभी जिला परिषदों में पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत/वैकल्पिक/साज-सज्जा के लिए राज्य मद के तहत धन उपलब्ध कराया था।

पं.रा. विभाग के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायत भवन के निर्माण की शुरुआत के बाद से 4,350 पंचायत भवनों के निर्माण पर कुल/संचयी आवंटन और व्यय के संबंध में कोई आँकड़ा संधारित नहीं किया गया था।

नमूना-जाँचित जिला परिषदों के द्वारा भी इस संबंध में किसी भी आँकड़े का संधारण नहीं किया गया था तथा मनरेगा योजना का (रा.स.वि.यो, बीआरजीएफ और बीएनआरजीएसके) के साथ अभिसरण के तहत किसी भी निधि के लिए अलग से

⁴² पंचायत भवनों का मानक प्राक्कलन प्रचलित दरों की अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया था। इसमें दो मंजिल की इमारतें, स्वच्छता, विद्युतीकरण कार्य, साथ ही बोरवेल की स्थापना और जल आपूर्ति शामिल थी।

⁴³ बोकारो- ₹ 34.72 लाख, चतरा- ₹ 34.25 लाख, गिरिडीह- ₹ 44.30 लाख, हजारीबाग- ₹ 34.90 लाख, राँची- ₹ 43.44 लाख और पश्चिमी सिंहभूम- ₹ 40.98 लाख।

⁴⁴ भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र (बीएनआरजीएसके)-सह-पंचायत सचिवालय

रोकड़ पंजी संधारित नहीं की गई थी, जिनका उपयोग पंचायत भवन के निर्माण/मरम्मत के लिए किया गया था। विभाग एवं नमूना जाँचित जिला परिषद से ऐसे आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि और धन के व्यय का पता नहीं चल पाया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने योजना पंजियों, कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन आदि की सहायता से पंचायत भवनों पर व्यय की गणना की।

यह देखा गया कि छह नमूना-जाँचित जिला परिषदों ने 2017-22 की अवधि के दौरान 63 नए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु ₹ 20.03 करोड़ और 312 पंचायत भवनों में शेष कार्यों को पूरा करने पर ₹ 50.79 करोड़ खर्च किए थे, जैसा कि इस प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.6.1 में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में पंचायत भवनों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईं:

i) **धन का अपयोजन**

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 11 के अनुसार, एक नियंत्रक पदाधिकारी को न केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यय, प्राधिकृत विनियोग सीमा के भीतर हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि व्यय करने वाली इकाइयों को आवंटित धनराशि जनहित में और उन उद्देश्यों पर खर्च की जाये जिनके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा, इस दिशा में, पं.रा. विभाग ने नए निर्माण कार्यों पर बीआरजीएफ से व्यय पर रोक लगाने के निर्देश (जून 2016) जारी किए।

जिला परिषद, प. सिंहभूम के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि पं.रा. विभाग ने राज्य योजना के तहत 114 पंचायत भवनों⁴⁵ में निर्माण एवं अवशिष्ट कार्यों को पूरा करने हेतु जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम को सितंबर 2016 में ₹ 24.73 करोड़ जारी किए थे। हालाँकि, जिला परिषद ने अगस्त 2020 तक 240 पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत/विस्तार/अवशिष्ट कार्यों पर ₹ 32.82 करोड़⁴⁶ (कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 50.90 करोड़⁴⁷ के विरुद्ध) खर्च किए थे, जिसमें बीआरजीएफ की अव्ययित शेष राशि से ₹ 15.75 करोड़ का व्यय भी शामिल है।

बीआरजीएफ से व्यय की गयी ₹ 15.75 करोड़ की राशि में ₹ 7.08 करोड़ की राशि के 19 नए पंचायत भवनों का निर्माण शामिल था। इस प्रकार, राज्य सरकार के निर्देशों (जून 2016) में बीआरजीएफ से नए निर्माण कार्य करने पर रोक के बावजूद, जिला परिषद ने 19 नए पंचायत भवनों के निर्माण पर ₹ 7.08 करोड़ खर्च किए थे।

⁴⁵ 22 नये पंचायत भवन एवं 92 पंचायत भवन में अवशिष्ट निर्माण कार्य पूर्ण

⁴⁶ 19 नए पंचायत भवनों का निर्माण- ₹ 7.08 करोड़, 56 पंचायत भवन में अवशिष्ट कार्य- ₹ 9.04 करोड़, 17 पंचायत भवनों की मरम्मत- ₹ 0.75 करोड़ और 149 पंचायत भवनों में विस्तार कार्य- ₹ 15.95 करोड़

⁴⁷ राज्य योजना- 114 पंचायत भवनों के लिए ₹ 2,473.41 लाख और पंचायत भवनों में मूलभूत ढाँचा उपलब्ध कराना- ₹ 84.80 लाख, बीआरजीएफ- ₹ 2,531.64 लाख

ii) **निधियों का अवरोधन**

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 343 (ii) में कहा गया है कि "जब तक सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान, इस निहित शर्त के अधीन है कि राशि का कोई भी हिस्सा, जो उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अंततः आवश्यक नहीं है, सरकार को विधिवत समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

हालाँकि, नमूना जाँचित जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि इन्होंने अपने अप्रयुक्त अनुदान को राज्य सरकार को वापस नहीं किया और उसे खातों में अवरुद्ध रखा था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा 114 पंचायत भवनों (22 पंचायत भवनों का नव निर्माण और 92 निर्माणाधीन पंचायत भवनों के शेष कार्य को पूर्ण करना) के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹ 24.73 करोड़⁴⁸(जून 2016) की राशि की मांग की गयी और सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा (सितंबर 2016) जारी की गयी थी। हालाँकि, 92 पंचायत भवनों के अवशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जिला परिषद ने पाँच पंचायत भवनों के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए दो बार ₹ 93.62 लाख⁴⁹ की मांग की थी और राज्य सरकार से ₹ 93.62 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त की। पाँच पंचायत भवनों में अवशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवंटित की गई कुल ₹ 187.24 लाख की राशि में से, जिला परिषद ने केवल तीन पंचायत भवनों⁵⁰ में अवशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने के लिए ₹ 28 लाख का उपयोग किया तथा ₹ 1.59 करोड़ की शेष राशि उसके खाते में अवरुद्ध रही।

इस प्रकार, जिला पंचायत ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक राशि की मांग की थी।

- इसके अलावा, पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद, ने 14 अपूर्ण पंचायत भवनों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार से ₹ 2.26 करोड़⁵¹ (जून 2016) की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने राज्य योजना मद के तहत सितंबर 2016 में जारी कर दिया था। जिला परिषद ने बीआरजीएफ मद के साथ अभिसरण के तहत भी उन्हीं

⁴⁸ 22 नए पंचायत भवनों का निर्माण- ₹ 8.14 करोड़, 92 पंचायत भवनों में अवशेष कार्यों को पूर्ण करना- ₹ 16.59 करोड़

⁴⁹ आनंदपुर प्रखंड में हरता- ₹ 10 लाख, नोवामुंडी में बड़ापासिया- ₹ 30 लाख, जगरनाथपुर प्रखंड में गुमुरिया- ₹ 8 लाख, मनोहरपुर प्रखंड में बड़ाकंदुवा- ₹ 10 लाख और सोनुवा प्रखंड में गोविंदपुर- ₹ 35.62 लाख

⁵⁰ आनंदपुर प्रखंड में हरता: ₹ 8.36 लाख, जगरनाथपुर प्रखंड में गुमुरिया: ₹ 8.26 लाख और सोनुवा प्रखंड में गोविंदपुर: ₹ 11.38 लाख

⁵¹ दोपाई पं.भ.: ₹ 25 लाख, बदगुंटिया पं.भ.: ₹ 15.71 लाख, चिड़िया पं.भ.: ₹ 4.78 लाख, गंगदा पं.भ.: ₹ 6.08 लाख, गोविंदपुर पं.भ.: ₹ 35.62 लाख, नरसंडा पं.भ.: ₹ 27.57 लाख, हाथिया पं.भ.: ₹ 3.87 लाख, हटनाटोडांग पंचायत भवन: ₹ 18.74 लाख, सुरबुदा पंचायत भवन: ₹ 23.01 लाख, गोपीनाथपुर पंचायत भवन: ₹ 25.13 लाख, आनंदपुर पंचायत भवन: ₹ 7 लाख, बीजू पंचायत भवन: ₹ 13 लाख, बिला पंचायत भवन: ₹ 18.50 लाख और केबरा पंचायत भवन: ₹ 2 लाख

14 अपूर्ण पंचायत भवनों के लिए इतनी ही राशि यानी ₹ 2.26 करोड़ की मांग की (जून 2016) और राज्य सरकार द्वारा जून 2016 में जिला परिषद को राशि जारी कर दी गई थी।

कुल जारी राशि (₹ 4.52 करोड़) में से जिला परिषद ने पंचायत भवनों से संबंधित सात कार्य किए और अगस्त 2020 तक केवल ₹ 65.87 लाख खर्च किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला परिषद ने शेष अप्रयुक्त धनराशि राज्य सरकार को वापस नहीं किया।

इसके बजाय, जि.प. ने उसी अप्रयुक्त निधि से, दो नए पंचायत भवनों⁵² का निर्माण और सात पंचायत भवनों⁵³ के अवशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने पर क्रमशः ₹ 73.07 लाख और ₹ 54.94 लाख खर्च किए थे। इन पंचायत भवनों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत या अधिकृत नहीं किया गया था।

इससे पता चला कि: (i) जिला पंचायत ने कम से कम दो अलग-अलग मौकों पर पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत/अवशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की थी और (ii) पं.रा. विभाग ने, धनराशि जारी करने से पहले, धन की वास्तविक आवश्यकता की जाँच करने में उचित परिश्रम किए बिना जिला परिषद द्वारा मांगी गई धनराशि जारी कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप जिला परिषद के स्तर पर ₹ 4.17 करोड़⁵⁴ की धनराशि अवरुद्ध हो गई थी।

इसके अलावा, राज्य में पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण करने में इन अवरुद्ध निधियों और इनके अप्रयुक्त होने के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु लेखा परीक्षा द्वारा पं.रा. विभाग और जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम से सूचना (जुलाई 2024) मांगी गयी। जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम के डीडीसी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने (25 जुलाई 2024) जवाब दिया कि मार्च 2022 के बाद जि.प. के छः अधूरे पंचायत भवनों का निर्माण/मरम्मत पर कोई व्यय नहीं हुआ। इसके अलावा, पं.रा. विभाग, झारखण्ड सरकार ने 90 नए पंचायत भवनों (पश्चिमी सिंहभूम में छः नए पंचायत भवनों के लिए 1.80 करोड़ रुपये की राशि सहित) के निर्माण के लिए 16 जिला परिषदों को 27 करोड़ रुपये राशि (दिसंबर 2023) जारी की थी।

यह इस तथ्य का संकेत था कि राज्य सरकार ने नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अनुदान जारी करने से पहले जि.प. के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि पर विचार करने में उचित सावधानी नहीं बरती।

⁵² मनोहरपुर पूर्वी: मनोहरपुर ब्लॉक में ₹ 36.54 लाख और गोइलकेरा: गोइलकेरा ब्लॉक में ₹ 36.53 लाख

⁵³ बेनीसागर: मझगांव ब्लॉक में ₹ 14.05 लाख, मकरंदा: मनोहरपुर में ₹ 7.53 लाख, चंदी: ₹ 5.02 लाख, सिलफोरी: ₹ 2.86 लाख, गुलीकेरा: ₹ 9.87 लाख, इतिहास: ₹ 10.12 लाख और चक्रधरपुर ब्लॉक में केनके: ₹ 5.49 लाख

⁵⁴ ₹ 6.11 करोड़ (₹ 1.59 करोड़ + ₹ 4.52 करोड़) - ₹ 1.94 करोड़ (₹ 65.87 लाख + ₹ 73.07 लाख + ₹ 54.94 लाख) = ₹ 4.17 करोड़

2.2.6 पंचायत भवनों का निर्माण

2.2.6.1 पंचायत भवनों का अपूर्ण होना

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मार्च 2022 तक राज्य में 89 पंचायत भवन पूरे नहीं हुए थे। छः नमूना-जाँचित जिला परिषदों के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक पूर्ण किये जाने वाले 375 पंचायत भवनों में से 363 पंचायत भवनों के निर्माण पूर्ण हो चुके थे और 12 पंचायत भवनों का निर्माण अपूर्ण था, जैसा कि नीचे तालिका 2.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.1: नमूना-जाँचित जिला परिषदों में अपूर्ण पंचायत भवनों की संख्या

जिला परिषद	नये पंचायत भवनों का निर्माण				अपूर्ण पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण करना			
	स्वीकृत पंचायत भवनों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	अपूर्ण पंचायत भवनों की संख्या	स्वीकृत पंचायत भवनों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	अपूर्ण पंचायत भवनों की संख्या
बोकारो	11	2.97	2.57	शून्य	32	3.27	2.97	1
चतरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	113	15.68	14.19	2
गिरिडीह	19	7.00	5.87	1	81	13.27	11.45	1
हजारीबाग	14	5.02	4.88	शून्य	30	5.03	4.71	शून्य
राँची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	47	8.90	8.43	1
पश्चिमी सिंहभूम	19	7.77	6.71	5	56	10.02	9.04	1
कुल	63	22.76	20.03	6	312	56.17	50.79	6

(स्रोत: नमूना-जाँच की गई इकाइयों के अभिलेख)

जिला परिषदों में अभिलेखों की जाँच से 12 पंचायत भवनों के पूर्ण न होने के निम्नलिखित कारण सामने आए:

- भूमि की अनुपलब्धता के कारण दो⁵⁵ नए पंचायत भवनों का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका तथा संवेदकों की भागीदारी नहीं होने के कारण पश्चिम सिंहभूम में एक नये पंचायत भवन (गुदरी प्रखण्ड में कमरोदा पंचायत भवन) का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।
- जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम में एक नए पंचायत भवन (करमपाड़ा पंचायत भवन) का निर्माण और जिला परिषद, राँची में एक पंचायत भवन (रातू उत्तर) में शेष कार्य, छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, केवल 35 से 40 प्रतिशत तक ही कार्य पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने के बावजूद इसके कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
- जिला परिषद, पश्चिम सिंहभूम में एक नए पंचायत भवन (चोया पंचायत भवन) का निर्माण और तीन नमूना-जाँचित जिला परिषदों (बोकारो, चतरा और

⁵⁵ मेघाहातु दक्षिण और किरीबुरु पश्चिम (प्रखंड-नोवामुंडी जिला-पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत)

पश्चिम सिंहभूम) के चार⁵⁶ पंचायत भवनों के शेष कार्यों को जमीन विवाद के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

iv) पुरनीडीह (सरिया प्रखण्ड) में एक नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए, जिला परिषद, गिरिडीह ने सात बार निविदा आमंत्रित की, लेकिन किसी भी संवेदक ने बोली में भाग नहीं लिया था। आठवीं बार में ₹ 34.52 लाख की अनुमानित लागत पर निविदा को (अप्रैल 2021) अंतिम रूप दिया गया और एक संवेदक के साथ (26 मई 2021) अनुबंध निष्पादित किया गया था। इस कार्य को ₹ 34.45 लाख की लागत पर (मई 2021), आवंटित किया गया था, जिसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2022 या उससे पहले की थी। हालाँकि, संवेदक द्वारा अभी भी (अगस्त 2022 तक) काम शुरू नहीं किया गया था। इसके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गये।

v) धनवार प्रखण्ड (जिला परिषद, गिरिडीह) के अंतर्गत सिरमडीह में पंचायत भवन का निर्माण लाभुक समिति⁵⁷ (अगस्त 2007) द्वारा शुरू किया गया था लेकिन मार्च 2022 तक कार्य अपूर्ण था। यद्यपि निर्माण पर ₹ 9.26 लाख व्यय किये गये थे, तथापि वर्ष 2010 तक केवल छत की संरचना ही पूर्ण हो पाई थी।

अपूर्ण कार्यों का निर्माण अगस्त 2022 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका, जबकि पं.रा. विभाग ने उपायुक्त, गिरिडीह को इन पंचायत भवनों के पूर्ण न होने का कारण बताने का निर्देश (फरवरी 2022) दिया था।

2.2.6.2 लागत में वृद्धि

लागत में वृद्धि तब होती है, जब परियोजनाओं की वास्तविक लागत, संबंधित परियोजनाओं की नियोजित लागत से अधिक हो जाती है। ऐसा नियोजन चरणों में गलत अनुमान, देरी या कार्य के दायरे में बदलाव के कारण होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन नमूना-जाँचित जिला परिषदों (चतरा, गिरिडीह और हज़ारीबाग) में, संबंधित निष्पादन एजेंसियों (नमूना-जाँचित जिला परिषदों के प्रखण्ड) द्वारा 54 पंचायत भवनों का निर्माण ससमय पूरा नहीं किया गया था। तत्पश्चात, जिला परिषदों ने इन पंचायत भवनों का निर्माण शुरू किया और उनके अवशिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु चालू अनुसूचित दर के अनुसार संशोधित अनुमान तैयार किया। जिसके कारण पंचायत भवनों के निर्माण की लागत में ₹ 5.23 करोड़ की वृद्धि हुई थी (परिशिष्ट-2.2.1)।

इसके अलावा, गिरिडीह जिला परिषद, ने 14 पंचायत भवनों के अवशिष्ट कार्यों के लिए ₹ 2.69 करोड़ (जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014) के प्राक्कलन संशोधन के उपरान्त कार्य पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की। हालाँकि, इसने प्राक्कलन को फिर से संशोधित कर ₹ 3.06 करोड़ कर दिया और मार्च 2017 में, प्राक्कलन के

⁵⁶ बोकारो - नारायणपुर, चतरा - बकचुम्बा और गोराहाई और पश्चिमी सिंहभूम -जलासार

⁵⁷ लाभुक समिति में ग्राम सभा द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति शामिल होते हैं।

पहले संशोधन के दो साल से अधिक समय बीत जाने के पश्चात, निविदा आमंत्रित की गई। इस प्रकार, निविदा आमंत्रण में देरी के कारण इन पंचायत भवनों की निर्माण लागत में ₹ 36.53 लाख की वृद्धि हुई (परिशिष्ट- 2.2.2)।

2.2.6.3 गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो⁵⁸ ने 'प्लेन एंड रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस' पर एक विस्तृत दिशानिर्देश (जुलाई 2000), जारी किया था जिसमें कंक्रीट संरचना की स्थायित्व आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। उपरोक्त "कोड ऑफ प्रैक्टिस" की धारा 17.1.1 में कहा गया है कि "गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए रैफोर्समेंट और कंक्रीट के घटक सामग्रियों का परीक्षण किया जाना चाहिए"।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चार⁵⁹ नमूना-परीक्षित जिला परिषदों (राँची और पश्चिम सिंहभूम जिला परिषद को छोड़कर) द्वारा पंचायत भवनों में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्रियों के परीक्षण हेतु अधिकृत परीक्षण एजेंसियों जैसे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी, झारखण्ड को भेजा गया और संबंधित एजेंसियों द्वारा जाँच प्रतिवेदन जिला परिषदों को प्रस्तुत कर दिया गया। जबकि, राँची और पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषदों के मामले में, निर्माण सामग्रियों का कोई परीक्षण नहीं किया गया था। निर्माण सामग्रियों के गुणवत्ता नियंत्रण में दोनों जिला परिषदों में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

i) जिला परिषद, राँची ने तीन पंचायत भवनों⁶⁰ के निर्माण में संबंधित संवेदक को कार्य आवंटित करने से पहले ही अनियमित रूप से परीक्षण करने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा, काँके प्रखण्ड के अंतर्गत काँके उत्तरी में चौथे पंचायत भवन के निर्माण में, जिला परिषद, राँची ने कंक्रीट परीक्षण संचालन के मानदंडों⁶¹ के विरुद्ध भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद कंक्रीट क्यूब टेस्ट हेतु अनियमित रूप से मंजूरी दी थी।

ii) पश्चिम सिंहभूम में, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान 16 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवनों का निर्माण किया गया था, और 56 अपूर्ण पंचायत भवनों में अवशिष्ट कार्य पूर्ण कर लिया गया था, इनमें से किसी भी कार्य में कंक्रीट क्यूब टेस्ट नहीं करवाये गये थे।

⁵⁸ राष्ट्रीय मानक उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक निकाय

⁵⁹ बोकारो, चतरा, गिरिडीह और हजारीबाग

⁶⁰ मांडर प्रखंड के अंतर्गत तिगाई अंबाटोली, साथ ही तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत कुंडला और मानकीडीह

⁶¹ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्गत 'मेथड्स ऑफ टेस्ट्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट' के अनुसार कंक्रीट के नमूने को सर्वप्रथम क्यूबिकल मोल्ड में लिया जाता है एवं 24 घंटे के सेटिंग के उपरांत, नमूने को मोल्ड से निकालकर इसे पानी में डाला जाता है। इसके उपरांत नमूने की स्थायित्व और ताकत की जाँच करने के लिए उसे एक संपीड़न परीक्षण मशीन द्वारा संपीड़ित किया जाता है।

इससे यह संकेत मिलता है कि जिला परिषदों ने पंचायत भवनों की गुणवत्ता और स्थायित्व पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

2.2.7 पंचायत भवनों का हस्तान्तरण

2.2.7.1 अपूर्ण पंचायत भवन का हस्तान्तरण

पंचायत भवनों के निर्माण का उद्देश्य ग्राम सभा की बैठकों/सभाओं, जो ग्रामीण विकास योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थीं, के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) स्तर पर पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग करना था।

पंचायत भवन के निर्माण के अनुमान में, पंचायत भवनों के निर्माण के अलावा, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति प्रणाली (बोरवेल), सेप्टिक टैंक और स्वच्छता कार्य के प्रावधान शामिल थे।

जिला परिषद, बोकारो के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि दो प्रखंडों⁶² में पाँच पंचायत भवनों को अपूर्ण स्थिति में तथा निर्माण में खामियों को दूर किए बगैर ग्राम पंचायतों (कुरुम्बा, नर्रा, नवाडीह, पोत्सो और तारानारी) को हस्तांतरित कर दिया गया था जिसका पता बोकारो जिला परिषद् के डीडीसी-सह-सीईओ एवं कार्यपालक पदाधिकारी तथा बोकारो जिले के ग्रामीण विकास और विशेष प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2017) से चला।

इसके अलावा, पाँच लेखापरीक्षित जिला परिषदों (जिला परिषद, हजारीबाग को छोड़कर) में, 20 पंचायत भवनों (*परिशिष्ट-2.2.3*) में विद्युतीकरण, स्वच्छता फिटिंग और जल आपूर्ति जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित किए बगैर उनके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से छः से 362 दिन पहले, अपूर्ण हालत में ही संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया था।

जिला परिषद द्वारा पंचायत भवनों की स्थिति का उचित निरीक्षण सुनिश्चित किए बिना, इन पंचायत भवनों को ग्रा.पं. को सौंप दिया गया था।

नमूना-जाँचित जिला परिषदों में से दो जि.प. (राँची और पश्चिम सिंहभूम) के दो अन्य पंचायत भवनों⁶³, जिन्हें ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया गया था, के संबंधित मुखिया ने बाद में इमारतों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति⁶⁴ के बारे में शिकायत की थी।

2.2.7.2 पंचायत भवनों के हस्तांतरण में विलंब

पंचायत भवनों की इमारतों को पंचायत भवनों के निर्माण और सत्यापन के तुरंत बाद संबंधित ग्रा.पं. को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ताकि भवनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों हेतु किया जा सके।

⁶² नवाडीह ब्लॉक (नवाडीह, पोत्सो) और चंद्रपुरा (तारानारी, नर्रा और कुरुम्बा)

⁶³ राँची में मनकीदी पंचायत भवन और पश्चिमी सिंहभूम में कौंडवा


⁶⁴ जिसमें फर्श, शौचालय, दरवाजे, खिड़कियों में दरारें शामिल हैं; दीवारें अधूरी हैं; और ठेकेदारों द्वारा बिजली कनेक्शन और मोटर कार्य ठीक से नहीं किया गया है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँचित जिला परिषदों में से दो जि.प. (बोकारो और राँची) के नौ पंचायत भवनों⁶⁵ को निर्माण पूर्ण होने की निर्धारित तिथियों से 213 से 760 दिनों के बीच की देरी से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया था। हालाँकि, ग्रा.पं. को पंचायत भवन देरी से हस्तान्तरण का कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

2.2.8 पंचायत भवन में ढाँचागत सुविधाओं का अभाव

लेखापरीक्षा अवधि 2017-22 के दौरान, नमूना-जाँचित जिला परिषदों में से केवल तीन⁶⁶ जि.प. को विभिन्न मूलभूत सुविधाएँ, जैसे कि जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, शौचालय आदि प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा (अगस्त 2017) ₹ 6.85 करोड़ जारी किए गए थे। हालाँकि, उक्त ₹ 6.85 करोड़ की राशि में से, तीन नमूना-जाँचित जिला परिषदों में से किसी भी जि.प. ने संबंधित पंचायत भवनों में ऐसी मूलभूत सुविधाओं के अधिष्ठापन हेतु कोई राशि खर्च नहीं की थी।

इन तीन जिलों (गिरिडीह, राँची और पश्चिम सिंहभूम) द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर, मार्च 2022 तक 853 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में इन पंचायत भवनों में मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता में कमियाँ पाई गईं, जैसा कि चार्ट-2.2.1 में दिखाया गया है।



⁶⁵ बोकारो: अराजू और रंगामाटी पूर्व और राँची: मंदार, सोनाहातू, गाली, पंडारा, सातकनाडु, काँके उत्तर और गागी

⁶⁶ गिरिडीह: ₹ 4.78 करोड़, राँची: ₹ 1.21 करोड़ और पश्चिमी सिंहभूम: ₹ 0.85 करोड़

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में नौ पंचायत भवनों⁶⁷ के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि इनमें जल आपूर्ति, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। छह पंचायत भवनों⁶⁸ के मामले में, यह भी पाया गया कि, रख-रखाव ठीक न होने के कारण इमारतें जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं, जैसा कि फोटोग्राफ 1 से 4 में दिखाया गया है।



⁶⁷ बोकारो : अराजू पंचायत भवन; चतरा : पांडेपुरा पंचायत भवन और दादी पंचायत भवन; गिरिडीह : सापामारन पंचायत भवन; हजारीबाग: मसरतु पंचायत भवन, पसाई पंचायत भवन और ढेंगुरा पंचायत भवन; पश्चिमी सिंहभूम : कोलचोकरा पंचायत भवन और जामिद पंचायत भवन

⁶⁸ बोकारो : बिजुलिया पंचायत भवन; चतरा : इचाक पंचायत भवन; गिरिडीह : सिरमडीह पंचायत भवन; हजारीबाग : ढेंगुरा पंचायत भवन और नवाडीह पंचायत भवन; पश्चिमी सिंहभूम : कोकचो पंचायत भवन

2.2.9 पंचायत भवनों का अनियमित उपयोग

पंचायत भवनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य उन्हें ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) स्तर पर पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग करना था: जैसे (i) ग्रामीण विकास योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभा की बैठकों/सभाओं का संचालन करने के लिए और (ii) ग्रामीण लोगों को आवश्यक सूचना प्रदान करने हेतु नागरिक पहुँच केंद्र के रूप में।

हालाँकि, योजना संचिकाओं की संवीक्षा और चयनित जिला परिषदों में 35 पंचायत भवनों के भौतिक सत्यापन से पंचायत भवनों के अनियमित उपयोग का पता चला, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- i) झारखण्ड सरकार के पुलिस विभाग द्वारा तीन पंचायत भवनों⁶⁹ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था।
- ii) हजारीबाग जिला परिषद के बिशुनगढ़ प्रखण्ड के अंतर्गत एक पंचायत भवन का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इमारत के ऊपर से एक हाई टेंशन वायर गुजर रहा था। इसके अलावा, पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखण्ड के अंतर्गत कोलचोकरा में एक पंचायत भवन परित्यक्त पाया गया, क्योंकि इमारत मुख्य पंचायत क्षेत्र से बहुत दूर थी।
- iii) पश्चिमी सिंहभूम जि.प. ने कोलचोकरा में एक पंचायत भवन के निर्माण में ₹ 34.67 लाख की राशि (अगस्त 2020) खर्च की थी लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि पंचायत भवन का निर्माण गाँवों से बहुत दूर किया गया था। इसी तरह, पंचायत भवन, कोलचोकरा के परिसर में ₹ 16.18 लाख की अनुमानित लागत से एक बहुद्देशीय इकाई (दो कमरे) का निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा था (हालाँकि दिसंबर 2022 तक भुगतान नहीं किया गया था)।
- iv) भौतिक सत्यापन के समय 11 पंचायत भवन⁷⁰ बंद/लॉक पाए गए।

छ: पंचायत भवनों की तस्वीरें 5 से 10, इन पंचायत भवनों के अनियमित उपयोग को दर्शाती हैं, जो उन उद्देश्यों के लिए नहीं किये जा रहे थे जिनके लिए इनका निर्माण किया गया था।

⁶⁹ हजारीबाग में कटकमदाग और लाखे तथा पश्चिमी सिंहभूम में कोकचो

⁷⁰ चतरा: योगियारा, गंजुआ, बभने, ऊरा और मीरपुर; गिरिडीह: रेम्बो और सापामारन; पश्चिमी सिंहभूम: नीमडीह, खासपोखरा, कसेया और नरसंडा



फोटो-5: पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत भवन सिलफोरी में संचालित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा



फोटो-6: पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत हथिया स्थित पंचायत भवन का पंचायत सेवक कार्यालय, जिसका उपयोग स्टोर रूम के रूप में किया जा रहा है।



फोटो-7: पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत भवन, कोकचो में पुलिस विभाग द्वारा चलायी जा रही चौकी



फोटो-8: बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत उकरीद स्थित पंचायत भवन में संचालित विद्यालय के शिक्षक, बेंच, डेस्क व छात्रों के स्कूल बैग



फोटो-9: सदर प्रखंड अंतर्गत लुपुगुट में सेवानिवृत्त पंचायत सेवक द्वारा निवास के रूप में उपयोग किया जा रहा पंचायत भवन



फोटो-10: लाखे, हज़ारीबाग स्थित पंचायत भवन, जिस पर पुलिस थाना चलाने के उद्देश्य से कब्जा किया गया है।

इस प्रकार, पंचायत भवनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उन पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

2.2.10 लेखापरीक्षा में बाधाएँ

i) आँकड़ों व सूचनाओं का अप्रस्तुतीकरण

पंचायती राज (पं.रा.) विभाग और नमूना-जाँचित जिला परिषदों ने सम्पूर्ण सूचना, जैसे आँकड़े, प्रश्नावली से संबंधित सूचना (लेखापरीक्षा जाँच के एक भाग के रूप में तैयार) आदि प्रदान नहीं की, जो अपूर्ण पंचायत भवनों के निर्माण/पूर्णता की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए आवश्यक था।

ii) अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

नमूना-जाँचित जिला परिषदों द्वारा नव निर्माण हेतु 63 पंचायत भवनों तथा अवशिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु 312 पंचायत भवनों को लिया गया था। चूँकि पूर्ण/अपूर्ण पंचायत भवनों के अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा के समक्ष नहीं किया गया, जिस कारण से, मानक प्राक्कलन, शेष कार्य, पंचायत भवनों की अपूर्णता की वजह, कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि, उपलब्ध धनराशि का शेष, विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए जिला परिषद और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई, तकनीकी स्वीकृतियों एवं प्रशासनिक अनुमोदनों आदि की जाँच नहीं की जा सकी।

2.2.11 निष्कर्ष

राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य अधूरा रह गया क्योंकि मार्च 2022 तक कुल 4,350 पंचायत भवनों में से 89 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ पंचायत भवनों को, जो पहले ही निर्मित हो चुके थे, या तो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया, या जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाये गये थे, उनके लिए उपयोग नहीं किये जा रहे थे। परिणामस्वरूप, स्थानीय शासन की सहायता के लिए पंचायत भवनों को सुविधा केंद्र के रूप में उपयोग करने का उद्देश्य अधूरा रह गया।

2.2.12 अनुशंसाएँ

अनुशंसा 1: पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, ताकि उनके निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।

अनुशंसा 2: सभी पंचायत भवनों में मूलभूत संरचना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अनुशंसा 3: राज्य में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान जारी करते समय विभाग द्वारा समुचित सतर्कता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

भाग-ख

शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-III

**शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली,
जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन
मुद्दों का विहंगावलोकन**

अध्याय - III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही प्रक्रिया और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दों का विहंगावलोकन

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली का विहंगावलोकन

3.1 परिचय

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए स्थानीय स्व-शासन के सृजन की परिकल्पना की गई थी। इस संशोधन ने नगरपालिकाओं को संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की सेवाएँ प्रदान करने के लिए शासन और सशक्त शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसका उद्देश्य नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना था।

फरवरी 2012 में, राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (झा.न. अधिनियम), 2011 अधिनियमित किया। झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल को भी राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2012 में राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल के आधार पर अनुमोदित किया गया था, जो श.स्था.नि. में लेखांकन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड की शहरी आबादी 79 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या (लगभग 3.30 करोड़) का 24 प्रतिशत थी। राज्य की तुलनात्मक जनसांख्यिकीय और विकासात्मक तस्वीर तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े

विवरण	राज्य	शहरी क्षेत्र
जनसंख्या	3,29,88,134	79,33,061
जनसंख्या (पुरुष)	1,69,30,315	41,53,829
जनसंख्या (महिला)	1,60,57,819	37,79,232
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	39,85,644	8,32,781
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	86,45,042	7,76,892
लिंगानुपात	949	910
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	948	908
साक्षरता दर (पुरुष) (7+ वर्ष) (प्रतिशत)	76.84	88.44
साक्षरता दर (महिला) (7+ वर्ष) (प्रतिशत)	55.4	75.5

(स्रोत: जनगणना 2011)

झारखण्ड में 50 श.स्था.नि. हैं, जिनमें नौ नगर निगम, 21 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत और एक अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) है। राज्य के श.स्था.नि. का विवरण परिशिष्ट-3.1 में दिया गया है।

3.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अध्याय-III के लिए 20 चयनित श.स्था.नि. (परिशिष्ट-3.2) और नगर विकास एवं आवास विभाग के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि की लेखापरीक्षा जाँच की गई। 50 श.स्था.नि. में 20 श.स्था.नि. का चयन, प्राप्तियों, व्यय और लेखापरीक्षा की आवृत्ति जैसे जोखिम मूल्यांकन मापदंडों पर आधारित थी।


3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

3.3.1 संगठनात्मक संरचना

श.स्था.नि., नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि.), झारखण्ड सरकार (झा.स.) के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। नगर निगम/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों (का.प.) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उनके पास झा.न. अधिनियम, 2011 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन श.स्था.नि. के प्रशासन को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए कार्यकारी शक्तियाँ हैं।

नगर पालिका में सभी मतदाताओं द्वारा चुने गए मेयर/अध्यक्ष नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। हालाँकि, अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) में, नगर विकास और आवास विभाग द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी एनएसी के कामकाज की देखरेख करता है। नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों की समितियों/उप-समितियों के सदस्य निर्वाचित पार्षदों में से चुने जाते हैं। श.स्था.नि. की संगठनात्मक संरचना को चार्ट-3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक संरचना



(स्रोत: झा.न.अधिनियम, 2011)

3.3.2 शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण

ज्ञान.अधिनियम, 2011 के अनुसार, राज्य सरकार, किसी भी स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या के घनत्व, ऐसे क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के अलावा अन्य क्रियाकलापों में रोजगार का प्रतिशत, ऐसे क्षेत्र का आर्थिक महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र⁷¹ को एक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र⁷², या एक लघुतर नगरीय क्षेत्र⁷³, या एक संक्रमणशील क्षेत्र⁷⁴ घोषित कर सकती है।

मार्च 2022 तक राज्य में उपर्युक्त आधार पर श.स्था.नि., का वर्गीकरण तालिका-3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.2: श.स्था.नि. का वर्गीकरण

वर्ग	नाम	जनसंख्या	श.स्था.नि. की संख्या
वृहत्तर नगरीय क्षेत्र	नगर निगम	1.5 लाख और अधिक	09
लघुतर नगरीय क्षेत्र	नगर परिषद	वर्ग 'अ' वर्ग 'ब'	एक लाख और उससे अधिक एवं 1.5 लाख से कम 0.40 लाख और उससे अधिक एवं एक लाख से कम
			20
संक्रमणशील क्षेत्र	नगर पंचायत	0.12 लाख और उससे अधिक एवं 0.40 लाख से कम	19
	अधिसूचित क्षेत्र समिति		01
कुल			50

(स्रोत: ज्ञान. अधिनियम, 2011 की धारा 8 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न.वि.आ.वि. का वार्षिक प्रतिवेदन)

3.3.3 परिषदों का चुनाव और गठन

ज्ञान. अधिनियम, 2011 की धारा 20 के साथ पठित 74वें सविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 यू (3) (ए) में नगरपालिकाओं के लिए उनकी पहली बैठकों की तिथियों से पाँच साल का एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। नए श.स्था.नि. की अधिसूचना और मौजूदा श.स्था.नि. के विघटन के मामले में, ऐसी अधिसूचना या विघटन की तिथि से छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग (रा.नि.आ.) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 34 श.स्था.नि.⁷⁵ में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों और गठित परिषदों

⁷¹ बशर्ते कि स्थानीय क्षेत्र जिसने बाजार सुविधा की उपलब्धता, स्थापित उद्योग अथवा उद्योग, वाणिज्य या शिक्षा को आकर्षित करने की संभावना, चिकित्सा सेवा अथवा आर्थिक एवं औद्योगिक वृद्धि के लिए अन्य ऐसी आधारभूत सुविधाओं जैसी शहरी विशेषताएँ तथा महत्व प्राप्त कर लिया हो, को भी ध्यान में रखा जाएगा।

⁷² वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) जिनकी जनसंख्या एक लाख पचास हजार तथा उससे अधिक हो।

⁷³ लघुतर नगरीय क्षेत्र (नगर परिषद) जिनकी जनसंख्या चालीस हजार से अधिक तथा एक लाख पचास हजार से कम हो।

⁷⁴ संक्रमणशील क्षेत्र (नगर पंचायत) जिनकी जनसंख्या बारह हजार से अधिक एवं चालीस हजार से कम हो।

⁷⁵ पाँच नगर निगम, 16 नगर परिषद एवं 13 नगर पंचायत

के लिए चुनाव (मार्च और अप्रैल 2018) आयोजित किए। आठ श.स्था.नि.⁷⁶ में चुनाव, जिनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो रहा था और छह नवगठित (अप्रैल 2018 और सितंबर 2018 के बीच) नगर पंचायतों⁷⁷ को मई-जून 2020 में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रा.नि.आ. द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया था (मई 2020)। इन श.स्था.नि. में, नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 16 (8) के तहत श.स्था.नि. की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए प्रशासक के रूप में अधिसूचित (जून 2020) किया गया था।

दो श.स्था.नि., मानगो और जुगसलाई को क्रमशः नगर निगम और नगर परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया था (अगस्त 2017), लेकिन मार्च 2022 तक चार साल से अधिक समय तक चुनाव नहीं हो सके, क्योंकि इन श.स्था.नि. में पिछड़े वर्गों की आबादी, जो आवश्यक सीटों की पहचान के लिए आवश्यक थी, का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनकी पहचान के लिए नियम नहीं बनाए गए थे।

3.4 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली

श.स्था.नि. को नियंत्रित करने वाला झा.न.अधिनियम, 2011, राज्य सरकार को श.स्था.नि. के उचित कामकाज की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ सौंपता है। राज्य सरकार की शक्तियों का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका – 3.3: राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकार	सरकार द्वारा उपयोग की गई शक्ति
धारा 91	अभिलेखों को माँगने की शक्ति राज्य सरकार किसी भी समय, किसी भी नगरपालिका प्राधिकारी से कोई अभिलेख, पत्र-व्यवहार, योजना या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने, कोई विवरणी, योजना, अनुमान, लेखा विवरणी या सांख्यिकी प्रस्तुत करने, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की मांग कर सकती है।
धारा 92	जाँच करने की शक्ति राज्य सरकार नगरपालिका के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, कार्य या संपत्ति का निरीक्षण या जाँच करने और उसे प्रतिवेदित करने के लिए किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकती है।
धारा 94	प्रस्ताव को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति राज्य सरकार श.स्था.नि. द्वारा लिए गए प्रस्ताव या निर्णय को रद्द कर सकती है, यदि सरकार की राय में यह कानूनी रूप से पारित नहीं किया गया है या अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक है या नगरपालिका को वित्तीय नुकसान पहुँचा सकती है।

⁷⁶ तीन नगर निगम (चास, देवघर एवं धनबाद), तीन नगर परिषद (विश्रामपुर, चक्रधरपुर एवं झुमरी तिलैया) एवं दो नगर पंचायत (कोडरमा एवं मझीआँव)

⁷⁷ बचरा, बड़कीसरैया, धनवार, गोमिया, हरिहरगंज एवं महगामा

प्राधिकार	सरकार द्वारा उपयोग की गई शक्ति
धारा 96	भंग करने की शक्ति सरकार श.स्था.नि. को भंग कर सकती है, यदि श.स्था.नि. उन पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का पालन करने या प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं।
धारा 590	नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
धारा 614	कठिनाइयों का निवारण यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकती है।

(स्रोत: ज्ञान. अधिनियम, 2011)

3.4.2 कार्यों का अंतरण

भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद -243डब्ल्यू) में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार, कानून द्वारा, श.स्था.नि. को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकती है, जो उन्हें स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।

हालाँकि, बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 18 विषयों को ज्ञान. अधिनियम, 2011 की धारा 70 में शामिल किया गया था, केवल एक विषय (जल आपूर्ति) को विभागीय संकल्प (जुलाई 2012) के माध्यम से श.स्था.नि. को स्थानांतरित किया गया था।

न.वि.आ.वि. (विभाग) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श.स्था.नि. द्वारा 10 कार्य⁷⁸ पूरी तरह से किए जा रहे थे, छह कार्य⁷⁹ आंशिक रूप से किए जा रहे थे और शेष दो कार्यों⁸⁰ के निष्पादन में श.स्था.नि. की कोई भूमिका नहीं थी। इसी तरह की प्रवृत्ति चयनित 20 श.स्था.नि. में देखी गई।

⁷⁸ 1.नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है;2.भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण;3.मलिन बस्ती सुधार और प्रोन्नयन;4.नगरीय निर्धनता उन्मूलन;5.नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था;6.शव गाड़ना और कब्रिस्तान;शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह;7.कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण;8.जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन भी है;9.सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएँ भी हैं और 10. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियम।

⁷⁹ 1.आर्थिक और सामाजिक विकास योजना; 2.सड़के और पुल; 3.घरेलू, आद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय; 4.लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंधन; 5.समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा और 6.सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।

⁸⁰ 1.अग्निशामक सेवाएँ एवं 2.नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।

3.4.3 निधियों का अंतरण

स्थानांतरित कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए श.स्था.नि. को निधियों का हस्तांतरण एक पूर्व शर्त है। राज्य सरकार श.स्था.नि. को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों जैसे जल आपूर्ति, सड़क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइटिंग इत्यादि के लिए सीधे निधि जारी करती है। इसके अतिरिक्त, अनुदान अर्थात, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) इत्यादि राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए श.स्था.नि. को जारी किए जाते हैं।

3.4.4 विशेष उद्देश्य के लिए निधि का व्यापक उपयोग

राज्य सरकार द्वारा झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 105(2) के तहत प्रत्येक नगरपालिका में शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाओं की प्रदायता के प्रयोजनार्थ 'बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर फण्ड' नाम से अलग निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसके लिए नगरपालिका के बजट का कम-से-कम 25 प्रतिशत धन निर्धारित किया जाना था और इस निधि में वार्षिक आधार पर जमा किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका को प्रति वर्ष नगरपालिका बजट के साथ-साथ उक्त निधि के आय एवं व्यय के विवरण को दर्शाते हुए एक अलग बजट तैयार करना आवश्यक था, जिसे पी-बजट⁸¹ के रूप में जाना जाता है।

20 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में से न तो किसी श.स्था.नि. ने 'बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर फण्ड' तैयार किया था और न ही पी-बजट तैयार किये गये थे।

3.4.5 कर्मियों का स्थानांतरण

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 382 के अनुसार, राज्य सरकार उस नगरपालिका को ऐसी निधि और कर्मी आवंटित करेगी जो भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में योजनाओं को लागू करने में नगरपालिका को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।

स्थानीय निकायों द्वारा हस्तांतरित शक्तियों और कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए, श.स्था.नि. द्वारा किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, सभी स्तरों पर योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है।

प्रथम राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की सिफारिशों के आलोक में, राज्य सरकार ने श.स्था.नि. में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित (मई 2010) किया था और तदनुसार पदों का सृजन किया था। राज्य सरकार ने श.स्था.नि. के लिए

⁸¹ प्रत्येक नगरपालिका को प्रति वर्ष, नगरपालिका बजट के साथ एक अलग बजट तैयार करना था। इस बजट में मलिन बस्तियों में रहने वाले को शामिल करते हुए, शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाओं की प्रदायता के प्रयोजनार्थ, 'बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर फण्ड' नाम से अलग एक निधि की स्थापना करेगी।

उनकी आबादी के आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया था। इसने 43 श.स्था.नि. के लिए 11 कैडर⁸² के तहत (मई 2010 और सितंबर 2018 के बीच) 2,608 पदों को मंजूरी दी थी, जैसा कि तालिका-3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका- 3.4: नगर कैडर हेतु सृजित पद (मार्च 2022 तक)

क्रम सं.	कैडर का नाम	नौ नगर निगमों और जमशेदपुर एनएसी के लिए	20 नगर परिषदों के लिए	13 नगर पंचायतों के लिए	कुल
1.	प्रशासन	60	40	13	113
2.	अभियांत्रिकी	268	160	78	506
3.	जन स्वास्थ्य	274	320	154	748
4.	राजस्व	141	109	39	289
5.	लेखा	85	77	26	188
6.	बागवानी	18	00	00	18
7.	जन संपर्क	15	00	00	15
8.	विधिक	25	20	13	58
9.	कार्यालय प्रबंधन	216	160	52	428
10.	नगर नियोजन	94	78	37	209
11.	पशु चिकित्सा	36	00	00	36
कुल		1,232	964	412	2,608

(स्रोत: नगर प्रशासन निदेशालय द्वारा उपलब्ध आँकड़े)

तालिका-3.4 से यह देखा जा सकता है कि बागवानी, जनसंपर्क और पशु चिकित्सा संवर्गों में पदों का सृजन नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए नहीं किये गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि (अगस्त 2016 और सितंबर 2018 के बीच अधिसूचित किए गए) शेष सात श.स्था.नि.⁸³ के पदों को उनके गठन के 42 से 67 महीनों (मार्च 2022 तक) के बाद भी सृजित नहीं किए गए थे।

नमूना-जाँचित 20 श.स्था.नि. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल स्वीकृत पदों (1,308) का 76 प्रतिशत पद खाली थे (मार्च 2022 तक), (जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में वर्णित है)।

3.4.6 झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको)

झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास की योजना तैयार करने, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए, झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जुलाई 2013 में किया गया था। प्रधान सचिव, न.वि.आ.वि., झारखण्ड सरकार जुडको के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।

⁸² भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, राज्य संवर्ग, झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवाएँ एवं नगरपालिका कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारी

⁸³ बचरा, बड़की सरैया, बरहरवा, धनवार, डोमचाँच, हरिहरगंज, एवं महगामा

जुडको के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

- शहरी बुनियादी ढाँचे का सुदृढीकरण, जैसे ड्रेनेज सिस्टम के साथ सड़कें, जल आपूर्ति और सीवरेज
- कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- सार्वजनिक पार्क सहित सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, शहरी क्षेत्रों में हरियाली और जल निकायों का संरक्षण
- नगरीय योजना
- शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए आवास का प्रावधान

राज्य सरकार 'श.स्था.नि. को सहायता अनुदान' शीर्ष के तहत जुडको को 'योजना अनुदान' जारी करती है। हालाँकि श.स्था.नि. की योजनाओं के लिए जुडको द्वारा प्राप्त आवंटन और उस पर व्यय श.स्था.नि. के खातों के माध्यम से नहीं किया जाता है। अतः, उक्त आवंटन एवं व्यय श.स्था.नि. के वार्षिक खातों में प्रतिबिंबित नहीं हुए।

3.5 विभिन्न समितियों का गठन

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 24 में प्रत्येक श.स्था.नि. के लिए स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक स्थायी समिति में: (क) नगर निगम के मामले में, महापौर, उप महापौर एवं क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष (ख) नगर परिषद के मामले में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद द्वारा निर्वाचित पाँच अन्य पार्षद, (ग) नगर पंचायत के मामले में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद् द्वारा निर्वाचित तीन अन्य पार्षद शामिल होंगे। महापौर/अध्यक्ष स्थायी समिति के पीठासीन अधिकारी होते हैं और नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी समिति के प्रस्तावों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

स्थायी समितियों के कार्य इस प्रकार हैं:

i) यह एक शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की राशि या इसका कोई भाग अन्य किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की राशि में अंतरित कर सकती है, वर्ष के दौरान उद्भूत किसी विशेष अथवा अकल्पित आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त बजट प्राक्कलन तैयार कर सकती है व किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की राशि में कमी अथवा वृद्धि की सिफारिश कर सकती है।

ii) लेखा संपरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ भारत के सीएजी के नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उस पर कार्यवाई करना। आवश्यकता होने पर अवैध भुगतान करने वाले या ऐसा प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अवैध भुगतान की रकम अधिभारित करना, तथा ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा या कदाचार के कारण उपगत राशि में किसी कमी अथवा हानि अथवा ऐसी किसी राशि के लिए जिसे लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन जिसे दर्ज न किया गया हो, के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को

अधिभारित करेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से देय राशि को प्रमाणित करेगा।

iii) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की सिफारिश पर होल्डिंग टैक्स की राशि को कम कर सकता है।

iv) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से, नगरपालिका के भीतर स्थित होल्डिंग्स के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित की गई ऐसी दर पर, जो वह उचित समझे, समेकित कर लगा सकता है।

v) स्थायी समिति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बाजारों और बूचड़खानों के लिए नियम बनाने को मंजूरी दे सकता है।

vi) स्थायी समिति को बजट अनुमानों के साथ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संलग्न की जाने वाली सब्सिडी दरों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रतिवेदन की जाँच करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँचित सात श.स्था.नि.⁸⁴ में स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया था (मार्च 2022 तक)।

इसके अलावा, श.स्था.नि. को झा.न. अधिनियम और झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल, 2012 के प्रावधानों के अनुसार, अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए **परिशिष्ट-3.4** में उल्लिखित अन्य समितियों का भी गठन करना चाहिए। हालाँकि, 20 श.स्था.नि. के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि अधिनियम और मैनुअल के अनुसार गठित की जाने वाली निम्नलिखित समितियों का गठन नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: नमूना जाँचित श.स्था.नि. में समितियों का गठन नहीं किया जाना

क्रम सं.	समिति का नाम	उन श.स्था.नि. के नाम जिन्होंने समितियों का गठन नहीं किया है
1.	वार्ड समिति	बासुकीनाथ, चक्रधरपुर, चतरा, धनबाद, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, जामताड़ा, झुमरी तिलैया, जुगसलाई, लातेहार, मानगो, सरायकेला एवं पाकुड़
2.	वार्ड सभा	बासुकीनाथ, चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, झुमरी तिलैया, जुगसलाई, कोडरमा, लातेहार, मानगो, सरायकेला एवं पाकुड़
3.	क्षेत्र सभा	सभी 20 नमूना जाँचित श.स्था.नि. में
4.	क्रय (प्रोक्योरमेंट) समिति	चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर जामताड़ा, जुगसलाई, लातेहार, मानगो, एवं सरायकेला
5.	बिड ओपनिंग कमिटी	बासुकीनाथ, गिरिडीह, मेदिनीनगर, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा, चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर दुमका, जामताड़ा, झुमरी तिलैया, जुगसलाई, कोडरमा, लातेहार, मानगो एवं सरायकेला

⁸⁴ वासुकिनाथ, छतरपुर, जामताड़ा, जुगसलाई, लातेहार, मानगो एवं सरायकेला

क्रम सं.	समिति का नाम	उन श.स्था.नि. के नाम जिन्होंने समितियों का गठन नहीं किया है
6.	मुल्यांकन समिति	आदित्यपुर, बासुकीनाथ, चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, जामताड़ा, झुमरी तिलैया, जुगसलाई, कोडरमा, लातेहार, मानगो एवं सरायकेला

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त समितियों के गठन न होने के कारण परिशिष्ट-3.4 में दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.6 लेखापरीक्षा व्यवस्था

3.6.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (मार्च 2012) अधिनियमित किया और निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (स्था.नि.ले.नि.) द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान किया।

झारखण्ड सरकार की अधिसूचना (मार्च 2012) के अनुसार, सीएजी को स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन (टीजीएस) प्रदान करनी चाहिए।

स्था.नि.ले.नि. को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करनी है और अपने उपलब्ध कार्य बल के द्वारा उस वर्ष लेखापरीक्षा के लिए चयनित स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा आयोजित करनी होती है। टीजीएस व्यवस्था के तहत स्था.नि.ले.नि. द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

स्था.नि.ले.नि. ने 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए नियमित रूप से वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की थी। हालाँकि, इन योजनाओं में श.स्था.नि. के चयन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तृत जोखिम मूल्यांकन पद्धति का उल्लेख नहीं किया गया था।

स्था.नि.ले.नि. में मानव बल की भारी कमी के कारण ये वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएँ बाधित थीं, जिसके कारण वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के तहत जो योजना बनाई गई थी, उससे काफी कम निष्पादित हो पायी।

स्था.नि.ले.नि. ने लेखापरीक्षा के लिए 18 श.स्था.नि. इकाइयों (वित्त वर्ष 2020-21 में 14 और वित्त वर्ष 2021-22 में 4) की योजना बनाई, लेकिन 2017-22 के दौरान लेखापरीक्षा में केवल 12 इकाइयों को ही कवर किया। इसके अलावा, स्था.नि.ले.नि. द्वारा उक्त अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये (सितम्बर 2023 तक)।

राज्य सरकार ने प्राथमिक लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से 22 पद (मार्च 2013) सृजित किए और निदेशक, स्था.नि.ले.नि. (नवंबर 2014) की नियुक्ति की। इस प्रकार सृजित इन 22 पदों के विरुद्ध, स्था.नि.ले.नि. में केवल दो पद भरे गए थे अर्थात् एक निदेशक और एक सहायक अनुभाग अधिकारी। शेष 20 पद रिक्त थे (मार्च 2022 तक)। इसके अलावा, 22 स्वीकृत पदों में लेखापरीक्षक के पद स्वीकृत नहीं किये गये थे। स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करने के लिए, स्था.नि.ले.नि. को वित्त विभाग से 12 लेखापरीक्षकों की सेवाएँ लेनी पड़ी (2016-17)।

3.6.2 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

सीएजी के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत सीएजी, टीजीएस मॉड्यूल के अनुरूप खातों की नमूना-जाँच करता है। वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, 12 नगर निगमों, 18 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों/एनएसी की लेखापरीक्षा की गई थी। देवघर और पलामू जिलों के लिए श.स्था.नि. का जिला केंद्रित निरीक्षण प्रतिवेदन (डीसीआईआर) भी तैयार किया गया और इसे न.वि.आ.वि. एवं संबंधित श.स्था.नि. को निर्गत किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, "74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं "झारखण्ड के श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" पर एक एकाकी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः मार्च 2021 के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र (सा.सा.और आ.क्षे.) और मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए सीएजी का प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इसी तरह, मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए "राँची शहर में सीवरेज और जल निकासी प्रणाली का प्रबंधन" और "हरमू नदी का कायाकल्प और संरक्षण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा को सा.सा.और आ.क्षे. पर सीएजी प्रतिवेदन के लिए लिया गया था।"

3.7 लेखापरीक्षा अवलोकनों पर प्रतिक्रिया

3.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, श.स्था.नि. के लेनदेन की जाँच और निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण खातों तथा अन्य अभिलेखों के रखरखाव की पुष्टि के द्वारा आवधिक निरीक्षण करता है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु लेखापरीक्षा निष्कर्षों और टिप्पणियों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए। जब लेखापरीक्षा निरीक्षणों के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं का निपटान नहीं किया जाता है, तो उन्हें नि.प्र. में शामिल किया जाता है और निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुख को जारी किया जाता है, इसकी एक प्रति न.वि.आ.वि. और वित्त विभाग को भी प्रेषित की जाती है। वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए बकाया कंडिकाओं का विवरण तालिका-3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए बकाया कंडिकाओं की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	नि.प्र. में कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	निपटाए गए कंडिकाओं की संख्या	निपटारा की राशि	बकाया कंडिकाओं की संख्या	बकाया कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य
2017-18	21	241	1,186.23	0	0	241	1,186.23
2018-19	11	131	129.26	0	0	131	129.26
2019-20	6	48	768.56	0	0	48	768.56
2020-21	0	0	0	0	0	0	0
2021-22	2	11	6.85	0	0	11	6.85
कुल	40	431	2,090.90	0	0	431	2,090.90

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा संधारित बकाया कंडिका पंजी)

तालिका-3.6 से यह स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक ₹ 2,090.90 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 431 लेखापरीक्षा कंडिका बकाया थे।

बड़ी संख्या में बकाया कंडिकाओं का गैर-निपटान लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन में नगरपालिका अधिकारियों की ओर से नगण्य प्रयासों का संकेत था। इसने कमजोर आंतरिक नियंत्रणों का संकेत दिया जो वित्तीय निगरानी की कमी के जोखिम से भरे हुए थे।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2015-16 के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट (एटीआईआर) और वर्ष 2014-15 के लिए स्थानीय निकायों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधानमंडल के पटल पर क्रमशः 26 मार्च 2015, 27 अगस्त 2015, 12 अगस्त 2017 और 29 जुलाई 2016 को रखे गये थे। उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति या राज्य विधानमंडल की किसी अन्य समिति से चर्चा हेतु मार्च 2022 तक प्रेषित नहीं किया गया था।

जवाबदेही तंत्र और वित्तीय प्रतिवेदन मुद्दे

3.8 लोकपाल

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 63 के अनुसार, राज्य सरकार सौंपे गए कार्यों⁸⁵ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें 'नगरपालिका लोकपाल' के रूप में जाना जाएगा अथवा राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे तो इन कृत्यों को राज्य लोकायुक्त को सौंप सकेगी। हालाँकि, एक स्थानीय निकाय लोकपाल की नियुक्ति के बदले में, न.वि.आ.वि. ने मार्च 2021 में अधिसूचना

⁸⁵ किसी भी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सेवाओं से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना; उपर्युक्त शिकायतों पर विचार करना, और नगरपालिका तथा व्यथित पक्षकार के बीच समझौता या सुलह द्वारा इस निमित्त अधिनिर्णय पारित करके संतोषप्रद ढंग से निपटारा सुसाध्य करना; पदाधिकारियों, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और पार्षदों के पदीय अष्टाचार की शिकायतों की जाँच पड़ताल करना

जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि स्थानीय निकाय लोकपाल की शक्तियाँ और कार्य राज्य लोकायुक्त⁸⁶ में निहित होंगे।

इस प्रकार, राज्य में नगरपालिका लोकपाल के अभाव के कारण, नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जाँच मार्च 2021 तक अप्राप्य रही। हालाँकि, मार्च 2021 में राज्य लोकायुक्त को 'नगरपालिका लोकपाल' के कार्यों के हस्तांतरण के साथ, अब झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के पास नगरपालिका सेवाओं में कमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच होगा।

3.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड वित्तीय नियमों के अनुसार, वार्षिक या गैर-आवर्ती सशर्त अनुदान के मामले में, विभागीय अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान सहायता विपत्र आहरित किया जाता है, अनुदान की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करेगा।

31 मार्च 2022 तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति तालिका-3.7 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.7: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (31.03.2022 तक)

वित्त वर्ष	विस्तृत लेखा शीर्ष					
	2215		2217		4217	
	यूसी की संख्या	(राशि करोड़ में)	यूसी की संख्या	(राशि करोड़ में)	यूसी की संख्या	(₹ करोड़ में)
2006-07	41	6.72	96	14.25	32	0.44
2007-08	29	3.53	36	2.44	104	38.41
2008-09	111	15.93	78	4.92	121	89.85
2009-10	159	11.68	177	14.42	191	166.27
2010-11	230	55.44	192	68.28	3	5.00
2011-12	114	79.28	161	33.31	132	183.63
2012-13	61	54.09	535	179.16	2	0.25
2013-14	122	46.42	663	357.65	0	0.00
2014-15	188	171.79	617	662.55	0	0.00
2015-16	172	840.02	0	0.00	0	0.00
2016-17	140	1,312.09	0	0.00	0	0.00
2017-18	92	1,154.58	0	0.00	0	0.00
2018-19	128	984.65	0	0.00	0	0.00

⁸⁶ राज्यपाल के द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। झारखण्ड लोकायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, शहरों के महापौर, नेता प्रतिपक्ष एवं राज्य कर्मियों के विरुद्ध आरोप एवं शिकायतों की जाँच करने का पूर्ण एवं विशिष्ट अधिकार है।

वित्त वर्ष	विस्तृत लेखा शीर्ष					
	2215		2217		4217	
	यूसी की संख्या	(राशि करोड़ में)	यूसी की संख्या	(राशि करोड़ में)	यूसी की संख्या	(₹ करोड़ में)
2019-20	59	368.60	0	0.00	0	0.00
2020-21	121	666.45	0	0.00	0	0.00
कुल	1,767	5,771.27	2,555	1,336.98	585	483.85

(नोट: 2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता; 2217-शहरी विकास और 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय)

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लंबी अवधि से (2006-07 से) बड़ी मात्रा में लंबित यूसी (₹ 7592.10 करोड़), निधियों की उपयोगिता के सन्दर्भ में एक अपर्याप्त निगरानी तंत्र का संकेत दिया। इससे निधियों के दुरुपयोग या इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग न किए जाने का जोखिम था।

3.10 श.स्था.नि. की आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 123 के अनुसार, राज्य सरकार अथवा नगरपालिका प्राधिकारियों को श.स्था.नि. के दैनन्दिन लेखा की आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि संगठन के वित्तीय हित और संसाधन सुरक्षित हैं और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हैं।

लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरियों को देखा, जैसा कि श.स्था.नि. के अधिकारियों के द्वारा मौजूदा नियमों, अधिनियमों, आदेशों आदि के गैर-अनुपालन से स्पष्ट है, जो अनुवर्ती कंडिकाओं 3.11.3 और 3.11.4 में परिलक्षित है।


3.11 वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दे

3.11.1 श.स्था.नि. के संसाधन

श.स्था.नि., वेतन के भुगतान (अनुदान और ऋण के रूप में) और विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिए योजना और गैर-योजना शीर्षों के तहत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। साथ ही, शहरी स्थानीय निकाय, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में, केंद्र सरकार से भी अनुदान प्राप्त करते हैं।

श.स्था.नि. से संपत्ति कर, जल उपयोगकर्ता शुल्क, नगरपालिका लाइसेंस शुल्क, विज्ञापन कर, भवन योजनाओं की मंजूरी, किराये की आय आदि से राजस्व एकत्र करने की अपेक्षा की जाती है। श.स्था.नि. को उपलब्ध संसाधन को चार्ट-3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट-3.2: श.स्था.नि. के संसाधन



(स्रोत: ज्ञान. अधिनियम, 2011 एवं श.स्था.नि. के वार्षिक खाते)

3.11.2 राज्य के बजट आवंटन के अनुसार श.स्था.नि. को विमुक्त धनराशि

झारखण्ड सरकार के न.वि.आ.वि. के शहरी विकास प्रभाग द्वारा श.स्था.नि. को विमुक्त अनुदान के विरुद्ध व्यय की विवरणी तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8: न.वि.आ.वि. के शहरी विकास प्रभाग द्वारा जारी अनुदानों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
बजट आवंटन	राजस्व	192.03	157.2	215.69	226.36	142.91	934.19
	पूंजी	3,108.57	2,912.74	2,956.84	2,948.61	2,620.22	14,546.98
	कुल	3,300.6	3,069.94	3,172.53	3,174.97	2,763.13	15,481.17
व्यय	राजस्व	178.31	129.89	187.33	192.61	121.65	809.79
	पूंजी	2,853.73	2,351.16	2,733.58	2,948.61	2,431.09	13,318.17
	कुल	3,032.04	2,481.05	2,920.91	3,141.22	2,552.74	14,127.96
बचत	राजस्व	13.72	27.31	28.36	33.75	21.26	124.4
	पूंजी	254.83	561.58	223.26	0	189.13	1228.8
कुल		268.55	588.89	251.62	33.75	210.39	1,353.2
बचत (प्रतिशत में)		8.1	19.2	7.9	1.1	7.6	8.7

(स्रोत: न.वि.आ.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)

तालिका 3.8 से यह स्पष्ट है कि, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार इन बजटीय अनुदानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के दौरान बचत का प्रतिशत 7.6 प्रतिशत से 19.2 प्रतिशत तक था।

3.11.3 बजट तैयार न करना

वार्षिक बजट, वित्तीय नियोजन, जवाबदेही और आंतरिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल, 2012 के नियम 45 के अनुसार, नगरपालिका निधि से कोई भी व्यय तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह व्यय बजट अनुदान द्वारा कवर नहीं होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 20 नमूना जाँचित श.स्था.नि. में से पाँच ने अपने बजट अनुमान तैयार नहीं किए थे, जैसा कि तालिका-3.9 में वर्णित है।

तालिका-3.9: बजट अनुमान तैयार न करना एवं किए गए व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श.स्था.नि.	वित्त वर्ष जिसके लिए बजट तैयार नहीं किया गया	बिना किसी बजटीय प्रावधान के किये गये व्यय
1.	चक्रधरपुर	2019-20 से 2021-22	69.24
2.	छतरपुर	2017-18 से 2021-22	46.12
3.	गढ़वा	2020-21 एवं 2021-22	43.44
4.	पाकुड़	2016-17	41.31
5.	सरायकेला	2019-20 से 2021-22	24.37
कुल			224.48

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

उपर्युक्त तालिका 3.9 से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त पाँच श.स्था.नि. ने बजटीय प्रावधानों के बिना ₹ 224.48 करोड़ रुपये का व्यय किया था। यह झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, बजट तैयार न करना उक्त श.स्था.नि. में खराब बजटीय नियंत्रण प्रणाली का संकेत था।

3.11.4 अवास्तविक बजट तैयार करना

बजट में वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का उल्लेख किया जाता है और उन साधनों का उल्लेख किया जाता है जिनके द्वारा व्यय को वित्तपोषित करना प्रस्तावित होता है। इस प्रकार, अनुमानों को वास्तविक और पिछले वर्षों के वास्तविक उपलब्धि रुझानों के करीब होने की आवश्यकता है। नमूना जाँचित श.स्था.नि. में बजट अनुमानों और वास्तविकता के बीच की भिन्नता परिशिष्ट-3.5 में दर्शायी गई है।

परिशिष्ट-3.5 में निहित आँकड़े इंगित करते हैं कि चयनित श.स्था.नि. के बजटीय अनुमान अवास्तविक थे, क्योंकि बजट और वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के बीच व्यापक भिन्नताएँ थीं। बजट की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों और व्यय में अंतर, वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना जाँचित श.स्था.नि. में क्रमशः 4 प्रतिशत और 2,622 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत और 9,950 प्रतिशत के बीच था। इसने संकेत दिया कि बजट पिछले वर्षों के बजट और वार्षिक लेखे के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन का पर्याप्त ध्यान रखे बिना तैयार किये गये थे। यह दिखाता है कि बजट अनुमानों के लिए वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन करने में उचित सावधानी नहीं बरती गई थी।

3.11.5 नमूना जाँचित श.स्था.नि. की प्राप्तियाँ और व्यय

20 नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए प्राप्तियाँ और व्यय की स्थिति तालिका-3.10 में दी गई है।

तालिका-3.10: नमूना जाँचित श.स्था.नि. की प्राप्तियाँ और व्यय की विवरणी

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति (₹ करोड़ में)					कुल	व्यय (₹ करोड़ में)				कुल प्राप्तियों में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	कुल उपलब्ध निधि से व्यय का प्रतिशत
		योजना	गैर योजना	ऋण	स्वयं के संसाधन	अन्य		राजस्व	पूँजी	अन्य	कुल		
2017-18	1,000.33	484.31	26.75	8.81	76.83	6.59	1,603.62	95.25	592.29	12.45	700.00	13	44
2018-19	907.87	648.70	31.84	11.62	127.78	20.58	1,748.39	103.14	559.78	31.52	694.44	15	40
2019-20	1,048.77	881.50	36.08	8.34	137.72	21.05	2,133.05	155.99	683.53	31.70	871.22	13	41
2020-21	1,261.82	632.96	44.28	7.28	118.59	51.50	2,116.42	123.29	629.50	33.92	786.71	14	37
2021-22	1,329.74	538.41	50.56	34.56	234.32	36.97	2,224.56	111.64	567.04	96.18	774.85	26	35

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. से प्राप्त सूचना)

इस प्रकार, वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रारंभिक शेष को छोड़कर श.स्था.नि. का अपना राजस्व 13 से 26 प्रतिशत था, जिसमें संकेत दिया गया था कि श.स्था.नि. मुख्य रूप से सरकार के अनुदान और ऋण पर निर्भर थे।

इसके अलावा, उपलब्ध कुल निधियों की तुलना में व्यय का प्रतिशत, 2017-22 की अवधि के दौरान 35 और 44 प्रतिशत के बीच था, जिससे उपलब्ध निधियों का अल्पतम उपयोग प्रदर्शित हुआ।

3.11.6 स्वयं के राजस्व की अल्प-वसूली

झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 152 और 154, श.स्था.नि. को कर, उपयोगकर्ता शुल्क, विज्ञापन कर (समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अलावा) आदि लगाने, आकलन करने और एकत्र करने का अधिकार देती है। जबकि कुछ करों को वसूल करने की शक्तियाँ, श.स्था.नि. के पास निहित हैं, दरों और उसके संशोधन से संबंधित अधिकार राज्य सरकार के पास निहित हैं। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान स्वयं के राजस्व का संग्रह तालिका-3.11 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: माँग के विरुद्ध स्वयं के राजस्व का संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	होल्डिंग कर ⁸⁷ (20 श.स्था.नि.)			जल प्रयोक्ता प्रभार (15 श.स्था.नि. ⁸⁸)		दुकान का किराया (14 श.स्था.नि. ⁸⁹)	
	कुल मांग (चालू + बकाया)	वर्ष के दौरान संग्रहण	संग्रहण का प्रतिशत	कुल मांग (चालू + बकाया)	वर्ष के दौरान संग्रहण	कुल मांग	कुल संग्रहण
2017-18	54.46	33.39	61.3	23.13	5.51	7.42	3.29
2018-19	79.39	38.30	48.2	29.37	7.75	5.29	2.47
2019-20	91.88	42.21	45.9	30.60	6.82	5.51	3.70
2020-21	90.42	45.74	50.6	34.33	8.93	6.18	3.14
2021-22	84.25	53.00	62.9	39.10	9.73	6.56	9.30

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

संपत्ति कर के संग्रह का प्रतिशत 45.9 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2019-20) और 62.9 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2021-22) के बीच था। राजस्व की कम वसूली के अलावा इससे भी संकेत मिला कि नमूना-जाँचित श.स्था.नि. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्राप्त करने में विफल रहे थे, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति कर की वसूली के लिए सभी श.स्था.नि. की दक्षता कम से कम 85 प्रतिशत होनी चाहिए।

3.12 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-1 में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को निम्नलिखित अनुशंसाओं के लिए राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ.) के गठन का प्रावधान है:

i) वैसे सिद्धांत जो विनियमित करें -

- राज्य और नगरपालिकाओं के बीच राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय का वितरण, जिसे उनके बीच बाँटा जा सकता है और सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच उनकी संबंधित हिस्सेदारी का आवंटन।
- करों, शुल्कों, टोल एवं फीस का निर्धारण, जो नगरपालिकाओं को सौंपा जा सकता है, या उनके द्वारा विनियोजित किया जा सकता है
- राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान

ii) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक उपाय।

⁸⁷ यह नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होल्डिंग्स पर कर है। होल्डिंग टैक्स = होल्डिंग के एआरवी (वार्षिक किराया मूल्य) का 2 प्रतिशत; एआरवी = होल्डिंग का कारपेट क्षेत्र x प्रति वर्ग फीट रेंटल मूल्य x ऑक्यूपेंसी फैक्टर x मल्टीप्लाईंग फैक्टर।

⁸⁸ आदित्यपुर, बासुकीनाथ, चक्रधरपुर, चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, झुमरी तिलैया, जुगसलाई, कोडरमा, लातेहार, मानगो, मेदिनीनगर और पाकुड़

⁸⁹ आदित्यपुर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामतारा, झुमरी तिलैया, जुगसलाई, लातेहार, मानगो, मेदिनीनगर और पाकुड़

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने और उन सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए चार रा.वि.आ. का गठन किया था, जिनके आधार पर स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाने थे। रा.वि.आ. के गठन की विवरणी तालिका-3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.12: राज्य वित्त आयोगों का गठन

राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग के गठन की तिथि	आच्छादित अवधि
प्रथम	28 जनवरी 2004	28 जनवरी 2004 से 27 जनवरी 2009
द्वितीय	19 दिसंबर 2009	28 जनवरी 2009 से 27 जनवरी 2014
तृतीय	08 अप्रैल 2015	28 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2019
चतुर्थ	23 जुलाई 2019	28 जनवरी 2019 से 27 जनवरी 2024

तीन राज्य वित्त आयोग ने जनवरी 2004 से जनवरी 2019 तक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, लेकिन केवल प्रथम राज्य वित्त आयोग ने ही राज्यपाल को अपनी सिफारिशें (अप्रैल 2009) प्रस्तुत की थीं।

प्रथम राज्य वित्त आयोग ने अप्रैल 2009 में "झारखण्ड में श.स्था.नि. को शक्तियों के हस्तांतरण" पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और श.स्था.नि. के साथ नहीं सौंपे / साझा गए करों के बदले आगामी चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, वित्त वर्ष 2009-10 में प्रति व्यक्ति ₹ 375 के "कोर म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोजेक्ट ग्रांट⁹⁰" की सिफारिश की थी।

इस प्रतिवेदन में, आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि मानव बल की भारी कमी के कारण राज्य वित्त आयोग प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम नहीं था। द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग ने मानव बल की कमी के कारण कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए और उनके कार्यकाल क्रमशः जनवरी 2014 और जनवरी 2019 में समाप्त हो गये। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी (मार्च 2022 तक)।

⁹⁰ कोर म्युनिसिपल सर्विस में जलापूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक शिक्षा, स्वस्थ एवं नगरीय सड़कें आते हैं।

3.13 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान की कम प्राप्ति

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) ने विभाज्य पूल⁹¹ के प्रतिशत के रूप में श.स्था.नि. को बुनियादी अनुदान (बीजी)⁹² और निष्पादन अनुदान (पीजी)⁹³ की सिफारिश की थी। तालिका 3.13 में वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 14वें वि.आ. अनुदानों के आवंटन और विमुक्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 3.13: 2015-16 से 2019-20 के दौरान 14वें वि.आ. अनुदानों का आवंटन एवं विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	आवंटन			जारी की गई			कम जारी की गई
	बीजी	पीजी	कुल	बीजी	पीजी	कुल	
2015-16	183.74	0.00	183.74	169.62	0.00	169.62	14.12
2016-17	254.42	75.09	329.51	222.41	69.85	292.26	37.25
2017-18	293.95	84.97	378.92	237.83	67.97	305.80	73.12
2018-19	340.05	96.60	436.55	280.04	0.00	280.04	156.51
2019-20	459.48	126.35	585.83	378.38	0.00	378.38	207.45
कुल	1,531.64	382.91	1,914.55	1,288.28	137.82	1,426.10	488.45

(स्रोत: न.वि.आ.वि. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

तालिका 3.13 से प्रकट होता है कि 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए बुनियादी अनुदान के तहत ₹ 1,531.64 करोड़ तथा निष्पादन अनुदान के तहत 2016-20 की अवधि के लिए ₹ 382.91 करोड़ के कुल आवंटन की सिफारिश की थी। राज्य को वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए उपर्युक्त आवंटन की तुलना में बुनियादी अनुदान के तहत ₹ 1,288.28 करोड़ और निष्पादन अनुदान के तहत ₹ 137.82 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार, वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए आवंटन के मुकाबले ₹ 243.36 करोड़ बुनियादी अनुदान और ₹ 245.09 करोड़ निष्पादन अनुदान (कुल ₹ 488.45 करोड़) की कम प्राप्ति हुई। 14वें वि.आ. अनुदानों की कम प्राप्ति का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाये गए।

⁹¹ बुनियादी अनुदान श.स्था.नि. को संबंधित विधानों के अनुसार उन्हें सौंपे गये बुनियादी सेवाओं के प्रतिपादन हेतु सहायक एवं सुदृढ़ करने हेतु प्रदान किया जाता है।

⁹² निष्पादन अनुदान श.स्था.नि. को कुछ शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किये जाते हैं। वे शर्तें हैं-(i) लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना, जो उस वर्ष से दो वर्ष पूर्व के नहीं होने चाहिए, जिससे संबंधित वर्ष हेतु निष्पादन अनुदान का दावा किया गया हो। (ii) लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 'स्वयं के राजस्व' में वृद्धि को प्रतिबिंबित करना (iii) श.स्था.नि. को प्रति वर्ष बुनियादी शहरी सेवाओं के संबंध में सर्विस लेवल बेंचमार्क को प्रकाशित करना है जो सामान्य जन हेतु उपलब्ध हों। बुनियादी अनुदान एवं निष्पादन अनुदान के विभाजन का प्रतिशत 80:20 है।

⁹³ 'विभाज्य पूल' का अर्थ है वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्रीय सरकार के ऐसे कर जो उसे उप-राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के साथ साझा करने चाहिए।

3.14 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी)/विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र

"झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 184 के अनुसार, आकस्मिक प्रभार, जिसके भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, "संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र" से आहरित किए जाते हैं, जिसमें शुल्क का विवरण नहीं होता है और बिना किसी सहायक अभिश्रव के कोषागार में प्रस्तुत किए जाते हैं।" प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक प्रभार के मामले में मासिक विस्तृत विपत्र, नियंत्रण अधिकारियों को या, यदि कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं हों, तो सभी उप-अभिश्रवों के साथ महालेखाकार को समर्पित किया जाना चाहिए।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के कार्यालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2006-07 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 39.78 करोड़⁹⁴ ए.सी. विपत्र पर आहरित किये गए, जिसके विरुद्ध मार्च 2022 तक केवल ₹ 0.30 करोड़ के डी.सी. विपत्र ही प्राप्त हुए।

राँची
दिनांक: 22 दिसम्बर 2025

सदानंद नस्कर
(सदानंद नस्कर)
उप-महालेखाकार (ए.एम.जी.-II),
झारखण्ड, राँची

प्रतिहस्ताक्षरित

राँची
दिनांक: 22 दिसम्बर 2025

इंदु अग्रवाल
(इंदु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
झारखण्ड, राँची

⁹⁴ नगर निकायों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आहरित किये गये, अर्थात् 2215 (जलापूर्ति और स्वच्छता), 2216 (आवास), 2217 (शहरी विकास), 4217 (शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय)

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.3.1 पृष्ठ-03)

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ और कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

प्राधिकार	शक्तियाँ एवं कार्य
जिला परिषद	जिला परिषद (जि.प.) जिला स्तर पर पंचायत का पहला स्तर है। जि.प. को जिले के नियोजित विकास और संसाधनों के उपयोग हेतु बजट तैयार करने की आवश्यकता होती है। जि.प., जिला के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करने, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय, मूल्यांकन और निगरानी सुनिश्चित करने; केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई किसी भी योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने; विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को प्राप्त विनियोग अथवा अनुदानों के लिए; संसाधनों की खरीद और विशेष या सामान्य आदेशों के तहत राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है।
पंचायत समिति	पंचायत समिति (पं.स.) प्रखंड स्तर पर पंचायती राज संस्थानों का मध्यवर्ती स्तर है। पं.स प्रखंड स्तर पर विकास का कार्य करते हैं। ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मछलीपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वयस्क शिक्षा, सहकारी कार्य, कुटीर उद्योग, सामाजिक कल्याण, परिवार नियोजन, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना; आग, बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में आपातकालीन सहायता प्रबंध करना; और राज्य सरकार या जिला परिषद द्वारा उन्हें सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना उनका कर्तव्य है।
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत(ग्रा.पं.) निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंतिम स्तर है। सफाई और स्वच्छता, जल संसाधनों के रखरखाव और अनुरक्षण, गांव में सड़कों के निर्माण और रोशनी उपलब्ध कराना, युवा कल्याण, परिवार कल्याण और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करना और राज्य सरकार, जिला परिषद या पंचायत समिति द्वारा सौंपी गई किसी भी अन्य गतिविधियों को बनाए रखना ग्रा.पं. का कर्तव्य है।

(स्रोत: झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001)

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.3.1 पृष्ठ-03)

पं.रा.सं. के प्राधिकारियों को सौंपे गये कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

प्राधिकार	सौंपे गए कार्य
अध्यक्ष/ प्रमुख/ मुखिया	जिला परिषद(जि.प.)/पंचायत समिति(पं.स.)/ग्राम पंचायत(ग्रा.पं.) के अभिलेख और पंजिकाओं की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनका अनुरक्षण करना; जिला परिषद/ पंचायत समिति के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर समग्र नियंत्रण रखना और उससे जुड़े सभी मुद्दों को पंचायतों के समक्ष रखना ताकि पंचायतों के आवश्यक आदेश प्राप्त किए जा सकें और इस उद्देश्य के लिए पंचायतों के अभिलेख मंगाए जा सकें; जि.प/पं.स./ग्रा.पं. के कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यवसाय का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना; जि.प/पं.स./ग्रा.पं. निधि की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी लेना; झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 के तहत राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.प.)/ कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.)/ सचिव	निधि का आहरण और संवितरण; बजट और लेखे तैयार करना; जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के अधिकारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण; झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उसके तहत प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करना; पंचायतों की नीतियों और निर्देशों का निष्पादन।
मुख्य योजना अधिकारी (मु.यो.अ.)	मु.यो.अ. योजना तैयार करने के मामले में जिला परिषद को सलाह देगा और जिला परिषद की योजनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय एवं जिलों की वार्षिक योजना भी शामिल है तथा वह जिला योजना समिति का मु.यो.अ. होगा।
मुख्य लेखा अधिकारी (मु.ले.अ.)	मु.ले.अ., वित्तीय नीति के मामलों में जिला परिषद को सलाह देगा और जिला परिषद के लेखों से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें वार्षिक लेखे और बजट तैयार करना भी शामिल है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि यथोचित संस्वीकृति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाए, और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, और ऐसे किसी भी व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी जो झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 या नियमों या विनियमों द्वारा समर्थित नहीं है या बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(स्रोत: झा.पं.रा. अधिनियम, 2001)

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.3.3 पृष्ठ-04)

सरकारी विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विवरणी

क्र. सं.	हस्तांतरित किये जाने वाले कार्य	विभागों के नाम	जिला परिषद			पंचायत समिति			ग्राम पंचायत			हस्तांतरण की स्थिति
			कार्य	कर्मि	निधि	कार्य	कर्मि	निधि	कार्य	कर्मि	निधि	
1.	कृषि सह कृषि विस्तार	कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
2.	पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं कुक्कुटपालन		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	आंशिक
3.	मत्स्यपालन		हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
4.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	आंशिक
5.	पेय जल	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	आंशिक
6.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
7.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
		उद्योग विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	
		ग्रामीण विकास विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
		कल्याण विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	
8.	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा	स्कूल एवं साक्षरता विकास विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	लघु उद्योग के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	उद्योग विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक

क्र. सं.	हस्तांतरित किये जाने वाले कार्य	विभागों के नाम	जिला परिषद			पंचायत समिति			ग्राम पंचायत			हस्तांतरण की स्थिति
			कार्य	कर्मो	निधि	कार्य	कर्मो	निधि	कार्य	कर्मो	निधि	
11.	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग		हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
12.	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा		हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
13.	बाज़ार और मेले	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
14.	ग्रामीण आवास	ग्रामीण विकास विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15.	महिला और बाल विकास	महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	आंशिक
16.	विकलांग एवं मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण के साथ सामाजिक कल्याण		हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	आंशिक
17.	दुर्बल वर्गों का और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	कल्याण विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	आंशिक
18.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संभरण क्षेत्र का विकास	जल संसाधन विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
19.	स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20.	परिवार कल्याण		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
21.	पुस्तकालय		हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	आंशिक
22.	सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23.	लघु वन उत्पाद		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
24.	ईंधन और चारा		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	हस्तांतरित किये जाने वाले कार्य	विभागों के नाम	जिला परिषद			पंचायत समिति			ग्राम पंचायत			हस्तांतरण की स्थिति
			कार्य	कर्मो	निधि	कार्य	कर्मो	निधि	कार्य	कर्मो	निधि	
25.	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26.	विद्युत् वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
27.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28.	सामुदायिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	आंशिक
		पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	
		पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	
		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
		स्कूल शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	
		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
		जल संसाधन विभाग	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	
		कल्याण विभाग	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं		नहीं	नहीं	
उद्योग, खनन और भूविज्ञान विभाग		नहीं		नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ			
29.	भूमि विकास और भूमि संरक्षण		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(स्रोत: राज्य सरकार के संबंधित विभागों की अधिसूचनाएँ एवं संकल्प)

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.3.4 पृष्ठ-04)

नमूना-जाँचित जिला परिषदों में स्वीकृत बल की तुलना में कार्यरत बल को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
1	बोकारो	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई		
2	चतरा	25	8	17
3	दुमका	440	191	249
4	पूर्वी सिंहभूम	79	16	63
5	गिरिडीह	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई		
6	हज़ारीबाग	75	22	53
7	पाकुड़	104	69	35
8	रामगढ़	196	64	132
9	राँची	41	13	28
10	साहिबगंज	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई		
11	सिमडेगा	242	114	128
12	पश्चिमी सिंहभूम	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई		
कुल		1,202	497	705

(स्रोत: नमूना-जाँचित जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: कंडिका 1.4 पृष्ठ-05)

**जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की शक्तियाँ
और कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी**

समितियों के नाम	सदस्य	शक्तियाँ एवं कार्य	अध्यक्ष	सचिव
जिला परिषद और पंचायत समिति				
सामान्य प्रशासन समिति	सभी स्थायी समितियों के सभापति, सांसद और विधायक, क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पदेन सदस्य होंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत समिति के प्रमुख क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पदेन सदस्य होंगे।	स्थायी समिति के कार्य को झारखण्ड पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल और कार्य संचालन की प्रक्रिया)	जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत समिति के प्रमुख सभाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, होंगे।	जिला परिषद के मु.का.पदा. और पंचायत समिति के का.पदा. क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के पदेन सचिव होंगे।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति	इस समिति में कम से कम छह सदस्य होंगे जो पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, के सदस्यों द्वारा उनके बीच में से निर्धारित तरीके से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए क्रमशः सांसद और विधायक पदेन सदस्य होंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत समिति के प्रमुख क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पदेन सदस्य होंगे।	नियमावली, 2011 की धारा 3(1) में परिभाषित किया गया है।		
महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति	इस समिति में कम से कम छह सदस्य होते हैं जिन्हें पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, के सदस्यों द्वारा उनके बीच में से निर्धारित तरीके से निर्वाचित किया जाएगा। इसमें कम से कम एक महिला और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति शामिल होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए क्रमशः सांसद और विधायक, पदेन सदस्य होंगे। जिला परिषद के उपाध्यक्ष और पं.स. के उप-प्रमुख क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के पदेन सदस्य होंगे।		जिला परिषद के उपाध्यक्ष और पंचायत समिति के उप-प्रमुख क्रमशः जिला परिषद और पंचायत समिति के सभाध्यक्ष होंगे।	

समितियों के नाम	सदस्य	शक्तियाँ एवं कार्य	अध्यक्ष	सचिव
कृषि एवं उद्योग समिति	इस समिति में कम से कम छह सदस्य होंगे, जिन्हें पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, के सदस्यों द्वारा उनके बीच में से निर्धारित तरीके से चुना जाएगा जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए क्रमशः सांसद और विधायक पदेन सदस्य होंगे।		इसके सदस्यों में से सभाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।	
वित्त, अंकेक्षण तथा योजना एवं विकास समिति				
सहकारिता समिति				
वन और पर्यावरण समिति				
संचार तथा संकर्म समिति				
ग्राम पंचायत				
सामान्य प्रशासन समिति	प्रत्येक समिति के पांच सदस्यों को ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से उसके द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक में निर्वाचित किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी सदस्य एक साथ दो से अधिक स्थायी समितियों का सदस्य न हो। मुखिया और उप-मुखिया इन समितियों के पदेन सदस्य होंगे। ग्राम सभा, अपनी प्रथम बैठक में, प्रत्येक स्थायी समिति के लिए, अपने बीच में से विशेष क्षेत्र में अनुभवी एवं सुविज्ञ व्यक्ति को वोट के बहुमत से निर्वाचित और नामित कर सकता है, बशर्ते कि नामित सदस्य को वोट का अधिकार नहीं होगा, साथ ही एक वर्ष की अवधि के अवसान के बाद, ग्राम सभा बहुमत से ऐसे नामित सदस्य को वापस बुला सकती है और एक नया नामांकन कर सकती है।	स्थायी समिति के कार्य को झारखण्ड पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल और कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2011 की धारा 3(1) में परिभाषित किया गया है।	अधिनियम में उल्लिखित नहीं है	ग्राम पंचायत का सचिव स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा।
विकास समिति				
महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति				
स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण समिति				
ग्राम रक्षा समिति				
सार्वजनिक सम्पदा समिति				
अधोसंरचना समिति				

(स्रोत: झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 और झारखण्ड पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल और कार्य संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2011)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: कंडिका 1.5.1.1 पृष्ठ-07)

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) निर्गत करने में विलंब

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने की नियत तिथि	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने की वास्तविक तिथि	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने में विलंब (दिनों में)
1	01/2017-18	30-09-2018	08-10-2018	8
2	03/2017-18	30-09-2018	20-01-2020	477
3	04/2017-18	30-09-2018	05-10-2018	5
4	05/2017-18	30-09-2018	30-11-2018	61
5	06/2017-18	30-09-2018	08-01-2019	100
6	07/2017-18	30-09-2018	29-08-2019	333
7	08/2017-18	30-09-2018	16-11-2018	47
8	09/2017-18	30-09-2018	29-11-2018	60
9	10/2017-18	30-09-2018	09-04-2019	191
10	11/2017-18	30-09-2018	29-08-2019	333
11	12/2017-18	30-09-2018	16-11-2018	47
12	13/2017-18	30-09-2018	08-01-2019	100
13	14/2017-18	30-09-2018	15-07-2019	288
14	15/2017-18	30-09-2018	30-05-2019	242
15	16/2017-18	30-09-2018	31-05-2019	243
16	17/2017-18	30-09-2018	20-12-2019	446
17	18/2017-18	30-09-2018	23-10-2019	388
18	19/2017-18	30-09-2018	30-05-2019	242
19	20/2017-18	30-09-2018	21-01-2020	478
20	21/2017-18	30-09-2018	09-06-2020	618
21	22/2017-18	30-09-2018	20-12-2019	446
22	23/2017-18	30-09-2018	23-10-2019	388
23	04/2019-20	30-09-2020	02-02-2021	125
24	07/2019-20	30-09-2020	02-02-2021	125
25	24/2017-18	30-09-2018	02-02-2021	856
26	09/2019-20	30-09-2020	02-02-2021	125
27	8ए/2019-20	30-09-2020	23-03-2023	904
28	8बी/2019-20	30-09-2020	26-03-2023	907
29	8सी/2019-20	30-09-2020	16-03-2023	897
30	8डी/2019-20	30-09-2020	26-03-2023	907
31	8ई/2019-20	30-09-2020	20-01-2023	842
32	8एफ/2019-20	30-09-2020	16-03-2023	897
33	8जी/2019-20	30-09-2020	26-03-2023	907
34	8एच/2019-20	30-09-2020	22-03-2023	903
35	8आई/2019-20	30-09-2020	23-03-2023	904
36	8जे/2019-20	30-09-2020	06-04-2023	918
37	8के/2019-20	30-09-2020	05-04-2023	917

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने की नियत तिथि	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने की वास्तविक तिथि	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने में विलंब (दिनों में)
38	10/2019-20	30-09-2020	18-10-2022	748
39	10ए/2019-20	30-09-2020	18-10-2022	748
40	10बी/2019-20	30-09-2020	08-09-2022	708
41	10सी/2019-20	30-09-2020	01-09-2022	701
42	10डी/2019-20	30-09-2020	08-09-2022	708
43	10ई/2019-20	30-09-2020	08-09-2022	708
44	10एफ/2019-20	30-09-2020	07-09-2022	707
45	6ए/2019-20	30-09-2020	28-02-2023	881
46	6बी/2019-20	30-09-2020	12-01-2023	834
47	6सी/2019-20	30-09-2020	24-02-2023	877
48	6डी/2019-20	30-09-2020	12-01-2023	834
49	6ई/2019-20	30-09-2020	21-02-2023	874
50	6एफ/2019-20	30-09-2020	16-03-2023	897
51	6जी/2019-20	30-09-2020	01-02-2023	854
52	6एच/2019-20	30-09-2020	01-02-2023	854
53	6आई/2019-20	30-09-2020	16-03-2023	897
54	6जे/2019-20	30-09-2020	24-02-2023	877
55	6के/2019-20	30-09-2020	10-02-2023	863
56	6एल/2019-20	30-09-2020	16-03-2023	897
57	6एम/2019-20	30-09-2020	20-01-2023	842
58	6एन/2019-20	30-09-2020	16-03-2023	897
59	6ओ/2019-20	30-09-2020	09-02-2023	862
60	6पी/2019-20	30-09-2020	09-02-2023	862
61	13/2019-20	30-09-2020	24-07-2023	1027
62	12ए/2019-20	30-09-2020	24-07-2023	1027
63	12डी/2019-20	30-09-2020	24-04-2023	936
64	12एफ/2019-20	30-09-2020	23-06-2023	996
65	12जे/2019-20	30-09-2020	21-06-2023	994
66	12एम/2019-20	30-09-2020	24-07-2023	1027
67	12क्यू/2019-20	30-09-2020	24-07-2023	1027
68	5ए/2019-20	30-09-2020	07-09-2022	707
69	5बी/2019-20	30-09-2020	10-11-2022	771
70	5सी/2019-20	30-09-2020	18-11-2021	414
71	5डी/2019-20	30-09-2020	05-09-2022	705
72	5ई/2019-20	30-09-2020	05-09-2022	705
73	5एफ/2019-20	30-09-2020	19-10-2022	749
74	5जी/2019-20	30-09-2020	15-09-2022	715
75	5एच/2019-20	30-09-2020	02-12-2021	428
76	5आई/2019-20	30-09-2020	15-09-2022	715
77	5जे/2019-20	30-09-2020	18-10-2022	748
78	5के/2019-20	30-09-2020	20-10-2021	385

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने की नियत तिथि	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने की वास्तविक तिथि	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने में विलंब (दिनों में)
79	5एल/2019-20	30-09-2020	18-11-2021	414
80	5एम/2019-20	30-09-2020	17-10-2022	747
81	5ओ/2019-20	30-09-2020	19-10-2022	749
82	5पी/2019-20	30-09-2020	17-10-2021	382
83	5क्यू/2019-20	30-09-2020	18-10-2022	748
84	5आर/2019-20	30-09-2020	19-10-2022	749
85	9ए/2019-20	30-09-2020	12-01-2023	834
86	9बी/2019-20	30-09-2020	13-12-2022	804
87	9सी/2019-20	30-09-2020	15-12-2022	806
88	9डी/2019-20	30-09-2020	15-12-2022	806
89	9एफ/2019-20	30-09-2020	15-12-2022	806
90	9ई/2019-20	30-09-2020	12-12-2022	803
91	9जी/2019-20	30-09-2020	15-12-2022	806
92	9एच/2019-20	30-09-2020	12-12-2022	803
93	9आई/2019-20	30-09-2020	12-12-2022	803
94	9ओ/2019-20	30-09-2020	10-11-2022	771
95	9एल/2019-20	30-09-2020	22-11-2022	783
96	9एन/2019-20	30-09-2020	15-12-2022	806
97	9जे/2019-20	30-09-2020	12-12-2022	803
98	9एम/2019-20	30-09-2020	13-10-2022	743
99	9के/2019-20	30-09-2020	10-11-2022	771
100	9एस/2019-20	30-09-2020	15-12-2022	806
101	9क्यू/2019-20	30-09-2020	13-10-2022	743
102	9टी/2019-20	30-09-2020	22-11-2022	783
103	9आर/2019-20	30-09-2020	22-11-2022	783
104	9पी/2019-20	30-09-2020	12-12-2022	803
105	5/2020-21	30-09-2021	18-03-2023	534
106	15/2020-21	30-09-2021	24-07-2023	662
107	2017-18 के 6 निरीक्षण प्रतिवेदन 01-08-2023 तक जारी नहीं की गई	30-09-2018	01-08-2023	1766
108	2018-19 के 36 निरीक्षण प्रतिवेदन 01-08-2023 तक जारी नहीं की गई	30-09-2019	01-08-2023	1401
109	2020-21 के 58 निरीक्षण प्रतिवेदन 01-08-2023 तक जारी नहीं की गई	30-09-2021	01-08-2023	670
110	2021-22 के 180 निरीक्षण प्रतिवेदन 01-08-2023 तक जारी नहीं की गई	30-09-2022	01-08-2023	305

(स्रोत: स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

नोट:- 1. वर्ष 16-17 के लिए देय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - जारी करने की नियत तिथि 30 सितंबर 2017 मानी गई है और आगे के वर्षों में इसी तरह।

2. यदि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है, तो 1 अगस्त 2023 लिया गया है, यानी स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय से सूचना प्राप्त होने की तारीख (1 अगस्त 2023) के अनुसार।

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: कंडिका 1.8; पृष्ठ-13)

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विवरणी

वर्ष	मुख्य शीर्ष	कार्यकारी एजेंसियों को विभाग द्वारा जारी कुल अनुदान		विभाग द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		अनुदानों की संख्या	राशि	अनुदानों की संख्या	राशि	अनुदानों की संख्या	राशि
2017-18	6515	20	3,51,73,609	11	1,40,73,088	9	2,11,00,521
2018-19		18	3,38,88,979	13	2,05,78,718	5	1,33,10,261
2019-20		20	5,99,00,000	11	2,79,57,250	9	3,19,42,750
2020-21		0	0	0	0	0	0
2021-22		19	3,50,77,385	0	0	19	3,50,77,385
योग		77	16,40,39,973	35	6,26,09,056	42	10,14,30,917
2017-18	2515	155	12,93,55,64,070	4	52,64,151	151	12,93,02,99,919
2018-19		111	7,74,07,60,751	4	30,87,798	107	7,73,76,72,953
2019-20		184	54,84,69,329	14	21,86,23,662	170	32,98,45,667
2020-21		171	4,24,09,44,201	0	0	171	4,24,09,44,201
2021-22		238	45,32,05,049	0	0	238	45,32,05,049
योग		859	25,91,89,43,400	22	22,69,75,611	837	25,69,19,67,789
कुल योग		936	26,08,29,83,373	57	28,95,84,667	879	25,79,33,98,706

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक्र.), झारखण्ड के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: कंडिका 1.9.3; पृष्ठ-17)

बुनियादी अभिलेखों के संधारण में विफलता

क्र. सं.	असंधारित अभिलेख/पंजी	पंचायती राज संस्थान			
		ज़िला	ज़िला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	दीर्घकालिक 5-वर्षीय योजनाएँ और वार्षिक योजना पंजी	बोकारो		पेटरवार	
		चतरा		सिमरिया	गिद्धौर, मंझगावां और पुंडरा
		दुमका	दुमका		हंसडीहा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी -सह-जुगसलाई	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह और हाथीबिंधा
		गिरिडीह	गिरिडीह		ठाकुरचक
		हजारीबाग			चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		रामगढ़	रामगढ़	मांझू और पतरातू	बारुघुट मध्य, बारुघुटपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची	राँची	बुढमू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज			पूर्वी उधवा दियारा एवं दक्षिणी सरफराजगंज एवं गुनिहारी
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा
2	आय-व्यय पंजी	बोकारो			चंदो और उत्तासरा
		चतरा		सिमरिया	गिद्धौर एवं पुंडरा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी -सह-जुगसलाई	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, कलिकापुर और हाथीबिंधा
		गिरिडीह	गिरिडीह		ठाकुरचक
		हजारीबाग		बरकड़ा एवं कटकमदाग	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		पाकुड़		अमड़ापाड़ा	
		रामगढ़	रामगढ़	मांझू और पतरातू	बारुघुट मध्य, बारुघुटपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची	राँची	तामाड़	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज		उधवा एवं राजमहल	दक्षिणी सरफराजगंज एवं कसबा
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा
3	तुलन पत्र	बोकारो		पेटरवार	चंदो और उत्तासरा
		चतरा		सिमरिया	गिद्धौर, मंझगावां और पुंडरा
		दुमका			हंसडीहा

क्र. सं.	असंधारित अभिलेख/पंजी	पंचायती राज संस्थान			
		ज़िला	ज़िला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं पोटका	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, कलिकापुर और हाथीबिंधा
		गिरिडीह	गिरिडीह		ठाकुरचक
		हजारीबाग		कटकमदाग	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		पाकुड़	पाकुड़	लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा	लिट्टीपाड़ा, कमलघाटी और बासमती
		रामगढ़	रामगढ़	मांडू और पतरातू	बारुघुट मध्य, बारुघुटपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची		तमाड़ और बुढ़मू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज		उधवा एवं राजमहल	दक्षिणी सरफराजगंज
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा
4	बजट पंजी	बोकारो		पेटरवार	चंदो और उत्तासरा
		चतरा		सिमरिया	गिद्धौर, मंझगावां और पुंडरा
		दुमका	दुमका		बनियारा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं पोटका	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, कलिकापुर और हाथीबिंधा
		गिरिडीह	गिरिडीह		ठाकुरचक
		हजारीबाग		कटकमदाग	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		पाकुड़		अमरापाड़ा	
		रामगढ़	रामगढ़	मांडू और पतरातू	बारुघुट मध्य, बारुघुटपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची	राँची	तमाड़ और बुढ़मू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज		उधवा	दक्षिणी सरफराजगंज एवं कस्बा
सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा		
5	अनुदान पंजी	बोकारो		पेटरवार	चंदो और उत्तासरा
		चतरा		सिमरिया	गिद्धौर एवं पुंडरा
		दुमका			हंसडीहा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी -सह-जुगसलाई	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, कलिकापुर और हाथीबिंधा
		गिरिडीह	गिरिडीह		ठाकुरचक
		हजारीबाग		बरकड़ा एवं कटकमदाग	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना

क्र. सं.	असंधारित अभिलेख/पंजी	पंचायती राज संस्थान			
		ज़िला	ज़िला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
		पाकुड़		अमरापाड़ा	बासमती
		रामगढ़	रामगढ़	मांडू और पतरातू	बारुघुट मध्य, बारुघुटपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची	राँची	तमाड़ और बुढ़मू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज			दक्षिणी सरफराजगंज, कसबा और गुनिहारी
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा
6	परिसंपत्ति पंजी	बोकारो		पेटरबार	चंदो और उत्तासरा
		चतरा		सिमरिया	गिद्धौर एवं पुंडरा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं पोटका	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, कलिकापुर और हाथीबिंधा
		गिरिडीह			ठाकुरचक
		हजारीबाग		बरकड़ा	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		पाकुड़			बोहरा
		रामगढ़		मांडू और पतरातू	बारुघुट मध्य, बारुघुटपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची		तमाड़ और बुढ़मू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज			दक्षिणी सरफराजगंज
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा
7	भंडारण पंजी	बोकारो		पेटरवार	
		चतरा			गिद्धौर एवं पुंडरा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं पोटका	कलिकापुर
		रामगढ़		पतरातू	
		राँची		तमाड़ और बुढ़मू	
		साहिबगंज			दक्षिणी सरफराजगंज
8	अग्रिम पंजी	बोकारो		पेटरवार	चंदो और उत्तासरा
		चतरा			गिद्धौर एवं पुंडरा
		दुमका			बनियारा
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं पोटका	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, कलिकापुर और हाथीबिंधा
		गिरिडीह			ठाकुरचक

क्र. सं.	असंधारित अभिलेख/पंजी	पंचायती राज संस्थान			
		ज़िला	ज़िला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
		हजारीबाग		बरकड़ा एवं कटकमदाग	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		पाकुड़	पाकुड़	लिट्टीपाड़ा और अमरापाड़ा	बासमती
		रामगढ़	रामगढ़	मांडू	बारुघुट्ट मध्य, बारुघुट्टपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची	राँची	तमाड़ और बुढ़मू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज			दक्षिणी सरफराजगंजकस्बा एवं गुनिहारी
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा
9	अभिश्रव पंजी	बोकारो		पेटरवार	चंदो और उत्तासरा
		चतरा			गिद्धौर एवं पुंडरा
		दुमका	दुमका		
		पूर्वी सिंहभूम		गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं पोटका	उत्तर घोड़ाबांधा, पूर्वी घाघीडीह, और हाथीबिंधा
		गिरिडीह			ठाकुरचक
		हजारीबाग		कटकमदाग	चेचकपी, गंगपंचो, बेस और सुल्ताना
		पाकुड़		अम्रपाड़ा	
		रामगढ़	रामगढ़	मांडू और पतरातू	बारुघुट्ट मध्य, बारुघुट्टपश्चिमी, शाह कॉलोनी और हफुआ
		राँची	राँची	तमाड़ और बुढ़मू	उलीडीह, परासी, मक्का और सारले
		साहिबगंज			दक्षिणी सरफराजगंज एवं कसबा
		सिमडेगा		जलडेगा एवं बोलवा	टिंगिना, पतिअम्बा, कडोपानी और मालसारा

(स्रोत: नमूना-जाँचित पंचायती राज संस्थानों के द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ: कंडिका 2.1.4; पृष्ठ-22)

लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

क्षेत्र	क्र.सं.	चयनित जिले	पंचायत समितियों के नाम	ग्राम पंचायतों के नाम
उत्तरी	1	गिरिडीह	डुमरी	चैनपुर, कुलगो (दक्षिण), और ठाकुरचक
			जमुआ	चिलगा, कुरहोबिंदो और पांडेडीह
			तीसरी	चंदौरी, पलमरुआ और तिसरी
	2	साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर, पथना और श्री कुंड
			राजमहल	कसवा, सैदपुर और पश्चिमी नारायणपुर
			उधवा	पूर्वी उधवा दियारा, राधानगर और दक्षिणी सरफराजगंज
मध्य	3	बोकारो	चंदनक्यारी	भोजडीह (पश्चिम), देवग्राम और लालपुर
			चास	हैश बट्टू (डब्ल्यू), पुपुंकी और उलगोरा
			नवाडीह	गोनियाटो, मोंगो रांगामाटी और पेंक
	4	हज़ारीबाग	बरकट्टा	चेचकपी, गंगपंचो और तुड़यो
			चौपारण	बेलाही, जगदीशपुर और ताजपुर
			कटकमदाग	बेस, कटकमदाग और सुल्ताना
			सदर	चुटियारो, उड़िया और वेलबारा
दक्षिणी	5	पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	ढोलबेरा, केंदुआ और पलासबोनी
			गोलमुरी	पूर्वी घाघीडीह, मध्य गदरा और उत्तरी घोड़ाबांधा
			पोटका	हाथीबिंदा, कलिकापुर और टेटेलापोरा
	6	राँची	बुढूमू	हेसलपिरि, मक्का और सरले
			काँके	डुमर दग्गा, काँके पश्चिम और मेश्रा पूर्व
			नामकुम	बरगावां, कुटियातू और रामपुर
			रातू	चटकपुर, रातू पूर्वी और तिघरा
			तामार	लुंगटू, परासी और उलीडीह
कुल	6	जिला परिषद	21 पंचायत समिति	63 ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.7; पृष्ठ-26)

चौदहवें वित्त आयोग (14वीं वि.आ.) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	कंडिका सं.	अनुशंसा	अपेक्षित कार्रवाई	की गई कार्रवाई	राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति
1.	9.56	अनुदान केवल प्रासंगिक कानूनों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत बुनियादी सेवाओं पर ही खर्च किया जाना चाहिए।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है	कार्यालय आदेश सं. 297 दिनांक 23/12/2016 द्वारा क्रियान्वित किया गया।	पंचायती राज विभाग ने रा.वि.आ. अनुदान से केवल बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। हालाँकि, 2015-22 की अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों की योजना और निष्पादन के संबंध में वार्षिक योजनाएँ, परिप्रेक्ष्य योजनाएँ, मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) आदि तैयार नहीं किए गए थे।
2.	9.61	पंचायती राज संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में स्वयं के करों और गैर-करों, सौंपे गए करों, राज्य से प्राप्त हस्तांतरण और अनुदानों, वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों और संघ और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए किसी भी एजेंसी कार्यों के लिए अनुदानों पर आय को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा टीजीएस व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए। राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के खातों को संकलित करने और समय पर उनका ऑडिट करवाने में सुविधा प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है	कार्यान्वित	ग्राम पंचायतों की लेखा पुस्तक का संधारण शीर्षवार अर्थात् चौदहवें वि.आ. अनुदान, अन्य एजेंसी से अनुदान, राज्य से अनुदान आदि शीर्षों के आधार पर किया जा रहा है। हालाँकि, इन लेखाओं की लेखापरीक्षा पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त सीए फर्मों द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से शुरू हुई।
3.	9.64	राज्यों को अनुदान, 2011 के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर वितरित किया जाएगा, जिसका भार 90 प्रतिशत होगा एवं 10 प्रतिशत भार क्षेत्रफल पर होगा।	भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।		

क्र.सं.	कंडिका सं.	अनुशंसा	अपेक्षित कार्रवाई	की गई कार्रवाई	राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति
4	9.69	2015-20 की अवधि में पंचायती राज संस्थानों के लिए कुल अनुदान ₹2,00,292.20 करोड़ है।	भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।		
5.	9.70	अनुदान दो भागों में होते हैं- बुनियादी अनुदान (बीजी) और एक निष्पादन अनुदान (पीजी)। ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) के मामले में, 90 प्रतिशत अनुदान बीजी होगा और 10 प्रतिशत पीजी होगा।	भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है		
6.	9.72	पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाना है। संसाधनों के वितरण के लिए नवीनतम रा.वि.आ. फॉर्मूला का उपयोग करके अनुदान वितरित किया जाना है।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है	लागू नहीं किया गया	राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) ने अपनी दूसरी और तीसरी अवधि हेतु प्रतिवेदन समर्पित नहीं की थी। रा.वि.आ. का चौथा कार्यकाल जनवरी 2024 तक समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, जून 2022 तक अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त थे।
7.	9.73	यदि रा.वि.आ.का फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का हिस्सा 2011 की जनसंख्या के आँकड़ों का उपयोग करके 90 प्रतिशत के भार के साथ और क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत के भार के साथ वितरित किया जाना चाहिए।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है	कार्यान्वित	रा.वि.आ.प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में, 2011 की जनसंख्या का उपयोग करके 90 प्रतिशत भार और क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत भार के साथ उपयोग करके ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी किया गया था।
8.	9.75	निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने हेतु निष्पादन अनुदान प्रदान किए जाते हैं: (i) लेखापरीक्षित खातों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराना और (ii) स्वयं के राजस्व में सुधार।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है	लागू नहीं किया गया	राज्य की ग्राम पंचायतें लेखा-बही नहीं रखती थीं। मौजूदा लेखाओं को नकद आधार पर एकल प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से बनाए रखा गया था जिसमें ग्रा.प. की पूरी संपत्ति शामिल नहीं थी। ग्राम पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा किया जा रहा था। ग्रा.प. के पास अपने स्रोतों से कोई राजस्व नहीं था क्योंकि राज्य सरकार ने ग्रा.प. को कर, शुल्क आदि लगाने का अधिकार नहीं दिया था।

क्र.सं.	कंडिका सं.	अनुशंसा	अपेक्षित कार्रवाई	की गई कार्रवाई	राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति
9.	9.76	निष्पादन अनुदान (पीजी) के लिए पात्र होने के लिए, पंचायतों को पिछले दो वर्षों से पहले लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना होगा। उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में भी वृद्धि दिखानी होगी, जैसा कि लेखापरीक्षित खातों में दर्शाया गया है।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया	ग्राम पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा किया जा रहा था। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को कर, शुल्क आदि लगाने का अधिकार नहीं दिया।
10.	9.77	राजस्व सुधार के आधार पर ग्राम पंचायतों को पीजी वितरण की विस्तृत प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा मार्च 2016 तक अधिसूचित की जानी चाहिए।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया	राज्य सरकार ने राजस्व के अपने स्रोत में वृद्धि के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित किया (जनवरी 2017), लेकिन ग्राम पंचायतों को कर, शुल्क आदि लगाने का अधिकार नहीं दिया।
11.	9.79	केंद्र सरकार राज्यों द्वारा तैयार की गई पीजी के वितरण की विस्तृत प्रक्रिया को स्वीकार कर सकती है।	भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।		
12.	9.80	चौदहवें वि.आ. द्वारा इंगित शर्तों के अलावा कोई और शर्त या निर्देश संघ या राज्यों द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए।	भारत सरकार एवं राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	कार्यान्वित	
13.	9.81	अनुदान प्रत्येक वर्ष जून और अक्टूबर में दो किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में जमा किए जाने के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी करना चाहिए। देरी की स्थिति में, ब्याज का भुगतान राज्यों को अपने कोष से करना होगा।	और राज्य द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	झारखण्ड सरकार द्वारा आंशिक रूप में कार्यान्वित।	ग्राम पंचायतों को रा.वि.आ. अनुदान विलम्ब से जारी किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायतों को ब्याज का पूरा भुगतान नहीं किया गया था।
14.	9.82	धनराशि के प्रयोग में अनियमितता पाये जाने या इंगित किये जाने पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	आंशिक रूप से लागू किया गया।	वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर) चर्चा की प्रतीक्षा में थी।
15.	9.84	राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग को सुदृढ़ करना चाहिए। इसमें सुचारू कामकाज हेतु ससमय गठन, उचित प्रशासनिक	राज्य द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ.) ने अपनी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट जमा नहीं की थी। चौथे रा.वि.आ. का कार्यकाल जनवरी 2024 तक

क्र.सं.	कंडिका सं.	अनुशंसा	अपेक्षित कार्रवाई	की गई कार्रवाई	राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति
		सहायता और पर्याप्त संसाधन शामिल होंगे और कार्रवाई नोट्स के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रा.वि.आ. रिपोर्ट को समय पर पेश किया जाएगा।			समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं।
16.	9.90	संपत्ति कर लगाने की सुविधा के लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम में संपत्ति कर लगाने के संबंध में प्रावधान है, लेकिन ग्राम पंचायतों ने कर नहीं लगाया, क्योंकि झारखण्ड सरकार ने कराधान के लिए विनियमन नहीं बनाया था।
17.	9.91	अर्ध नगरीय पंचायतों द्वारा खाली-भूमि कर उगाही पर विचार किया जाए। भूमि परिवर्तन प्रभार का एक भाग राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जा सकता है।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	
18.	9.92	राज्यों को बेहतरी कर उगाही के लिए नियमों की एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	
19.	9.93	राज्य स्थानीय निकायों (स्था.नि.) को विज्ञापन कर लगाने और इस स्रोत से अपने राजस्व में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	
20.	9.94	मनोरंजन कर का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य कार्रवाई कर सकते हैं।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	
21.	9.98	राज्य सरकारें पंचायतों को उत्पादक स्थानीय संपत्तियों को सौंपने के लिए कार्रवाई कर सकती हैं।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	
22.	9.101	रॉयल्टी से होने वाली आय का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में खनन किया जाता है।	राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।	लागू नहीं किया गया।	नमूना-जाँचित दो जिलों (गिरिडीह - ₹217.34 करोड़ और बोकारो - ₹7.40 करोड़) ने खनन से राजस्व के रूप में ₹224.74 करोड़ एकत्र किए थे। लेकिन राज्य सरकार के निर्देशों के अभाव में दोनों जिलों

क्र.सं.	कंडिका सं.	अनुशंसा	अपेक्षित कार्रवाई	की गई कार्रवाई	राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति
					की ग्राम पंचायतों के बीच रॉयल्टी का वितरण नहीं किया गया।
23.	9.102	केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी संपत्तियों को उनके द्वारा प्रदान की गई नागरिक सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों (स्था.नि.) को उचित मुआवजा देने के मुद्दे की जाँच करती हैं।	भारत सरकार एवं राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना है	लागू नहीं किया गया।	पंचायती राज संस्थानों ने सेवा शुल्क नहीं लगाया और इस संबंध में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं पंचायती राज विभाग के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.1; पृष्ठ-32)

लोहरदगा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी अनुदान की अधिक और कम राशि की विमुक्ति

(राशि ₹ में)

ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	विभागानुसार प्रथम आवंटन की राशि	ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त राशि	ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त भुगतान	ग्राम पंचायतों को कम भुगतान	
लोहरदगा	पेशरार	हेसाग	10,41,534	10,42,034	500		
		तुइमु	9,65,506	9,66,008	502		
		देवदरिया	8,29,040	8,39,040	10,000		
	किस्को	नवाडीह	8,17,314	7,67,836	0	49,478	
	कुडू	जीमा	7,87,265	7,29,163	0	58,102	
		उडुमुडु	8,08,100	7,41,802	0	66,298	
		ताती	7,99,695	7,27,975	0	71,720	
		काकड़गढ़	8,79,893	8,17,095	0	62,798	
	लोहरदगा	हेसल	7,76,798	7,77,820	1,022		
		हिरही	8,49,209	8,52,918	3,709		
		जुरिया	6,12,870	6,01,436	0	11,434	
		भातखिजरी	5,15,069	5,10,351	0	4,718	
		मनहो	7,22,769	7,70,728	47,959		
		जोरी	7,99,857	8,00,669	812		
		निगनी	6,30,139	6,30,968	829		
		हरमू	6,03,770	6,04,564	794		
		अरकोसा	5,63,506	5,64,247	741		
		रामपुर	5,72,602	5,75,167	2,565		
		बगहा	6,21,146	6,23,878	2,732		
		तिगरा	7,86,322	7,89,816	3,494		
	सेन्हा	मुर्कीटोडर	8,11,182	8,12,450	1,268		
		बूटी	7,26,683	7,26,692	9		
		भड़गांव	6,52,039	6,53,062	1,023		
		अरु	8,65,500	9,24,968	59,468		
		सेन्हा	8,09,312	8,10,640	1,328		
		डंडू	7,46,394	6,86,926	0	59,468	
	भंडरा	भीठा	6,50,217	6,57,587	7,370		
	कुल					1,46,125	3,84,016

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.4; पृष्ठ-35)

राज्य सरकार द्वारा अनुदान के विलंब से हस्तांतरण के लिए ग्राम पंचायतों को भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि

(क) बुनियादी अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवधि	किश्त	भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि		राज्य शासन द्वारा आवंटित धनराशि		राशि/अनुदान ग्राम पंचायतों को अंतरण हेतु राजकोष को भेजा गया		ग्राम पंचायतों को स्थानांतरण हेतु कोषाधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि/अनुदान		सीमा के बाद दिनों में देरी (11)={ (10) और (4) - 15 दिनों के बीच के दिन }	ब्याज की दर	भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि
		राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015-16	प्रथम	326.42	29/7/2015	293.78	10/10/2015	179.98	11/12/2015	179.98	12/1/2016	152	7.75	5.81
						68.27	28/1/2016	68.27	28/1/2016	168	7.75	2.44
						36.48	8/2/2016	36.48	9/2/2016	180	7.75	1.39
						9.04	10/3/2016	9.04	10/3/2016	210	7.75	0.40
						22.58	16/10/2015	22.58	12/1/2016	152	7.75	0.73
						4.93	29/1/2016	4.93	1/2/2016	172	7.75	0.18
						4.01	8/2/2016	4.01	9/2/2016	180	7.75	0.15
	1.12	10/3/2016	1.12	10/3/2016	210	7.75	0.05					
	द्वितीय	326.42	31/3/2016	326.41	8/4/2016	326.41	17/5/2016	326.41	19/5/2016	35	7.75	2.43
2016-17	प्रथम	451.98	4/7/2016	451.98	14/7/2016	451.98	17/8/2016	451.98	17/8/2016	30	7.75	2.88
	द्वितीय	451.98	11/1/2017	451.98	24/1/2017	451.98	28/2/2017	451.98	28/3/2017	62	6.75	5.18
2017-18	प्रथम	522.23	19/6/2017	522.23	1/7/2017	490.86	18/7/2017	490.86	8/8/2017	34	6.25	2.86
						19.20	4/8/2017	19.20	17/8/2017	43	6.25	0.14
						5.15	10/8/2017	5.15	17/8/2017	43	6.25	0.04
						7.02	7/9/2017	7.02	18/9/2017	75	6.25	0.09
	द्वितीय	522.23	21/12/2017	522.23	3/1/2018	11.52	18/1/2018	11.52	1/2/2018	28	6.25	0.06
						23.01	18/1/2018	23.01	1/2/2018	28	6.25	0.11
						27.50	18/1/2018	27.50	1/2/2018	28	6.25	0.13

(₹ करोड़ में)

अवधि	किश्त	भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि		राज्य शासन द्वारा आवंटित धनराशि		राशि/अनुदान ग्राम पंचायतों को अंतरण हेतु राजकोष को भेजा गया		ग्राम पंचायतों को स्थानांतरण हेतु कोषाधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि/अनुदान		सीमा के बाद दिनों में देरी (11)={ (10) और (4) - 15 दिनों के बीच के दिन }	ब्याज की दर	भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि
		राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						28.12	18/1/2018	28.12	1/2/2018	28	6.25	0.13
						24.25	18/1/2018	24.25	23/1/2018	19	6.25	0.79
2018-19	प्रथम	604.12	13/6/2018	604.12	14/8/2018	145.85	4/9/2018	145.85	24/9/2018	89	6.75	2.40
				11.88	6/9/2018	395.63	लागू नहीं	395.63	22/11/2018	148	6.75	10.83
						62.64	लागू नहीं	62.64	22/11/2018	148	6.75	1.71
						11.86	लागू नहीं	11.86	23/10/2018		6.75	0
	द्वितीय	604.12	26/4/2019	604.12	10/5/2019	604.12	17/5/2019	604.12	11/6/2019	32	6	3.18
2019-20	प्रथम	816.30	30/7/2019	816.30	9/8/2019	813.09	21/8/2019	813.09	26/8/2019	13	5.65	1.64
						32.08	4/9/2019	32.08	5/9/2019	23	5.65	0.11
	द्वितीय	816.30	25/10/2019	816.30	1/11/2019	816.30	8/11/2019	816.30	19/11/2019	10	5.4	1.33
	कुल											47.19

(स्रोत: भारत सरकार और झारखण्ड सरकार के विमुक्ति पत्र)

(ख) निष्पादन अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि		राज्य शासन द्वारा आवंटित धनराशि		राशि/अनुदान ग्राम पंचायतों को अंतरण हेतु भेजा गया राजकोष		ग्राम पंचायतों को स्थानांतरण हेतु कोषाधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि/अनुदान		कुल विलंब (दिनों में)	निर्धारित सीमा के बाद दिनों में देरी	ब्याज की दर	भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि
	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक				
2016-17	118.57	31/3/2017	106.71	25/1/2018	106.71	19/2/2018	106.71	28/2/2018	335	320	6.25	5.85

(स्रोत: भारत सरकार और झारखण्ड सरकार के विमुक्ति पत्र)

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.5; पृष्ठ-35)

नव गठित या मौजूदा शहरी स्थानीय निकाय में विलय के बाद शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	गठन की तिथि	शा.स्था.नि. के रूप में विलय पंचायत का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल
				दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	
1	बरहरवा नगर पंचायत	29/8/2016	बरहरवा पूर्वी	24/1/2017	18.70	1/7/2017	10.80	0	0	0	0	29.50
			बरहरवा पश्चिमी	24/1/2017	16.70	1/7/2017	9.65	0	0	0	0	26.35
			झिकटिया	24/1/2017	17.25	1/7/2017	9.96	0	0	0	0	27.21
			पटना	24/1/2017	19.42	1/7/2017	11.22	0	0	0	0	30.64
			रतनपुर	24/1/2017	18.06	1/7/2017	10.43	0	0	0	0	28.49
2	डोमचांच नगर पंचायत	1/9/2017	डोमचांच पूर्व	0	0	0	0	14/8/2018	6.13	9/8/2019	8.28	14.41
			तेतरियाडीह	0	0	0	0	14/8/2018	15.73	9/8/2019	21.23	36.96
3	बड़की सरैया नगर पंचायत	2/5/2018	बड़की सरैया	0	0	0	0	14/8/2018	86.76	9/8/2019	117.10	203.86
4	महागामा नगर पंचायत	8/7/2018	बसुआ	0	0	0	0	14/8/2018	23.10	9/8/2019	31.18	54.28
			महागामा उत्तर	0	0	0	0	14/8/2018	23.13	9/8/2019	31.22	54.35
			महागामा दक्षिण	0	0	0	0	14/8/2018	26.78	9/8/2019	36.14	62.92
			मुरली टोक	0	0	0	0	14/8/2018	26.78	9/8/2019	36.14	62.92
			खुधरा माल	0	0	0	0	14/8/2018	31.54	9/8/2019	42.57	74.11
			कर्णु	0	0	0	0	14/8/2018	23.06	9/8/2019	31.13	54.19
5		4/9/2018	देमा	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	42.26	42.26
			बेलोदर	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	32.68	32.68

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	गठन की तिथि	शा.स्था.नि. के रूप में विलय पंचायत का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल
				दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	
	हरिहरगंज नगर पंचायत		कटैया	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	37.22	37.22
			कुल्हिया	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	38.31	38.31
			सेमरबार	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	41.05	41.05
			सलैया	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	32.54	32.54
			खड़गपुर	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	40.87	40.87
			ढाकला	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	22.28	22.28
			सरसोटा	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	42.92	42.92
			सतगावां / हरिहरगंज पूर्वी	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	33.25	33.25
			सतगावां / हरिहरगंज पश्चिमी	0	0	0	0	0	0	9/8/2019	31.85	31.85
6	धनवार नगर पंचायत	5/4/2018	धनवार	0	0	0	0	14/8/2018	62.46	9/8/2019	84.30	146.76
7	गिरिडीह नगर निगम	25/9/2017	सिकदारडीह	0	0	0	0	14/8/2018	18.61	9/8/2019	25.11	43.72
			परसाटांड	0	0	0	0	14/8/2018	18.62	9/8/2019	25.13	43.75
			भंडारीडीह	0	0	0	0	14/8/2018	1.73	9/8/2019	2.34	4.07
			सिहोडीह	0	0	0	0	14/8/2018	1.65	9/8/2019	2.23	3.88
			पांडेडीह	0	0	0	0	14/8/2018	12.04	9/8/2019	16.25	28.29
			मंगरोडीह	0	0	0	0	14/8/2018	14.82	9/8/2019	20.00	34.82
			हरसिंघरायडीह	0	0	0	0	14/8/2018	9.96	9/8/2019	13.44	23.40
8	हज़ारीबाग नगर निगम	18/1/2016	ओकनी -II	24/1/2017	35.96	0	0	0	0	0	0	35.96
			मंडईकलां	24/1/2017	31.76	0	0	0	0	0	0	0

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	गठन की तिथि	शा.स्था.नि. के रूप में विलय पंचायत का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल
				दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	दिनांक	हस्तांतरित राशि	
			मण्डी	24/1/2017	17.23	0	0	0	0	0	0	17.23
			कोलघट्टी- I	24/1/2017	18.76	0	0	0	0	0	0	18.76
			ज़ेबरा	24/1/2017	20.97	0	0	0	0	0	0	20.97
			लाखे	24/1/2017	20.97	0	0	0	0	0	0	20.97
			कुड-I	24/1/2017	15.78	0	0	0	0	0	0	15.78
			कदमा- II	24/1/2017	23.38	0	0	0	0	0	0	23.38
9	छत्रपुर नगर पंचायत	11/1/2016	छत्रपुर	24/1/2017	20.20	1/7/2017	23.34	14/8/2018	2.06	9/8/2019	2.78	48.38
			सिलदाग	24/1/2017	22.44	1/7/2017	25.93	14/8/2018	16.19	9/8/2019	21.86	86.42
			बारा	24/1/2017	19.17	1/7/2017	22.14	14/8/2018	0	9/8/2019	0	41.31
			काबल	24/1/2017	19.58	1/7/2017	22.62	14/8/2018	11.43	9/8/2019	15.43	69.06
			कंचनपुर	24/1/2017	22.76	1/7/2017	26.29	14/8/2018	17.91	9/8/2019	24.17	91.13
			मसिहानी	24/1/2017	27.06	1/7/2017	31.27	14/8/2018	9.71	9/8/2019	13.10	81.14
	कुल											2086.36

(स्रोत: पंचायती राज विभाग के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.6

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.6; पृष्ठ-36)

संचालन-रखरखाव और पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित सीमा से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्राप्त कुल मूल अनुदान	खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि (निर्धारित 10% सीमा अनुसार)	किया गया वास्तविक व्यय	ओ. एंड एम. और पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई अधिक राशि
1	पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी	पूर्वी घाघीडीह	1.38	0.14	0.17	0.03
2			मध्य गढ़रा	1.07	0.11	0.21	0.10
कुल				2.45	0.25	0.38	0.13
3	हज़ारीबाग	चौपारण	बेलाही	1.01	0.10	0.14	0.04
कुल				1.01	0.10	0.14	0.04
4	गिरिडीह	डुमरी	कुल्गो दक्षिण	0.93	0.09	0.14	0.05
5			ठाकुर चैक	1.19	0.12	0.13	0.01
6		जमुआ	पांडेडीह	1.22	0.12	0.19	0.07
कुल				3.34	0.33	0.46	0.13
7	राँची	बुढमू	मक्का	1.22	0.12	0.24	0.12
8			हेसलपिरी	1.28	0.13	0.16	0.03
9		रातू	चटकपुर	0.91	0.09	0.15	0.06
कुल				3.41	0.34	0.55	0.21
कुल योग				10.21	1.02	1.53	0.51

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.7

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.6; पृष्ठ-36)

अस्वीकार्य सामग्रियों/वस्तुओं पर किये गये व्यय

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	किये गये व्यय की विवरणी	राशि खर्च
1	बोकारो	चंदनक्यारी	भोजडीह पश्चिम	स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर व्यय	10,980
2			देवग्राम	ग्राम विकास समिति के गठन हेतु ग्राम सभा की वीडियोग्राफी	10,000
3			लालपुर	योग दिवस के लिए ड्रेस की खरीद	12,500
4		चास	हैश बटू पश्चिम	स्वतंत्रता दिवस पर व्यय	2,000
5			उलगोरा	स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर व्यय	4,000
6		नवाडीह	गोनियाटो	20 लीटर डीजल, टीवी और साउंड सिस्टम की खरीद	96,600
7			मुंगो रांगामाटी	स्टेबलाइजर की खरीद	12,213
8			पैक	पंचायत भवन में झंडोत्तोलन के लिए प्रोजेक्टर एवं एम्प्लीफायर का क्रय एवं मंच का सौंदर्यीकरण	58,000
9	पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	धोलेबेड़ा	आदिवासी विकास समिति और स्वतंत्रता दिवस समारोह	6,900
10		गोलमुरी	उत्तरी घोड़ाबांधा	स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर व्यय	9,500
11	गिरिडीह	डुमरी	कुल्गो दक्षिण	स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर व्यय, मेगाफोन, प्रोजेक्टर, जन प्रतिनिधियों के नेम प्लेट की खरीद एवं विद्यालय प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि	1,07,540
12			ठाकुर चैक	अम्बेडकर जयंती, प्रधान मंत्री पंचायत दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह और भीमराव अम्बेडकर जयंती पर व्यय	40,500
13		जमुआ	चिल्गा	सामग्री के भंडारण के लिए किराया, पंचायत योजना दल (पीपीटी) के सदस्य को भुगतान और मार्क्स इंफोसिस्टम से साउंड सिस्टम की खरीद	1,32,850
14			पांडेडीह	विद्यालय प्रबंधन समिति को भुगतान, विधान सभा चुनाव के दौरान पेंटिंग कार्य	80,200

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	किये गये व्यय की विवरणी	राशि खर्च
				हेतु साउंड बॉक्स, प्रोजेक्टर एवं माइक की आपूर्ति हेतु भुगतान	
15		तिसरी	चंदौरी	मेन फ्रेम, गिरिडीह से प्रोजेक्टर की खरीद	39,930
16	हज़ारीबाग	बरकट्टा	तुड़यो	कार्यालय प्रयोजन के लिए साउंड सिस्टम की खरीद	22,686
17		कटकमदाग	कटकमदाग	15 अगस्त, आपकी सरकार आपके द्वार, छठ घाट पर रोशनी की व्यवस्था पर खर्च	18,740
18	राँची	बुढ़मू	सरले	कार्यालय प्रयोजन के लिए साउंड सिस्टम की खरीद	9,699
19		काँके	मेसरा पूर्व	स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर व्यय	6,500
20		नामकुम	रामपुर	मुख्यमंत्री का ग्राम पंचायत रामपुर का दौरा	55,798
21			बरगवां	गणतंत्र दिवस और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान बूथ के निर्माण पर व्यय	1,17,179
22		रातू	तिगरा	आपकी सरकार आपके द्वार योजना पर खर्च	20,500
23			रातू पूर्वी	आपकी सरकार आपके द्वार योजना एवं विद्यालय स्थापना पर खर्च	4,67,726
24			चटकपुर	योग दिवस और आपकी सरकार आपके द्वार योजना पर खर्च	10,750
25		तामार	परासी	क्लस्टर चुनाव	26,000
26			उलीडीह	स्वतंत्रता दिवस एवं विधान सभा हेतु क्लस्टर पर व्यय	16,775
27	साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर	मनरेगा योजना में क्षेत्रीय अभियान के लिए परिवहन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण पर व्यय, इंदिरा आवास योजना के लिए सामाजिक अंकेक्षण 2018-19 पर व्यय और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए कार्यकारिणी समिति के किराए पर व्यय	46,630
28			पटना	स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर व्यय, माइक, पंडाल आदि पर व्यय, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए दैनिक उपयोग योग्य बर्तन की खरीद, जलशक्ति अभियान के लिए बैनर पर व्यय, संदाघाट बंदरगाह में मुखिया और वार्ड सदस्यों द्वारा की गई यात्रा एवं भोजन पर व्यय, अग्रिम भुगतान हेतु आपकी सरकार आपके द्वार	1,17,727

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	किये गये व्यय की विवरणी	राशि खर्च
				योजना के लिए पंडाल पर व्यय, नाशते के लिए श्यामा प्रसाद को भुगतान, आपकी सरकार आपके द्वार योजना में माइक, विज्ञापन, पीने के पानी आदि के लिए भुगतान पर व्यय	
29			श्रीकुंड	प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दीवार की सजावट और मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का विज्ञापन	20,000
30		राजमहल	कस्वा	टीवी और सीलिंग फैन की खरीद	97,629
31			सईदपुर	चुनाव के लिए भुगतान	7,800
32			पश्चिमी नारायणपुर	रोजगार सेवकों के लिए आकस्मिक निधि से मोबाइल खरीद, दुमका से जसीडीह तक यात्रा शुल्क, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर व्यय	60,090
33			उधवा	पूर्वी उधवा दियारा	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसायटी
34			राधानगर	संगीतकार को भुगतान, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बूथ पर रैंप निर्माण पर व्यय, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रतिनियुक्त रक्षा बलों के लिए अस्थायी आवास व्यवस्था के लिए भुगतान, मुख्यमंत्री जनसंवाद के जागरूकता के लिए भुगतान	32,352
35			दक्षिणी सरफराजगंज	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, साहेबगंज (चिकित्सा पदाधिकारी)	10,800
कुल					17,99,894

(स्रोत: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों की रोकड़ बही)

परिशिष्ट-2.1.8

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.6 (ii); पृष्ठ-37)

क्रय समिति के गठन के बिना वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय

(र लाख में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	विवरण	व्यय की राशि
1	बोकारो	चंदनकियारी	भोजडीह पश्चिमी	3 अलमारी और कंप्यूटर	0.99
2			देवग्राम	स्टेशनरी, उपकरण, आरओ सिस्टम, लैपटॉप, 2 हैंड वॉश यूनिट, 4 ओपन जिम और सीसीटीवी कैमरा	15.10
3			लालपुर	फर्नीचर, योग दिवस के लिए पोशाक, लैपटॉप, कंप्यूटर सहायक उपकरण, अलमीरा, जेनरेटर और फोटोकॉपी मशीन	8.43
4		चास	हैश बट्टू पश्चिम	टैंकर, मोटर पंप हेंडवाश, कूड़ेदान और वैन	3.49
5			पुपुंकी	कार्यालय फर्नीचर, स्ट्रीट लाइट, टैंकर और खेल सामग्री	21.57
6			उलगोरा	2 टैंकर, सोलर लाइट, हेंडवॉश और कूड़ेदान, ऑफिस अलमारी, फर्नीचर, एलईडी लाइट, वॉटर फिल्टर और जेरोक्स मशीन	40.51
7		नवाडीह	गोनियाटो	टैंकर, जेनरेटर, स्टेबलाइजर, साउंड सिस्टम, टीवी, सैनिटाइजर मशीन, स्ट्रीट लाइट, 26 कूड़ेदान और ऑफिस फर्नीचर	26.37
8			मुंगो रांगामाटी	उपकरण, सामुदायिक भवन का विद्युतीकरण और 24कूड़ेदान	15.66
9			पेंक	3 टैंकर, उपकरण, 13 कूड़ेदान, तीन सीटों वाली कुर्सी और कंप्यूटर	20.13
10	पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी	मध्य गढ़रा	उपकरण	14.38
11		पोटका	हाथीबिंदा	उपकरण	6.27
12		डुमरिया	धोलेबेड़ा	टेबल, लैपटॉप, कॉन्फ्रेंस टेबल, फोटोकॉपियर, कुर्सी, बैटरी और सामान	4.55
13		पलाशबोनी		उपकरण	1.50
14	गिरिडीह	डुमरी	चैनपुर	लेख, स्ट्रीट लाइट, अनाज, फर्नीचर और पेंटिंग सामग्री	9.21
15			कुल्गो दक्षिण	उपकरण, प्रोजेक्टर, स्कैनर, प्रिंटर, पावर प्लांट स्थापना, पर्दा, पानी के टैंकर की मरम्मत, कुर्सी, टेबल, टीवी, कूड़ेदान, 100 स्ट्रीट लाइट और अन्य कार्यालय सामग्री	14.79

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	विवरण	व्यय की राशि
16			ठाकुर चेक	हैंडपंप आपूर्ति एवं मरम्मत, अंबेडकर जयंती, प्रधानमंत्री पंचायत दिवस, 7 आंगनबाडी केंद्रों में ड्रम एवं नल की आपूर्ति, 10 हैंडपंपों के लिए उपकरण, सामग्री, सौर ऊर्जा संयंत्र, पावर प्लांट पैनल एवं विद्युतीकरण, 18 हैंडपंपों की मरम्मत, पंचायत का सौंदर्यीकरण एवं वायरिंग भवन, पानी पंप, कूड़ेदान, पानी टैंकर की मरम्मत, पर्दा, पानी पंप और एलईडी लाइट की आपूर्ति।	19.82
17		जमुआ	चिल्गा	टैंकर, साउंड सिस्टम, राउंड टेबल, कुर्सी, मार्क्स इंफोसिस्टम और स्ट्रीट लाइट की खरीद।	14.31
18			कुरहोबिंदो	मेज और कुर्सियां, पंचायत भवन के लिए पर्दे, बर्तन, कंप्यूटर सिस्टम, बैटरी और स्ट्रीट लाइट	17.34
19			पांडेडीह	टैंकर, साइनबोर्ड, साउंड बॉक्स, प्रोजेक्टर और माइक्रोफोन (माइक)	37.37
20		तिसरी	चंदौरी	सोलर लाइट, उपकरण, प्रोजेक्टर सेट एवं उपकरण, बोर्ड, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट, मास्क एवं सैनिटाइजर की खरीदारी	11.63
21			पामारुवा	सोलर लाइट, ग्राम उदय योजना के सामान, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम, टेबल और कुर्सीया, कालीन और पंखा,	14.75
22			तिसरी	कॉन्फ्रेंस टेबल, टैंकर, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सामान, लैपटॉप और प्रिंटर, कुर्सी और अलमारी।	17.88
23	हज़ारीबाग	बरकट्टा	तुड़यो	पानी के टैंकर, उपकरण, कंप्यूटर की खरीद	5.88
24		चौपारण	बेलाही	होम डिपो इंडिया को भुगतान, मैक्रो कंप्यूटर, सैनिटाइजर, स्प्रींकलिंग मशीन आदि।	18.02
25			ताजपुर	पानी का टैंकर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी, पर्दा, कालीन, लैपटॉप, फर्नीचर	7.68
26		कटकमदाग	कटकमदाग	लैपटॉप, प्रिंटर, कालीन, प्लास्टिक की कुर्सी, परदा, मेज, कुर्सी आदि।	3.45
27			बेस	टेबल, कुर्सी और लैपटॉप	2.67
28		सदर	चुटियारो	उपकरण	4.33
29	राँची		सरले	फर्नीचर	1.49

(र लाख में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	विवरण	व्यय की राशि
30		बुढमू	मक्का	इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, ज़ेराॅक्स मशीन, टोनर, चटाई और कालीन की खरीद	5.74
31		काँके	मेसरा पूर्वी	कूडेदान, उपकरण, पीवीसी फर्श	6.76
32			काँके पश्चिम	कुर्सी मेज	3.88
33		नामकुम	रामपुर	उपकरण	1.95
34			बरगवां	पोलिंग बूथ के लिए टेबल, कुर्सी, फर्नीचर	4.90
35		रातू	तिगरा	उपकरण और चटाई	4.24
36			चटकपुर	जल टैंकर, कार्यालय सामग्री एवं उपकरण	11.71
37	साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर	उपकरण और 165 अदद स्ट्रीट लाइट	5.39
38			पटना	पंचायत भवन के सौंदर्यीकरण के लिए सामग्री, बैठक की मेज, कुर्सी, हैंडपंप के लिए पाइप और स्ट्रीट लाइट	9.23
39			श्रीकुंड	कॉन्फ्रेंस टेबल, एग्जीक्यूटिव चेयर, चटाई, पर्दे, बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, चाय की मेज, सोफा सेट, गद्दे, तकिया और टेलीविजन	6.68
40		राजमहल	कस्वा	टीवी, सीलिंग फैन, सोलर लाइट, स्कैनर और प्रिंटर, पंचायत के लिए सामग्री, हैंडपंप पाइप, बायोमेट्रिक मशीन, फर्नीचर और पाइप की खरीद	19.04
41			नारायणपुर पश्चिम	सोलर लाइट, फर्नीचर और स्ट्रीट लाइट	23.81
42			सईदपुर	फर्नीचर, आकस्मिक व्यय, हैंडपंप मरम्मत एवं बायोमेट्रिक टैब	5.12
43			उधवा	राधानगर	128 अदद स्ट्रीट लाइट और उपकरण
44		सरफराजगंज दक्षिणी		फर्नीचर	1.67
45		उधवा दियारा पूर्वी		फर्नीचर और सोलर लाइट	4.97
कुल					520.13

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों की रोकड़ पुस्तकें)

परिशिष्ट-2.1.9

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10; पृष्ठ-38)

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के हस्तांतरण एवं भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने में राज्य सरकार द्वारा विलंब

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	किशतों की संख्या	राज्य सरकार को विमुक्त बुनियादी अनुदान		राज्य द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र		ग्राम पंचायतों को राशि हस्तांतरित करने के लिए यूसी में उल्लिखित तिथि	ग्रा.प. को हस्तांतरित की गई राशि		ग्राम पंचायतों को अनुदान के हस्तांतरण में देरी (दिनों में)
		राशि	तारीख	राशि	तारीख		राशि	तारीख	
2015-16	पहला	326.42	29/7/2015	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	179.98	12/1/2016	151
							68.27	28/1/2016	167
							36.48	9/2/2016	179
							9.04	10/3/2016	210
							22.58	12/1/2016	151
							4.93	1/2/2016	171
							4.01	9/2/2016	179
							1.12	10/3/2016	210
	दूसरा	326.41	31/3/2016	326.41	21/6/2016	8/4/2016	326.41	19/5/2016	33
2016-17	पहला	451.98	4/7/2016	451.98	11/11/2016	14/7/2016	451.98	17/8/2016	28
	दूसरा	451.98	11/1/2017	451.98	11/5/2017	24/1/2017	451.98	28/3/2017	58
2017-18	पहला	522.23	19/6/2017	522.23	7/11/2017	1/7/2017	490.86	8/8/2017	34
							19.20	17/8/2017	43
							5.15	17/8/2017	43
							7.02	18/9/2017	75
	दूसरा	522.23	21/12/2017	522.23	16/3/2018	3/1/2018	11.52	1/2/2018	26
							23.01	1/2/2018	26
							27.50	1/2/2018	26
							28.12	1/2/2018	26
		24.25	23/1/2018	17					
2018-19	पहला	604.12	13/6/2018	604.12	31/12/2018	14/8/2018	145.85	24/9/2018	87
							395.63	22/11/2018	146
							62.64	22/11/2018	146
							11.86	23/10/2018	116
	दूसरा	604.12	26/4/2019	604.12	2/7/2019	10/5/2019	604.12	11/6/2019	30
2019-20	पहला	816.295	30/7/2019	816.295	30/7/2019		813.09	26/8/2019	11
							32.08	5/9/2019	21
	दूसरा	816.295	19/11/2019	816.295	25/10/2019		816.30	19/11/2019	10

(स्रोत: उपयोगिता प्रमाणपत्र और पंचायती राज विभाग के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.10

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (i); पृष्ठ-42)

प्रशासनिक स्वीकृति में विलंब (तकनीकी स्वीकृति की तिथि से)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	तकनीकी स्वीकृति के बाद प्रशासनिक अनुमोदन देने में लगने वाले विलम्ब (दिनों की संख्या के रूप में)	निर्धारित समय सीमा के बाद प्रशासनिक अनुमोदन में विलंबता	
1	बोकारो	चंदनकियारी	देवग्राम	1	18	11	
2		नवाडीह	मुंगो रांगामाटी	1	14	7	
3	पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी	पूर्वी घाघीडीह	5	11-126	4-119	
4			मध्य गढ़रा	5	15-121	8-114	
5		पोटका	हाथीबिंदा	2	14-15	7-8	
6	गिरिडीह	जमुआ	चिल्गा	1	11	4	
7		तिसरी	पामारुवा	1	79	72	
8			तिसरी	1	22	15	
9	हजारीबाग	चौपारण	ताजपुर	1	35	28	
10			भेलवारा	2	22-37	15-30	
11	राँची	बुढ़मू	मक्का	2	65	58	
12		काँके	डुमरदग्गा	1	38	31	
13	साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर	52	8-58	1-51	
14			पटना	24	9-129	2-122	
15			श्रीकुंड	17	11-115	4-108	
16		राजमहल	कस्वा	3	43-114	36-107	
17			सईदपुर	12	19-402	12-395	
18		उधवा	राधानगर	44	9-185	2-178	
		कुल			175		

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.11

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (ii); पृष्ठ-43)

लाभुक समितियों को पन्द्रह हजार रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	
1	बोकारो	चंदनकियारी	भोजुडीह पश्चिम	2	
2			देवग्राम	1	
3			लालपुर	1	
4			नवाडीह	गोनियाटो	8
5				पेंक	1
6	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	कलिकापुर	6	
7		डुमरिया	केंदुवा	12	
8		गोलमुरी	घाघीडीह पूर्वी	1	
9	गिरिडीह	डुमरी	चैनपुर	6	
10		जमुवा	कुरहोबिंदो	18	
11			पांडेडीह	32	
12		तिसरी	चंदौरी	52	
13			पामारुवा	11	
14			तिसरी	30	
15		हज़ारीबाग	बरकट्टा	गेंगपाचो	1
16	चौपारण		जगदीशपुर	1	
17	कटकमदाग		कटकमदाग	3	
18	सदर हज़ारीबाग		चुटियारो	1	
19	राँची	नामकुम	रामपुर	3	
20			कुटियात्	2	
21		बुढमू	सरली	4	
22			मक्का	2	
23		रातू	तिगरा	7	
24			रातू पूर्वी	2	
25			चटकपुर	6	
26		साहिबगंज	बरहरवा	हरिहर	68
27	पटना			26	
28	श्रीकुंड			65	
29	राजमहल		कस्वा	61	
30			पश्चिम नारायणपुर	44	
31			सईदपुर	54	
32	उधवा		राधानगर	46	
33			उत्तरी सरफराजगंज	6	
34			उधवा दियारा पूर्वी	33	
कुल				616	

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.12

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (iii); पृष्ठ-44)

रॉयल्टी की कटौती लाभुक समितियों के विपत्रों से की गई लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं की गई

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	रॉयल्टी की कटौती लेकिन जमा नहीं की गई
1	बोकारो	चास	हेसबातु	23	1,00,767
2			उलगोरा	8	30,777
3			पुपुंकी	21	1,12,922
4		चंदनकियारी	भोजूडीह पश्चिमी	42	3,45,880
5			देवग्राम	32	1,89,194
6			लालपुर	33	1,57,825
7		नवाडीह	गोनियाटो	20	1,99,646
8			मुंगो रांगामाटी	4	12,063
9			पैक	5	36,473
10	पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी	पूर्वी घाघीडीह	40	1,55,052
11			उत्तरी घोड़ाबांधा	58	3,34,705
12		पोटका	हाथीबिंदा	19	1,52,836
13			कलिकापुर	7	68,123
14			टैटलापोरा	3	24,855
15		डुमरिया	धोलेबेड़ा	7	71,903
16			पलाशबोनी	7	70,772
17			केंदुवा	12	82,123
18	गिरिडीह	डुमरी	चैनपुर	26	1,50,658
19		जमुआ	चिल्गा	77	3,33,798
20			खुरहोबिंदो	58	1,50,252
21			पांडेडीह	44	1,71,435
22		तिसरी	चंदौरी	64	2,43,306
23			पामारुवा	45	1,72,959
24			तिसरी	84	3,20,006
25	हज़ारीबाग	बरकड़ा	चेचकपी	38	3,82,728
26			गंगपंचो	7	40,709
27			तुइयो	40	5,90,449
28		चौपारण	बेलाही	42	2,87,599
29			जगदीशपुर	37	3,97,253
30		कटकमदाग	सुलताना	11	99,215
31			कटकमदाग	32	1,47,881
32			बेस	33	2,14,557
33		सदर	चुटियारो	30	2,12,440

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	रॉयल्टी की कटौती लेकिन जमा नहीं की गई	
34			ओरिया	21	1,43,030	
35	राँची	बुढूमू	सरले	11	66,263	
36			मक्का	3	19,687	
37			हेसलपीरी	9	53,637	
38		काँके	मेसरा ईस्ट	5	60,980	
39			काँके पश्चिम	11	73,105	
40			डुमरदग्गा	9	57,915	
41		नामकुम	कुटियातू	4	25,243	
42			रामपुर	25	1,33,354	
43			बरगवां	16	1,03,657	
44		रातू	तिगरा	32	1,52,646	
45			रातू पूर्वी	14	82,261	
46		तामार	परासी	3	929	
47			उलीडीह	11	31,433	
48			लुंगटू	8	25,833	
49		साहिबगंज	बरहरवा	हरिहर	26	1,75,681
50				पटना	41	74,374
51	श्रीकुंड			23	1,27,006	
52	राजमहल		कस्वा	19	58,853	
53			नारायणपुर पश्चिम	32	3,47,198	
54			सईदपुर	13	41,277	
55	उधवा		राधानगर	70	3,50,365	
56			सरफराजगंज दक्षिणी	89	4,68,887	
57			उधवादियारा पूर्व	43	4,24,606	
कुल				1,547	91,59,381	

(स्रोत: नमूना-जाँच किए गए ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.13

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (iv); पृष्ठ-44)

कार्य विभाजन के पश्चात क्रियान्वित योजनाओं के नाम

(राशि ₹ में)

ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	कार्य का कुल अनुमान
बोकारो	चंदनक्यारी	भोजुडीह पश्चिम	3/2019-20	गौरीग्राम में गुहीराम रजक के घर से प्राण करमाकर के घर तक पगडंडी का निर्माण, भाग-1	3,47,400	6,94,800
			4/2019-20	गौरीग्राम में गुहीराम रजक के घर से प्राण करमाकर के घर तक पगडंडी का निर्माण, भाग-2	3,47,400	
			5/2019-20	गुडाली भिड्डा में आनंद रजवार के घर से शिव मंदिर चितलाही तक पगडंडी का निर्माण, भाग-1	3,06,700	
			6/2019-20	गुडाली भिड्डा में आनंद रजवार के घर से शिव मंदिर चितलाही तक पगडंडी निर्माण, भाग-2	3,06,700	
गिरिडीह	तिसरी	चंदौरी	7/2016-17	चंदौरी अंबेडकर चौक से पुल तक सड़क के अलावा नाली का निर्माण	1,96,700	5,83,800
			11/2016-17	चंदौरी अंबेडकर चौक से पुल तक सड़क के अलावा नाली का निर्माण भाग-2	1,96,700	
			13/2016-17	चंदौरी अंबेडकर चौक से पुल तक सड़क के अलावा नाली के शेष कार्य का निर्माण	1,90,400	
साहिबगंज	राजमहल	पश्चिमी नारायणपुर	1/2016-17	पंचायत भवन की मरम्मत भाग-1	2,98,200	5,52,100
			2/2016-17	पंचायत भवन की मरम्मत भाग-2	2,53,900	
हज़ारीबाग	सदर	भेलवारा	2/2016-17	पंचायत भवन में चहारदीवारी का निर्माण, भाग-1	2,99,900	7,87,300

(राशि ₹ में)

ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना सं.	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	कार्य का कुल अनुमान
			3/2016-17	पंचायत भवन में चहारदीवारी का निर्माण, भाग-2	2,99,900	
			7/2017-18	पंचायत भवन में चहारदीवारी का निर्माण, भाग-3	1,87,500	
राँची	काँके	काँके पश्चिम	5/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना भाग-I	5,00,000	33,57,000
			10/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना भाग-II	5,00,000	
			11/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना भाग-2	5,00,000	
			12/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना, भाग-III	5,00,000	
			9/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना, भाग-IV	5,00,000	
			7/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाग-V में पेवर ब्लॉक बिछाना, भाग-V	4,99,000	
			14/2019-20	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेवर ब्लॉक बिछाना, भाग-VI	3,58,000	
	कुल					65,88,400

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों की योजना पंजी)

परिशिष्ट-2.1.14

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (v); पृष्ठ-46)

बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु लक्षित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	व्यय का उद्देश्य	राशि		
1	बोकारो	चास	पुपुंकी	उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुपुंकी में ओपन जिम की स्थापना	1.50		
2				पुपुंकी में ओपन जिम की स्थापना	1.50		
3				खेल सामग्री की खरीद	2.07		
4				जहिरा स्थान पर चहारदीवारी का निर्माण	2.71		
5		नवाडीह	गोनियाटो	मेला टांड मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण	1.25		
6	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	कलिकापुर	मंदिर द्वार का निर्माण	2.07		
7	गिरिडीह	डुमरी	कुल्गो (दक्षिण)	कुल्गो दक्षिण में उधवा सिंचाई का नवीनीकरण	1.42		
8				रूपचंद रविदास के कुएँ की मरम्मत	0.38		
9				रविदास के कुएँ की मरम्मत	0.38		
10			ठाकुर चैक	सीताराम रविदास के कुआँ से जलापूर्ति	2.94		
11				गुली कर्मकार के कुएँ की मरम्मत	0.35		
12				जीतन महतो के सिंचाई कूप की मरम्मत	0.37		
13				शंकर रविदास के कुएँ की मरम्मत	0.35		
14				प्रवीण रविदास के कुएँ की मरम्मत	0.35		
15				डुगलाल यादव के कुएँ की मरम्मत	0.34		
16				बिरजू दास के कुएँ की मरम्मत एवं स्नान घाट का निर्माण	0.34		
17				लालमणि रविदास के कुएँ की मरम्मत एवं स्नान घाट का निर्माण	0.36		
18				जगू महतो के कुएँ की मरम्मत	0.37		
19				केशु रविदास के कुएँ की मरम्मत	0.38		
20				टेकलाल महतो की भूमि में कुआँ की मरम्मत एवं चबूतरा का निर्माण	0.33		
21				जमुआ	चिल्गा	हरि महतो के सिंचाई कूप की मरम्मत	0.23
22						राजकिशोर यादव के कुएँ की मरम्मत	0.28
23						पंकज बांधवे की भूमि में कुएँ की मरम्मत	0.28
24						तपेश्वर तुरी के कुएँ की मरम्मत	0.28
25						भूषण महतो के कुएँ की मरम्मत	0.28
26		प्रकाश दास के कुएँ की मरम्मत				0.83	
27	अशोक पासवान के कुएँ की मरम्मत	0.28					
28	प्रकाश विश्वकर्मा के कुएँ की मरम्मत	0.23					

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	व्यय का उद्देश्य	राशि
29				दिगंबर यादव के कुएँ की मरम्मत	0.28
30				पुना रविदास के कुएँ की मरम्मत	0.24
31				जागो राम के कुएँ की मरम्मत	0.35
32				हामिद अंसारी के कुएँ की मरम्मत	0.28
33				कमल महतो के कुएँ की मरम्मत	0.28
34				रामलाल महतो के कुएँ की मरम्मत	0.28
35				अहमद अंसारी के कुएँ की मरम्मत	0.28
36				लालधारी महतो के कुएँ की मरम्मत	0.28
37				नसीरुद्दीन अंसारी के कुएँ की मरम्मत	0.37
38				शहादत अंसारी के कुएँ की मरम्मत	0.31
39				सोनारडीह में महेंद्र यादव के कुएँ की मरम्मत	0.69
40		तिसरी	चंदौरी	राम किशुन दास की भूमि में पुरानी डाड़ी की मरम्मत	0.20
41				चंदौरी के कोंडराटिल्हा में गुलाम मियां के घर के पीछे डाड़ी की मरम्मत	0.32
42				मोदी विद्या में नारायण साँ की भूमि पर कुएँ की मरम्मत	0.60
43	हजारीबाग	चौपारण	ताजपुर	अंचलाधिकारी के आवास की चहारदीवारी	2.35
44	साहेबगंज	बरहरवा	पटना	ब्रह्मदेव रजक की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.17
45				किशुन बास्की की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.23
46				शंकर साह की भूमि में कुआँ का निर्माण	0.87
47				बबलू बास्की की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.49
48				प्रदीप टुडू की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.71
49				सुलेखा की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.49
50				डोमन की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.04
51				गौरचंद्र रजक की भूमि में कूप निर्माण	0.95
52				राहुल कुमार रजक की भूमि में कूप निर्माण	1.49
53				नारू पावरिया की भूमि पर कुआँ का निर्माण	1.40
54				धोनु टूडु की भूमि में कुएँ का निर्माण	1.84
55				हेमलाल राजवार की भूमि पर कुआँ का निर्माण	1.31
56				होरेन चंद्र महतो की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.28
57				वीरेन राजवार की भूमि में कुआँ का निर्माण	0.59
58				बिमल रजक की भूमि में जलापूर्ति हेतु बोरिंग लगाना	1.99
59		राजमहल	कस्वा	संग्रामपुर में संग्राम मैया की भूमि पर जलापूर्ति हेतु कुआँ का निर्माण	0.94

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	व्यय का उद्देश्य	राशि
60				इंग्लिश में एंटी मसोमात की जमीन पर कुआँ का निर्माण	0.98
61				इंग्लिश में विष्णु मंडल की जमीन पर कुआँ का निर्माण	0.61
62				मखनी में जलधर यादव की भूमि पर कुआँ का निर्माण	0.95
63				राय बाजार में मनोज प्रमानिक की जमीन पर मिनी सोलर जलापूर्ति की स्थापना	2.49
64				सैयदबाजार में हरिबोल महलदार की जमीन पर मिनी सोलर जलापूर्ति की स्थापना	2.49
65			सईदपुर	सीढी एवं रक्षा दीवार की मरम्मत एवं पीर मजार का सौंदर्यीकरण	2.45
66				महादेव मंडल के खेत से मणिलाल के खेत तक सिंचाई नाली का निर्माण	2.50
67				निमाई मंडल के खेत से भगवान के खेत तक सिंचाई नाली का निर्माण	2.49
68				सहदेव मंडल के खेत से खोदला डाप तक सिंचाई नाली का निर्माण	2.50
69				बबलू मंडल की भूमि में कुआँ का निर्माण	0.89
70				हीरा मंडल की भूमि में कुआँ का निर्माण	1.23
71				सागर मण्डल की भूमि पर कुआँ का निर्माण	0.97
72		उधवा	राधानगर	बैंक ऑफ इंडिया परिसर में पगडंडी का निर्माण	1.97
कुल					72.87

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.15

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (vi); पृष्ठ-46)

मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर (अंगूठे के निशान) को प्रमाणित किये बगैर **लाभुक समितियों** को भुगतान की गई राशि की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	कार्यरत मजदूरों की संख्या	श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि	
1	पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी	मध्य गढ़रा	1	42	71,786	
2			उत्तरी घोड़ाबांधा	9	229	4,10,109	
3		पोटका	हाथीबिंदा	4	109	2,60,487	
4			कलिकापुर	8	287	4,33,589	
5		डुमरिया	पलाशबोनी	4	71	97,760	
6			केंदुवा	8	180	2,39,615	
7	गिरिडीह	डुमरी	चैनपुर	4	58	1,41,167	
8			कुल्गो दक्षिण	1	6	2,690	
9		जमुवा	चिल्गा	6	65	81,844	
10			कुरहोबिंदो	3	83	1,10,362	
11			पांडेडीह	2	18	24,922	
12		तिसरी	चंदौरी	3	52	60,821	
13			पामारुवा	2	62	88,705	
14			तिसरी	4	80	1,45,125	
15		हजारीबाग	बरकड़ा	तुड़यो	3	57	78,593
16			चौपारण	बेलाही	5	139	1,96,480
17				जगदीशपुर	3	28	39,387
18			कटकमदाग	कटकमदाग	2	31	58,400
19				बेस	2	34	52,920
20			सदर	चुटियारो	4	54	1,00,790
21	ओरिया			11	236	3,73,985	
22	भेलवारा			5	167	2,07,481	
23	राँची	बुढूमू	सरले	1	21	30,352	
24			मक्का	2	15	19,908	
25			हेसलपीरी	3	48	62,417	
26		काँके	काँके पश्चिम	9	133	1,87,935	
27		नामकुम	बरगवां	4	17	29,535	
28		रातू	चटकपुर	5	95	1,17,627	
29		तमार	लुंगटू	2	10	10,415	
30			उलीडीह	2	22	27,406	
31		साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर	7	204	2,72,535
32				पटना	7	149	2,08,771

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	कार्यरत मजदूरों की संख्या	श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि
33			श्रीकुंड	1	10	13,297
34		राजमहल	नारायणपुर पश्चिम	2	44	63,864
25			कस्वा	5	114	1,58,690
36		उधवा	पूर्वी उधवा दियारा	4	98	1,48,752
37			दक्षिणी सरफराजगंज	5	151	2,11,016
38			राधानगर	2	51	76,084
कुल				155	3,270	49,15,622

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.16

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.2 (vi); पृष्ठ-47)

क) बिना नकदी रसीद के निर्माण सामग्री का क्रय

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	खरीदी गई सामग्री	राशि का भुगतान
1	गिरिडीह	जमुआ	चिल्गा	6/2016-17	लेदवाडीह में मंडप के पास मंच का निर्माण	73,200	रेत, स्टोन चिप्स, धातु और ईंटें	27,408
2				12/2016-17	गम्हरिया में टिकेत दास के घर से बसंत की दुकान तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,96,500	रेत, स्टोन चिप्स, धातु और ईंटें	89,600
3		तिसरी	चंदौरी	1/2016-17	बड़कीटांड टोला में मस्जिद के पास रक्षा दीवार का निर्माण	80,900	बोल्डर, रेत और धातु	22,031
4				1/2018-19	पंचायत सचिवालय, चंदौरी का रंग - रोगन	1,45,900	मिट्टी और ईंटें	62,015
5				1/2020-21	आरईओ रोड से मनोज राम के घर होते हुए किशुन दास के घर तक पगडण्डी का निर्माण	2,47,200	रेत, ईंटें और चिप्स	30,200
6	साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर	8/2017-18	हरिहर में मुख्य सड़क से आलम मास्टर के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,99,900	साइन बोर्ड	2,000
7				7/2017-18	जोत जगत में बसंत घर के पास हैंडपंप की स्थापना	55,000	हैंड पंप, ड्रिलिंग, मशीनरी और फिलिंग चार्ज	24,250
8		राजमहल	कस्वा		12/2016-17	मखनी में अलाउद्दीन मियां के घर से कमाल मियां के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,98,000	स्टोन डस्ट, रेत, ईंटें और चिप्स
9	14/2016-17				मखनी में असगर मियां के घर से जैनुल मियां के घर तक एवं नासिर मियां के घर से फुटबॉल मैदान तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,22,000	स्टोन डस्ट, रेत, और चिप्स	59,421
10	15/2016-17				मखनी में आरईओ रोड से टेकलाल यादव के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,05,800	स्टोन डस्ट, रेत, और चिप्स	47,906

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	खरीदी गई सामग्री	राशि का भुगतान
11				18/2016-17	गढ़तालाब में आरईओ रोड (केलुवा दुकान) से अनिल मंडल के घर तक नाली सहित पीसीसी सड़क का निर्माण	1,85,600	रेत, पत्थर के टुकड़े, बोल्टर, स्टोन डस्ट और ईटें	73,034
12				1/2017-18	सिक्काटोली में लखी मंडल के घर से नितार्ई मंडल के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,46,300	रेत, पत्थर के टुकड़े, स्टोन डस्ट और ईटें, ईटों और सीमेंट पर गाड़ी	1,29,295
कुल								6,56,346

ख) विपत्रों में बिना जीएसटी नंबर दर्शाए निर्माण सामग्री का क्रय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	योजना पूर्ण होने की तिथि	सामग्री का नाम	सामग्री क्रय हेतु भुगतान की गई राशि
1	गिरिडीह	जमुआ	पांडेडीह	3/2018-19	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरवाडीह में हैंड वॉश यूनिट का निर्माण	70,100	16/6/2019	सबमर्सिबल, तार, पाइप, नल और टंकी	35,250
2		तिसरी	चंदौरी	1/2016-17	बड़कीटांड टोला में मस्जिद के पास रक्षा दीवार का निर्माण	80,900	30/9/2016	सीमेंट	30,295
3	साहेबगंज	बरहरवा	हरिहर	33/2016-17	श्रीकांतपाड़ा में इजराइल के घर से मस्जिद तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,85,500	31/3/2017		58,500
4				41/2016-17	ओहिधर घर से बड़ पेड़ भाग-1 तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,99,000	13/4/2017		60,450

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	योजना पूर्ण होने की तिथि	सामग्री का नाम	सामग्री क्रय हेतु भुगतान की गई राशि
5				18/2016-17	महेशबाड़ी में शुशील के घर से खसरु के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	80,000	18/5/2016		22,770
6				42/2016-17	ओहिधर के घर से बाढ़ पेड़ भाग-2 तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,99,000	13/4/2017		60,450
7		उधवा	राधानगर	4/2016-17	जगरनाथ मंडल के घर से सुकलाल के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,28,000	26/6/2016		42,055
8				3/2016-17	गोरांग मंडल के घर से संजय मंडल के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,28,000	20/6/2016		42,055
9				1/2016-17	जय शाहा के घर से लखन शाह के घर एवं अर्जुन के घर से पंचू मंडल के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,28,000			42,055
कुल									3,93,880

ग) संबंधित चालानों पर किसी तिथि का उल्लेख किए बिना सामग्री का क्रय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	योजना पूर्ण होने की तिथि	सामग्री का नाम	सामग्री क्रय हेतु भुगतान की गई राशि
1	गिरिडीह	डुमरी	कुल्गो दक्षिण	08/2017-18	भानू रविदास के कूप की मरम्मत	38,500		दुलाई और साइन बोर्ड सहित रेत, ईटें, सीमेंट और पत्थर के चिप्स	20,369
2				6/2017-18	कुल्गो दक्षिण में उधवा सिंचाई कूप का नवीनीकरण	1,76,600	26/12/2017	क्रॉम्पटन ग्रिप मोटर 20 एचपी, स्टार डेल्टा स्विच, पाइप, तार 60 मीटर और स्थापना	1,00,800
3		जमुआ	चिल्गा	15/2017-18	सोनारडीह में शिव लाल महतो के घर से सुदाम मियां के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,98,000	13/6/2018	सीमेंट, ईटें, रेत, चिप्स और साइनबोर्ड	69,137
4				8/2018-19	सेंट रायडीह में मंडप से भूषण महतो के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,96,200	26/2/2019	ईटें, रेत, चिप्स, साइनबोर्ड और दुलाई	70,442
5				15/2019-20	संतराडीह में किशोर यादव के घर से आम के पेड़ तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,19,100	20/3/2020	सीमेंट, ईटें, बोर्ड, रेत और चिप्स और दुलाई	1,24,766
6				9/2019-20	महदाडीह में सगीर अंसारी के घर से रफीक अंसारी के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,40,800	20/3/2020	सीमेंट, ईटें, बोर्ड, रेत और चिप्स और दुलाई	1,58,652
7			पांडेडीह	3/2018-19	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरवाडीह में हैंड वॉश यूनिट का निर्माण	70,100	16/6/2019	ईटें, सबमर्सिबल+तार, पाइप नल, टैंक, रेत, चिप्स, सीमेंट और गाड़ी के साथ धातु	50,632

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	योजना पूर्ण होने की तिथि	सामग्री का नाम	सामग्री क्रय हेतु भुगतान की गई राशि
8	साहेबगंज	बरहरवा	पटना	6/2019-20	पंचायत भवन परिसर में पीसीसी चबूतरा का निर्माण	2,03,200		रेत, चिप्स, बोल्टर, पत्थर के चिप्स और साइनबोर्ड	51,358
9		राजमहल	कस्वा	14/2016-17	मखनी में असगर मियां के घर से जैनुल मियां के घर तक एवं नासिर मियां के घर से फुटबॉल मैदान तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,22,000	2/12/2016	साइनबोर्ड	3,000
10				15/2016-17	आरईओ रोड से टेकलाल यादव के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,05,800		साइनबोर्ड	3,000
11				4/2017-18	गढ़ातलाब में सत्यनारायण मंडल के घर से सोरदा बीटा के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,49,700	17/3/2018	सीमेंट, रेत, स्टोन चिप्स और ईंटें	1,47,469
12				1/2017-18	सिक्काटोली में लखी मंडल के घर से निताई मंडल के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	2,46,300	2/9/2017	साइनबोर्ड, रेत, दुलाई, बोल्टर, चिप्स और दुलाई सहित साइनबोर्ड	3,000
13		उधवा	राधानगर	3/2016-17	गोरांग मंडल के घर से संजय मंडल के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,28,000			46,254
कुल									8,48,879

घ) लाभुक समिति के चयन से पूर्व क्रय की गई सामग्री

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजना की संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत	लाभुक समिति के चयन की तिथि	सामग्री क्रय की तिथि	विवरण	लाभुक समिति को भुगतान की गई राशि
1	साहिबगंज	राजमहल	कस्वा	12/2016-17	मखनी ग्राम में कमालुद्दीन के घर से अलाउद्दीन के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	1,98,000	5/11/2016	1/11/2016	सीमेंट	66,299

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.17

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.3 (i); पृष्ठ-47)

योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लाभुक समितियों के विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित लागत	व्यय	कटौती नहीं किये गये श्रम उपकर की राशि	
1	बोकारो	चंदनकियारी	भोजुडीह पश्चिम	67	1,42,19,191	1,37,31,042	1,37,310	
2			देवग्राम	32	63,35,900	62,88,320	62,883	
3			लालपुर	68	1,02,31,288	87,92,520	87,925	
4			नवाडीह	मुनगो रांगामाटी	47	73,51,795	75,86,381	75,863
5				पैक	96	1,53,45,424	1,33,90,155	133,902
6	पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी	पूर्वी घाघीडीह	10	17,31,391	16,14,466	16,140	
7			मध्य गढ़रा	4	5,23,900	5,22,513	5,437	
8			उत्तरी घोड़ाबांधा	7	13,34,300	13,15,850	13,155	
9		पोटका	हाथीबिंदा	3	6,00,200	5,88,968	5,889	
10			कलिकापुर	9	19,98,939	19,79,884	19,797	
11			टैटलापोरा	3	6,35,600	6,18,516	4,565	
12		डुमरिया	धोलेबेड़ा	6	12,23,102	12,18,847	12,229	
13			पलाशबोनी	7	13,57,700	12,63,725	13,549	
14			कैदुवा	15	34,25,300	34,16,029	34,157	
15		गिरिडीह	डुमरी	चैनपुर	24	40,93,711	36,85,116	36,849
16				कुल्गो दक्षिण	23	56,81,737	56,47,118	56,472
17				ठाकुर चैक	75	1,08,17,092	1,02,86,118	102,860
18			जमुआ	चिल्गा	81	1,02,41,677	98,77,283	98,773
19				कुरहोबिंदो	31	22,18,444	15,93,829	15,937
20	पांडेडीह			44	51,76,754	51,00,255	51,003	
21	तिसरी		चंदौरी	64	85,61,422	84,24,879	84,246	
22			पामारुवा	3	4,41,812	4,41,812	4,418	
23			तिसरी	28	29,00,106	23,87,001	23,869	
24	हजारीबाग		बरकड़ा	चेचकपी	3	10,81,500	8,40,000	8,400
25				गंगपंचो	3	10,81,500	8,76,300	8,622
26		तुड़यो		1	2,49,950	2,49,500	2,495	
27		चौपारण	ताजपुर	3	4,88,300	3,75,382	4,784	
28		कटकमदाग	सुलताना	4	16,90,600	15,76,400	15,764	
29			कटकमदाग	10	20,89,771	18,24,888	18,247	
30			बेस	10	23,51,400	23,11,352	22,908	
31		सदर	ओरिया	16	41,03,100	40,59,482	40,594	
32	राँची	बुढ़मू	सरले	9	27,84,955	23,49,580	23,496	

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित लागत	व्यय	कटौती नहीं किये गये श्रम उपकरण की राशि		
33			मक्का	7	22,01,014	19,16,210	19,161		
34			हेसलपीरी	14	36,53,546	32,23,469	32,234		
35			काँके	मेसरा पूर्व	4	10,51,700	9,61,431	9,615	
36				काँके पश्चिम	12	41,89,400	40,63,556	40,632	
37				डुमरदग्गा	7	22,39,610	20,89,732	20,574	
38			नामकुम	कुटियातू	2	5,08,325	5,08,237	5,082	
39				रामपुर	10	25,10,140	23,54,387	23,544	
40				बरगवां	13	33,16,710	31,92,187	31,916	
41			रातू	तिगरा	9	21,68,650	21,47,074	20,943	
42				चटकपुर	15	41,50,473	37,58,512	37,580	
43			तामार	लुंगटू	15	41,85,763	36,76,637	36,759	
44				परासी	8	19,97,655	16,58,200	16,453	
45				उलीडीह	6	20,15,986	18,50,929	17,420	
46			साहिबगंज	बरहरवा	हरिहर	43	21,44,257	21,11,529	21,120
47					पटना	22	23,67,288	20,08,848	20,089
48	श्रीकुंड	40			53,17,885	42,54,547	42,545		
49	राजमहल	कस्वा		61	1,09,60,273	1,00,58,649	1,00,586		
50		नारायणपुर पश्चिम		33	49,69,374	46,37,428	46,374		
51		सईदपुर		56	96,68,626	81,49,036	81,506		
52	उधवा	राधानगर		33	55,17,053	53,55,369	53,564		
53		सरफराजगंज दक्षिणी		12	18,93,173	17,89,691	17,896		
54		उधवा दियारा पूर्वी		2	40,982	20,000	200		
कुल				1,230	20,94,35,744	19,40,19,169	19,38,331		

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.18

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.3 (ii); पृष्ठ-47)

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लाभुक समितियों के विपत्रों से कटौती की गई श्रम उपकर की राशि को कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित लागत	व्यय	कटौती की गई श्रम उपकर	
1	बोकारो	चास	हेसबातु	4	14,55,400	14,52,851	12,792	
2			पुपुंकी	7	21,79,300	21,71,564	19,093	
3			उलगोरा	4	13,10,450	13,06,132	12,404	
4		नवाडीह	गोनियाटो	20	44,29,500	43,90,743	43,619	
5			मुनगो रांगामाटी	4	3,49,000	3,35,798	3,358	
6	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	हाथीबिंदा	3	4,41,127	4,31,904	8,457	
7			कालिकापुर	1	1,36,000	1,35,500	1,178	
8	गिरिडीह	तिसरी	पालमारुवा	3	10,80,682	9,02,092	8,959	
9	हज़ारीबाग	बरकड्डा	चेचकपी	4	10,83,350	10,81,029	10,763	
10			गंगपंचो	7	13,38,500	12,74,779	13,283	
11			तुड़यो	40	92,47,659	88,80,371	3,31,293	
12		चौपारण	ताजपुर	13	28,43,200	28,23,698	27,373	
13			बेलाही	43	80,30,100	78,43,959	76,378	
14			जगदीशपुर	10	28,38,900	24,61,025	23,965	
15			कटकमदाग	कटकमदाग	10	20,79,300	20,57,048	20,542
16		सदर	ओरिया	28	71,67,900	64,93,007	60,452	
17			चुटियारो	12	32,52,782	29,24,964	28,876	
18			भेलवारा	7	24,23,500	23,97,460	23,680	
19	राँची		रातू	तिगरा	1	2,48,900	2,48,361	2,459
20		रातू पूर्वी		3	7,47,100	7,34,700	6,966	
21		चटकपुर		5	19,23,455	15,74,450	11,650	
22	साहिबगंज	बरहरवा	हरिहर	68	96,74,300	94,26,435	88,899	
23			पटना	61	94,08,546	87,07,695	87,554	
24			श्रीकुंड	11	23,12,475	22,48,288	22,550	
25		राजमहल	कस्वा	6	10,54,200	9,90,900	10,214	
26			सईदपुर	15	21,43,311	19,06,327	19,535	
27		उधवा	राधानगर	51	84,74,814	82,87,697	74,940	
28			उधवा दियारा पूर्वी	17	40,68,064	39,91,664	47,067	
कुल				458	9,17,41,815	8,74,80,441	10,98,299	

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.19

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.3(iii); पृष्ठ-47)

लाभुक समितियों के विपत्रों से श्रम उपकर की कम कटौती

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ज़िला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित राशि	व्यय	कटौती की जाने वाली श्रम उपकर की राशि	कटौती की गयी श्रम उपकर की राशि	श्रम उपकर की कम कटौती
1	बोकारो	चास	हेसबातु	4	14,55,400	14,52,851	14,529	12,792	1,737
2			पुपुंकी	7	21,79,300	21,71,564	21,716	19,093	2,623
3			उलगोरा	4	13,10,450	13,06,132	13,061	12,404	657
4		नवाडीह	गोनियाटो	7	19,72,400	19,51,350	19,514	19,226	288
5	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	हाथीबिंदा	1	4,41,127	4,31,904	4,319	3,882	437
6			कलिकापुर	1	1,36,000	1,35,500	1,355	1,178	177
7	गिरिडीह	तिसरी	पल्मरुवा	3	10,80,682	9,02,092	9,021	8,959	62
8	हज़ारीबाग	बरकट्टा	चेचकपी	3	8,33,450	8,31,129	8,311	8,187	124
9			गंगपंचो	4	7,45,000	7,41,473	7,415	7,302	113
10			तुड़यो	32	74,76,259	73,97,764	73,978	67,537	6,441
11		चौपारण	ताजपुर	13	28,43,200	28,23,698	28,237	27,373	864
12			बेलाही	41	75,80,200	73,94,059	73,941	71,873	2,068
13			जगदीशपुर	10	28,38,900	24,61,025	24,610	23,965	645
14		कटकमदाग	कटकमदाग	4	8,97,100	8,95,889	8,959	8,881	78
15		सदर	ओरिया	23	64,32,100	57,78,296	57,783	53,163	4,620
16			चुटियारो	11	30,02,882	26,75,064	26,751	26,364	387
17			भैलवारा	7	24,23,500	23,97,460	23,975	23,680	295
18	राँची	रातू	चटकपुर	5	19,23,455	15,74,450	15,745	11,650	4,095
			रातू पूर्वी	3	7,47,100	7,34,700	7,347	6,966	381
19			तिगरा	1	2,84,900	2,48,361	2,484	2,469	25
20	साहिबगंज	बरहरवा	हरिहर	46	77,85,720	75,60,294	75,603	70,136	5,467
21			पटना	45	86,41,796	79,90,031	79,900	77,204	2,696
22			श्रीकुंड	9	20,64,900	20,38,288	20,383	20,095	288
23		राजमहल	सईदपुर	15	21,43,311	20,23,327	20,233	19,535	698
24		उधवा	राधानगर	50	83,46,814	81,62,722	81,627	73,690	7,937
कुल				349	7,55,85,946	7,20,79,423	7,20,797	6,77,604	43,203

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट- 2.1.20

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13.4; पृष्ठ-48)

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वैधानिक कटौतियों का उपयोग किया जाना

क्र. सं.	ज़िला	ग्राम पंचायत	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
			रॉयल्टी	श्रम उपकर	बिक्री कर	रॉयल्टी	श्रम उपकर	बिक्री कर	रॉयल्टी	श्रम उपकर	बिक्री कर	रॉयल्टी	श्रम उपकर	बिक्री कर	रॉयल्टी	श्रम उपकर	बिक्री कर
1	पूर्वी	हाथीबिंदा	77,703	2129	0	24,199	2,446	0	0	0	0	50,934	3,882	0	0	0	0
2	सिंहभूम	पलासबनी	16,530	0	0	54,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		कालिकापुर	21,818	0	0	8,206	0	0	22,461	0	0	15,638	1,178	0	0	0	0
4	गिरिडीह	चिल्गा	83,682		24,905	80,368			48,575			1,21,173					
5		पांडेडीह	31,738	3,262		42,877	1,163		35,609			61,211					
6		पलमरुआ	34,384	0	10,907	65,973	0	23,393	0	0	0	72,602	8,959	2,603	0	0	0
7		तिसरी	1,42,345	0	39,463	1,05,248	0	25,859	35,581		12,301	36,832	0	12,216	0	0	0
8	हज़ारीबाग	बेलाही	10,326	3,393	0	1,14,550	28,560	0	74,336	19,054	0	88,387	25,371	0	0	0	0
9		जगदीशपुर	0	0	0	1,29,636	2,462	0	81,542	8,675	0	1,86,075	12,828	0	0	0	0
10		तुइयो	18,237	5,024	0	3,26,516	20,308	0	75,165	18,457	0	1,70,531	41,291	0	0	0	0
11	राँची	डुमरदगा	20,552	0	0	0	0	0	24,409	0	0	12,954	0	0	0	0	0
12		तिगरा	53,627	2,459	0	8,500	0	0	64,274	0	0	26,245	0	0	0	0	0
13		चटकपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,650	0	0	0	0	0
14		लुंगटू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,833	0	0
15		परासी	0	0	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		सरले	66,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		हेसलपीरी	40,768	0	0	0	0	0	12,869	0	0	0	0	0	0	0	0
18		मेसरा पूर्वी	0	0	0	36,926	0	0	11,860	0	0	12,194	0	0	0	0	0
19	साहिबगंज	हरिहर	0	13,537	16,708	0	19,455	0	1,19,373	23,171	12,461	56,308	32,736	0	0	0	0
20		पटना	0	4,100	0	7,299	32,534	0	43,295	20,068	0	31,079	30,852	0	0	0	0
21		सईदपुर	39,179	777	0	2,098	5,521	0	0	7,054	0	6,483	0	0	0	0	0
22		राधानगर	72,102	7,308	0	88,167	0	0	64,803	15,751	0	1,25,293	51,881	0	0	0	0
23		सरफराजगंज दक्षिणी	73,966	0	0	49,556	0	0	1,21,583	0	15,312	1,92,771	0	44,996	31,011	0	2,463
कुल			8,03,220	41,989	91,983	11,45,290	1,12,449	49,252	8,35,735	1,12,230	40,074	12,60,227	2,27,111	59,815	56,844	0	2,463

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.1.21

(संदर्भ: कंडिका 2.1.14; पृष्ठ-50)

ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त एलईडी लाइटों का अधिष्ठापन

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ प्रखंड	ग्राम पंचायत	ईईएसएल अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	द्वारा एलईडी लाइटों की संख्या	आवश्यकता से अधिक अधिष्ठापित लाइटों की संख्या
1	बोकारो	चंद्रपुरा	तरनारी		220	20
2			नर्रा		250	50
3			तुरियाओ		220	20
4			घटियारी		300	100
5			दुग्धा उत्तरी		265	65
6			दुग्धा पश्चिम		210	10
7			बंदियो		250	50
8		कसमार	पौंडा		300	100
9			कसमार		270	70
10			गरी		300	100
11			मंजूरा		266	66
12			मधुकरपुर		300	100
13			सिंहपुर		280	80
14			हिसिम		216	16
15		तांगटोना		300	100	
16		जरीडीह	खुंटरी		350	150
17			जैन		350	150
18			गाइछंदा		255	55
19			बारू		300	100
20			गंगजोरी		240	40
21			चिलगड़ा		250	50
22			आराजू		264	64
23			भस्की		400	200
24		बाराडीह		300	100	
25		चास	सोनाबाद		250	50
26			चैनपुर		230	30
27			बिजुलिया		300	100
28			चंदहा		250	50
29			बाबूडीह		300	100
30			करा		220	20
31			कोलबैंडी		300	100
32			तुरीडीह		244	44
33			बारापोखर		295	95
34		चंदनकियारी	नयावां		250	50

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ प्रखंड	ग्राम पंचायत	ईईएसएल अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	द्वारा एलईडी संख्या	आवश्यकता से अधिक अधिष्ठापित लाइटों की संख्या
35			शिवबाबूडीह		215	15
36			पोलिकिरी		250	50
37			मघरा		250	50
38			लाघला		250	50
39			बोगुला		325	125
40			बडाजोर		225	25
41			चंद्रा		213	13
42			सबदा		250	50
43			लालपुर		275	75
44			कुमीरडोबा		225	25
45			कलिकापुर		220	20
46			अमलाबाद		250	50
47			देवग्राम		210	10
48			सिमुलिया		250	50
49			गम्हरिया		260	60
कुल					12,963	3163
1	पूर्वी सिंहभूम	बोरम	रसिकनगर		270	70
2			बोरम		215	15
3		बहरागोड़ा	बहुलिया		405	205
4		घाटशिला	बाघुड़िया		283	83
5			बनकटी		226	26
6			भदुवा		227	27
7			आसना		207	7
8		गुड़ाबांदा	फारेस्ट ब्लॉक		216	16
9			गुड़ाबांदा		300	100
10			मुराकाती		300	100
11			बालीजुडी		250	50
12		गोलमुरी (जुगसलाई)	घोड़ाबांधा पश्चिम		212	12
13		पोटका	चाकड़ी		310	110
14			टेंग्रेन		244	44
कुल					3,665	865
1	गिरिडीह	जमुआ	तारा		214	14
2			प्रतापपुर		233	33
कुल					447	47
1	हज़ारीबाग	इचाक	चंपारण नगर		384	184
2			डुमरा नगर		333	133

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ प्रखंड	ग्राम पंचायत	ईईएसएल अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	द्वारा एलईडी संख्या	आवश्यकता से अधिक अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	
3			गोबरबंदा		245	45	
4			कारीमाटी		277	77	
5			कुरहा		270	70	
6			पुराना इचाक		361	161	
7			बरकाकला		227	27	
8			दरिया		450	250	
9			देवकुली		243	43	
10			मंगुरा		296	96	
11			करियातपुर		280	80	
12			परासी		350	150	
13			केरेडारी	हेवाई		300	100
14				बेलतु		250	50
15		बरिआतु			222	22	
16		गारीकला			208	8	
17		सालगा			270	70	
18		वेंगवेरी			217	17	
19		कटकमसांडी	लुपुंग		210	10	
20			खुटरा		250	50	
21			गदोखर		257	57	
22			पेलावल दक्षिण		350	150	
23		बरही	बसरियापुर पंचमाधव		250	50	
24			दुलमाहा		340	140	
25			करियातपुर		364	164	
26		कटकमदाग	कटकमदाग		350	150	
27			सलगौवा		280	80	
28		सदर	सिन्दुर		250	50	
29			नागवा		251	51	
30		चौपारण	बच्ची		265	65	
31		पद्मा	पद्मा		250	50	
32			रोमी		290	90	
33			बिहारी		260	60	
कुल				9,400	2,800		
1		राँची	मंदार	झिझरी		230	30
2	रातू		रातू उत्तर		202	2	
3			पंडरा		250	50	
4	काँके		अरसंडे		215	15	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ प्रखंड	ग्राम पंचायत	ईईएसएल अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	द्वारा एलईडी लाइटों की संख्या	आवश्यकता से अधिक अधिष्ठापित लाइटों की संख्या	
5			उलातू		222	22	
6			नेवरी		323	123	
7			डुमरदगा		350	150	
8			चंदावे		206	6	
9		अनगड़ा	गेतलसूद		203	3	
10			बोंगीबेड़ा		220	20	
11			चतरा		250	50	
12			सल्हन		250	50	
13			बरवादाग		280	80	
14			जोन्हा		262	62	
15			ताती		276	76	
16			सिरका		203	3	
17			राजाडेरा		230	30	
18			हेसल		250	50	
19			अंगारा		250	50	
20			नामकुम	रामपुर		340	140
21			रेह	लोहातु		240	40
22			बेड़ो	बेड़ो		209	9
23		खुखरा			221	21	
24		तामार	अमलेशा		232	32	
25			वीरगँव		205	5	
26			मरधान		230	30	
27			तामार पश्चिम		232	32	
28			तामार पूर्व		305	105	
कुल					6,886	1,286	
1		साहिबगंज	राजमहल	खुटहरी		250	50
2				सईदपुर		381	181
3			मैंड्रो	गडरा		220	20
4	कौरिखुटाना				500	300	
5	पिंडरा				900	700	
6	बरहेट		हिरणपुर		500	300	
7			सिमरा		800	600	
8	बोरियो		बोरियोसंथाली		244	44	
9			चरेगजावे		361	161	
10			बिचपुर		464	264	
11			तेलो		350	150	
12			जेटके कुम्हारजोरा		500	300	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ प्रखंड	ग्राम पंचायत	ईईएसएल द्वारा अधिष्ठापित एलईडी लाइटों की संख्या	आवश्यकता से अधिक अधिष्ठापित लाइटों की संख्या
13			बड़ा मदन साईं	210	10
14		पथना	कैदुआ	207	7
15			छोटा रंगा	250	50
16			लखीरपुर	220	20
कुल				6,357	3,157
				39,718	11,318

(स्रोत: नमूना-जाँचित जिलों के डीपीआरओ के अभिलेख)

परिशिष्ट - 2.2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.2.6.2; पृष्ठ-66)

पंचायत भवनों के निर्माण लागत में वृद्धि

(राशि ₹ में)

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत जहाँ पंचायत भवनों का निर्माण किया गया	विगत प्राक्कलन	व्यय	काम किया जाना है	संशोधित प्राक्कलन	कुल लागत	लागत मूल्य में बढ़ोत्तरी
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=5+7	9=8-4
चतरा	टंडवा	बचरा दक्षिण	21,32,211	0	21,32,211	33,44,280	33,44,280	12,12,069
		बहेरा	21,32,211	0	21,32,211	33,91,400	33,91,400	12,59,189
	इटखोरी	नवादा	21,32,211	0	21,32,211	33,10,564	33,10,564	1178,353
	मयूरहंड	कदगावाकला	21,32,211	0	21,32,211	27,13,120	27,13,120	5,80,909
	पत्थलगड्डा	बरवाडीह	21,32,211	0	21,32,211	33,85,383	33,85,383	12,53,172
	इटखोरी	शहरजाम	21,32,211	0	21,32,211	32,73,516	32,73,516	11,41,305
	प्रतापपुर	एघारा	21,32,211	0	21,32,211	33,64,769	33,64,769	12,32,558
	हंटरगंज	गेरुआ	21,32,211	0	21,32,211	33,91,400	33,91,400	12,59,189
	लावालौंग	रिमी	21,32,211	0	21,32,211	33,46,133	33,46,133	12,13,922
	कुल							1,03,30,666
गिरिडीह	धनवार	महेशमरवा	19,90,700	5,25,474	14,65,226	29,40,983	34,66,457	14,75,757
		बंधी	19,90,700	8,38,585	11,52,115	18,20,113	26,58,698	6,67,998
		अंबाटांड	19,90,700	2,90,765	16,99,935	18,20,113	21,10,878	1,20,178
		गरजसारण	19,90,700	3,16,830	16,73,870	29,40,983	32,57,813	12,67,113
		पांडेडीह	19,90,700	शून्य	19,90,700	35,67,000	35,67,000	15,76,300
		नीमाडीह	19,90,700	8,56,224	11,34,476	17,99,704	26,55,928	6,65,228
		धनईपुरा	19,90,700	शून्य	19,90,700	36,27,500	36,27,500	16,36,800

(राशि ₹ में)

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत जहाँ पंचायत भवनों का निर्माण किया गया	विगत प्राक्कलन	व्यय	काम किया जाना है	संशोधित प्राक्कलन	कुल लागत	लागत मूल्य में बढ़ोत्तरी
		दक्षिणी डोरंडा	19,90,700	8,52,379	11,38,321	19,90,000	28,42,379	8,51,679
		बड्गो	19,90,700	5,10,269	14,80,431	23,44,200	28,54,469	8,63,769
		पंडरिया	19,90,700	8,47,795	11,42,905	18,37,000	26,84,795	6,94,095
		जेरुवाडीह	19,90,700	5,82,673	14,08,027	22,33,948	28,16,621	8,25,921
		गुंडरी	19,90,700	3,77,180	16,13,520	23,25,914	27,03,094	7,12,394
		डुमरडीहा	19,90,700	9,14,144	10,76,556	18,16,326	27,30,470	7,39,770
	गिरिडीह	जीतपुर	19,90,700	6,95,755	12,94,945	20,03,266	26,99,021	7,08,321
		बरहगोरिया	16,42,300	12,29,126	4,13,174	9,15,003	21,44,129	5,01,829
	जमुआ	रेम्बो	19,90,700	8,70,859	11,19,841	17,99,772	26,70,631	6,79,931
		लताकी	19,90,700	4,50,555	15,40,145	24,99,900	29,50,455	9,59,755
		करिहारी	19,90,700	9,01,147	10,89,553	18,51,353	27,51,500	7,60,800
		चुंगलो	19,90,700	8,50,516	11,40,184	19,11,218	27,61,734	7,71,034
		पालमो	19,90,700	11,46,717	8,43,983	15,54,487	27,01,204	7,10,504
	बिरनी	मंझिलाडीह	19,90,700	7,76,371	12,14,329	21,30,395	29,06,766	9,16,066
		पेशम	19,90,700	6,79,089	13,11,611	21,40,713	28,19,802	8,29,102
		खेड़वारा	19,90,700	8,80,008	11,10,692	20,71,035	29,51,043	9,60,343
		बलिया	19,90,700	4,97,576	14,93,124	24,67,900	29,65,476	9,74,776
		बंगराकला	19,90,700	6,71,328	13,19,372	24,22,425	30,93,753	11,03,053
	सरिया	कुसुमडीह	16,24,300	12,44,537	3,79,763	9,25,600	21,70,137	5,45,837
		घुटियोपेसरा	19,90,700	5,43,118	14,47,582	24,52,987	29,96,105	10,05,405
		चिचाकी	19,90,700	8,76,438	11,14,262	17,53,100	26,29,538	6,38,838
		पुरनीडीह	19,90,700	3,49,596	16,41,104	34,52,200	38,01,796	18,11,096

(राशि ₹ में)

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत जहाँ पंचायत भवनों का निर्माण किया गया	विगत प्राक्कलन	व्यय	काम किया जाना है	संशोधित प्राक्कलन	कुल लागत	लागत मूल्य में बढ़ोत्तरी	
	बगोदर	पोखरिया	19,90,700	7,79,625	12,11,075	23,19,400	30,99,025	11,08,325	
	बेंगाबाद	जेरुआडीह	19,90,700	5,27,522	14,63,178	26,83,500	32,11,022	12,20,322	
		बड़कीटांड	19,90,700	8,79,639	11,11,061	20,67,500	29,47,139	9,56,439	
	कुल		6,29,87,600	2,17,61,840	4,12,25,760	6,72,33,838	8,81,46,883	292,58,778	
हज़ारीबाग	सदर	कोलघट्टी	21,00,000	14,35,045	6,64,955	11,06,584	25,41,629	4,41,629	
	कटकमसांडी	आराभुसाई	21,00,000	9,00,729	11,99,271	18,79,695	27,80,424	6,80,424	
	बिष्णुगढ़	मैडमो	21,00,000	9,99,434	11,00,566	20,53,964	30,53,398	9,53,398	
	चौपारण	बहेरा	बहेरा	21,00,000	3,32,286	17,67,714	28,45,194	31,77,480	10,77,480
			बसरिया	21,00,000	15,30,790	5,69,210	9,87,171	25,17,961	4,17,961
			दादपुर	21,00,000	4,16,356	16,83,644	28,29,164	32,45,520	11,45,520
			सेलहरा	19,90,700	3,77,641	16,13,059	31,79,018	35,56,659	15,65,959
	बड़कागांव	उरीमारी	19,90,700	9,41,148	10,49,552	22,47,000	31,88,148	11,97,448	
		पोटंगा	19,90,700	8,37,755	11,52,945	24,17,334	32,55,089	12,64,389	
	बरही	धनवार	धनवार	19,90,700	13,10,175	6,80,525	16,33,902	29,44,077	9,53,377
			खोड़ाहार	19,90,700	18,06,705	1,83,995	14,39,521	32,46,226	12,55,526
			कासों	19,90,700	18,03,836	1,86,864	15,59,900	33,63,736	13,73,036
			कोल्हुआकलां	21,00,000	13,45,195	7,54,805	11,64,972	25,10,167	4,10,167
		कुल							1,27,36,314
	कुल योग							5,23,25,758	

(स्रोत: नमूना-जाँचित जिला परिषदों के अभिलेख)

परिशिष्ट -2.2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.2.6.2; पृष्ठ-67)

गिरिडीह जिला परिषद द्वारा निविदा आमंत्रण में विलंब के कारण पंचायत भवनों के निर्माण लागत में वृद्धि

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	संशोधित प्राक्कलन की राशि	संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन की तिथि	निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा की राशि	अतिरिक्त राशि
1	चिचाकी	17,43,100	15/9/2014	13/3/2017	17,53,100	10,000
2	कुरहोबिंदो	16,26,500	21/10/2014	13/3/2017	17,43,338	1,16,838
3	बदडीहा-2	10,45,300	21/10/2014	13/3/2017	11,25,392	80,092
4	भालुटार	12,31,157	31/10/2014	13/3/2017	15,81,400	3,50,243
5	मंझिलाडीह	21,30,372	15/9/2014	13/3/2017	21,30,395	23
6	धुरेटा	12,88,800	21/10/2014	13/3/2017	13,81,651	92,851
7	पोखरिया	19,98,900	26/9/2014	13/3/2017	23,19,400	3,20,500
8	पुरनीडीह	26,08,300	8/8/2014	13/3/2017	34,52,159	8,43,859
9	बाल्गो	13,83,145	21/10/2014	13/3/2017	14,84,287	1,01,142
10	केंदुआ	10,33,089	21/10/2014	13/3/2017	11,03,500	70,411
11	पांडेडीह	32,81,000	31/01/2014	13/3/2017	35,67,000	2,86,000
12	गरजा सारण	26,89,000	31/10/2014	13/3/2017	29,43,500	2,54,500
13	महेशमरवा	20,78,000	31/10/2014	13/3/2017	29,40,983	8,62,983
14	अंबाटांड	27,99,679	31/10/2014	13/3/2017	30,63,200	2,63,521
कुल		2,69,36,342			3,05,89,305	36,52,963

(स्रोत: जिला परिषद, गिरिडीह के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.2.7.1; पृष्ठ-68)

पंचायत भवनों के निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण

जिला परिषद	पंचायत समिति	क्र.सं.	ग्राम पंचायत जहां पंचायत भवनो का निर्माण किया गया था	पूर्ण होने की तिथि	भवन हस्तांतरण की तिथि	पंचायत भवनों के हस्तांतरण तथा उनके पूर्ण होने के बीच का अन्तराल (दिनों में)
बोकारो	गोमिया	1	चतरोचट्टी	29/6/2017	28/3/2017	93
	पेटरवार	2	पेटरवार	29/8/2018	20/6/2018	70
		3	सदमाकला	11/8/2017	5/8/2017	6
	चंदनकियारी	4	झालबर्डा	31/7/2019	2/6/2019	59
	चास	5	अलकुशा	20/2/2019	2/1/2019	50
चतरा	टंडवा	6	बहेरा	20/10/2018	17/12/2017	50
	प्रतापपुर	7	सिद्धकी	5/12/2016	9/11/2016	26
	इटखोरी	8	शहरजाम	20/04/2017	25/01/2017	85
गिरिडीह	जमुआ	9	शाली	25/6/2019	28/6/2018	362
		10	भंडारी	20/11/2018	28/9/2018	53
राँची	सिल्ली	11	पतराहातु	5/9/2017	16/8/2017	20
		12	लोवाडाग	26/6/2017	28/5/2017	29
		13	बंटहाजम	23/6/2017	30/5/2017	24
	सोनाहातू	14	जामुदाग	15/10/2017	4/10/2017	11
	रेह	15	बसंतपुर	28/8/2018	2/10/2017	330
पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा	16	लुपुंगुटु	1/2/2017	25/1/2017	7
	चक्रधरपुर	17	इताहासा	9/7/2017	13/5/2017	57
		18	सिमिदिरी	4/5/2017	28/4/2017	6
	टॉटो	19	बड़ाझींकपानी	20/6/2017	10/6/2017	10
मंझारी	20	बारातोर्लो	20/9/2017	29/8/2017	22	

(स्रोत: नमूना-जाँचित जिला परिषदों के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.1; पृष्ठ-75)

झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकाय

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	वार्डों की संख्या	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	क्षेत्रफल (प्रति वर्ग कि.मी.)
(I)	नगर निगम			
1	आदित्यपुर नगर निगम	35	174355	49.00
2	चास नगर निगम	35	156888	29.38
3	देवघर नगर निगम	36	203123	39.10
4	धनबाद नगर निगम	55	1162472	275.00
5	गिरिडीह नगर निगम	36	181632	73.32
6	हज़ारीबाग नगर निगम	36	197466	53.94
7	मानगो नगर निगम	36	223805	19.45
8	मेदनीनगर नगर निगम	35	158941	50.92
9	राँची नगर निगम	53	1073427	177.19
(II)	नगर परिषद			
1	रामगढ़ नगर परिषद	32	123875	149.50
2	बचरा नगर परिषद	10	12969	16.61
3	बिश्रामपुर नगर परिषद	20	42925	40.00
4	चिरकुंडा नगर परिषद	21	45508	6.26
5	चाईबासा नगर परिषद	21	44477	9.50
6	चक्रधरपुर नगर परिषद	23	56531	9.85
7	चतरा नगर परिषद	22	49985	9.90
8	दुमका नगर परिषद	21	47584	24.30
9	गोड्डा नगर परिषद	21	48480	12.00
10	गढ़वा नगर परिषद	21	46059	12.45
11	गुमला नगर परिषद	22	51264	16.00
12	झुमरीतिलैया नगर परिषद	28	87867	51.14
13	जुगसलाई नगर परिषद	22	49660	3.69
14	कपाली नगर परिषद	21	43256	6.74
15	लोहरदगा नगर परिषद	23	57411	35.20
16	मधुपुर नगर परिषद	23	55238	18.36
17	मिहिजाम नगर परिषद	20	40463	6.80
18	फुसरो नगर परिषद	28	89178	45.22
19	पाकुड़ नगर परिषद	20	45840	11.08
20	सिमडेगा नगर परिषद	20	42944	36.00
21	साहिबगंज नगर परिषद	28	88214	4.25
(III)	नगर पंचायत			
1	बंशीधर नगर पंचायत	17	32725	22.48

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	वार्डों की संख्या	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	क्षेत्रफल (प्रति वर्ग कि.मी.)
2	बड़कीसरैया नगर पंचायत	12	18933	18.86
3	बासुकीनाथ नगर पंचायत	12	17123	17.28
4	बरहरवा नगर पंचायत	14	24133	4.06
5	बुंडू नगर पंचायत	13	21054	18.00
6	चाकुलिया नगर पंचायत	12	16306	15.02
7	छतरपुर नगर पंचायत	16	28450	2.94
8	डोमचांच नगर पंचायत	14	24531	17.48
9	धनवार नगर पंचायत	11	15297	5.15
10	हरिहरगंज नगर पंचायत	16	28467	11.66
11	हुसैनाबाद नगर पंचायत	16	29241	12.57
12	जामताड़ा नगर पंचायत	16	29415	13.83
13	खूंटी नगर पंचायत	19	36390	25.00
14	कोडरमा नगर पंचायत	15	24633	25.00
15	लातेहार नगर पंचायत	15	26981	13.42
16	महागामा नगर पंचायत	17	30401	14.34
17	मझिआंव नगर पंचायत	12	18349	24.84
18	राजमहल नगर पंचायत	14	22514	4.22
19	सरायकेला नगर पंचायत	11	14252	8.92
(IV)	अधिसूचित क्षेत्र समिति			
1	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	-	677350	56.20
	कुल	1096	5838382	1623.42

(स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए न.वि.आ.वि.का वार्षिक प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.2; पृष्ठ-76)

चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय
नगर निगम	
1.	आदित्यपुर नगर निगम
2.	देवघर नगर निगम
3.	धनबाद नगर निगम
4.	गिरिडीह नगर निगम
5.	हज़ारीबाग़ नगर निगम
6.	मानगो नगर निगम
7.	मेदनीनगर नगर निगम
8.	राँची नगर निगम
नगर परिषद	
9.	चक्रधरपुर नगर परिषद
10.	चतरा नगर परिषद
11.	दुमका नगर परिषद
12.	गोड्डा नगर परिषद
13.	गढ़वा नगर परिषद
14.	झुमरीतिलैया नगर परिषद
15.	जुगसलाई नगर परिषद
16.	पाकुड़ नगर परिषद
नगर पंचायत	
17.	बासुकीनाथ नगर पंचायत
18.	छतरपुर नगर पंचायत
19.	जामताड़ा नगर पंचायत
20.	कोडरमा नगर पंचायत

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.4.5; पृष्ठ-81)

**नमूना जाँचित 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूची
(31 मार्च 2022 तक)**

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत बल	स्थायी	संविदा पर	प्रतिनियुक्ति	रिक्तियाँ
1	आदित्यपुर	97	6	38	1	91
2	वासुकिनाथ	32	4	13	1	28
3	चक्रधरपुर	50	11	38	0	39
4	चतरा	49	10	8	0	39
5	छतरपुर	32	0	8	1	32
6	धनबाद	233	108	38	8	125
7	गढ़वा	48	7	130	3	41
8	गिरिडीह	54	57	66	0	-3
9	गोड्डा	57	9	11	3	48
10	हज़ारीबाग	97	4	19	0	93
11	जामताड़ा	32	0	12	2	32
12	झुमरीतिलैया	84	17	1	0	67
13	जुगसलाई	49	1	6	1	48
14	कोडरमा	34	2	5	1	32
15	लातेहार	34	0	13	1	34
16	मानगो	103	9	94		94
17	मेदिनीनगर	92	35	244	4	57
18	दुमका	49	10	8	0	39
19	सरायकेला	32	2	0	0	30
20	पाकुड़	50	20	11	0	30
कुल		1,308	312	763	26	996

(स्रोत: नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5; पृष्ठ-83)

शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न समितियों के कार्य

क्र. सं.	समितियों के नाम	गठन	कार्य
1.	वार्ड समिति (झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 34)	परिषद के चुनाव के दो महीने के भीतर नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड समिति के कार्यालय का कार्यकाल परिषद के कार्यालय के कार्यकाल के समान होगा।	वार्ड समिति, वार्ड में निम्नलिखित कार्य करेगा: - (i) पर्यवेक्षण: (ए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता कार्य, जल आपूर्ति, पार्क, खेल के मैदानों और बाजारों का रख-रखाव, स्ट्रीट लाइट का संचालन और सड़कों की मरम्मत, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन। (ii) नगरपालिका के नियंत्रण में आने वाले विद्यालयों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि कार्यों की अनुश्रवण करना; (iii) विकास योजनाओं की तैयारी में मदद करना; (iv) विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव और एकता को प्रोत्साहित करना; (v) कल्याण कार्यक्रमों के लिए वस्तुओं या धन के माध्यम से स्वैच्छिक श्रम और दान इक्कठा करना; (vi) विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करना; (vii) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल-कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना; (viii) नगरपालिका की विकासात्मक गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना; (ix) नगरपालिका को देय करों, शुल्कों और अन्य राशियों के संग्रहण की सुविधा प्रदान करना; (x) नगरपालिका अपने अनुश्रवण उपबंध के अंतर्गत उद्दिष्ट बजट से बीस प्रतिशत धनराशि वार्ड समितियों को जलापूर्ति, सफाई, नालियों, स्ट्रीट लाइट, पार्क, बाजार, इत्यादि सेवाओं हेतु आवंटित करेगी।

क्र. सं.	समितियों के नाम	गठन	कार्य
			(xi) निधियों का आवंटन और उपयोगिता नागरिक सेवाओं के रख-रखाव के लिए वार्ड समिति को और उसके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। (xii) ऐसे अन्य कार्य जो निर्धारित किये जा सकते हैं।
2.	क्षेत्र सभा (झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 40)	प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होगा और उसे परिषद द्वारा नामित किया जाएगा। परिषद आवेदकों में से एक को क्षेत्रीय सभा प्रतिनिधि के रूप में नामित करेगी और नामांकन की विधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	क्षेत्रीय सभा निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगी, अर्थात्: - (क) राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए क्षेत्र के भीतर पात्र व्यक्तियों की पहचान करना और प्राथमिकता के क्रम में पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना और उसे नगर पालिका को अग्रेषित करना; (ख) राज्य/केंद्र सरकार से पेंशन और सब्सिडी जैसी कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करना; (ग) क्षेत्र के भीतर स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक पानी के नल, समुदाय/सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के स्थान का सुझाव देना; (घ) क्षेत्र में जल आपूर्ति और सड़क प्रकाश व्यवस्था में कमियों की पहचान करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना; (ङ.) क्षेत्र में शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों में सहायता करना, विशेष रूप से बीमारी की रोकथाम, परिवार कल्याण में, और महामारी और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करना; (च) स्वच्छता, पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम जैसे सार्वजनिक हित के मामलों पर जागरूकता प्रदान करना; (छ) क्षेत्र में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना ; (ज) क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों, खेल प्रतियोगिताओं आदि की व्यवस्था करना; और (झ) ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्य जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर क्षेत्र सभा को सौंपे जा सकते हैं।
3.	वार्ड सभा (झा.न. अधिनियम, 2011 की धारा 39)	एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका के मामले में प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा का गठन किया जाएगा और इसमें वार्ड से संबंधित मतदाता सूची के सभी मतदाता शामिल होंगे।	वार्ड सभा, धारा 40 में निर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में वार्ड सभा द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

क्र. सं.	समितियों के नाम	गठन	कार्य
4.	क्रय समिति (झारखण्ड नगरपालिका लेखा नियमावली, 2012 का नियम 78)	नगर पालिका की क्रय समिति में अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी, संबंधित विभाग के प्रतिनिधि और वित्त/लेखा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।	क्रय समिति की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह सार्वजनिक खरीद से सम्बंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करे तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार करे तथा सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे।
5.	बीड ओपनिंग कमिटी (झारखण्ड म्युनिसिपल प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन्स की कंडिका 4.9)	—	बोलियां, एनआईटी में उल्लिखित तिथि और समय पर नगर पालिका की बोली खोलने वाली समिति के अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपस्थित रहना चाहते हैं। 2. बोली खोलने में भाग लेने वाले बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार की जाएगी और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए, बोली लगाने वालों के प्रतिनिधियों से कंपनी से इस आशय का एक प्राधिकार पत्र लाने की अपेक्षा की जाती है।
6.	मूल्यांकन समिति (झारखण्ड म्युनिसिपल प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन्स की कंडिका 3.6.8)	—	प्रत्येक बोलीदाता का मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर नगर पालिकाओं द्वारा अंतिम रूप दी गई समिति द्वारा किया जाएगा।

(स्रोत: झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड नगरपालिका लेखा मैनुअल, 2012 एवं झारखण्ड म्युनिसिपल प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन्स)

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कंडिका-3.11.4; पृष्ठ-90)

नमूना-जाँचित श.स्था.नि. के बजट अनुमानों में व्यापक भिन्नता को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	वर्ष	प्राप्तियाँ				व्यय			
			बजट	वास्तविक	भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	बजट	वास्तविक	भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता
1	आदित्यपुर	2017-18	93.98	11.01	82.97	88.3	123.51	14.16	109.35	89
2	वासुकिनाथ	2017-18	0.45	12.25	-11.80	-2622.2	0.12	12.06	-11.94	-9950
3	चक्रधरपुर	2017-18	104.32	24.36	79.96	76.6	98.87	23.81	75.06	76
4	चतरा	2017-18	78.69	19.0063	59.68	75.8	48.69	13.8661	34.82	72
5	छतरपुर	2017-18	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
6	धनबाद	2017-18	1415.95	197.13	1218.82	86.1	1415.37	90.2	1325.17	94
7	दुमका	2017-18	65.23	20.44	44.79	68.7	102.50	43.73	58.77	57
8	गढ़वा	2017-18	245.73	18.22	227.51	92.6	237.61	24.12	213.49	90
9	गिरिडीह	2017-18	86.64	43.26	43.38	50.1	86.64	46.65	39.99	46
10	गोड्डा	2017-18	36.7	19.78	16.92	46.1	38.42	29.14	9.28	24
11	हजारीबाग	2017-18	66.61	26.91	39.70	59.6	59.82	34.95	24.87	42
12	जामताड़ा	2017-18	56.60	16.22	40.37	71.3	28.91	21.51	7.40	26
13	झुमरीतिलैया	2017-18	38.88	37.47	1.41	3.6	38.71	46.30	-7.59	-20
14	जुगसलाई	2017-18	7.89	8.53	-0.64	-8.1	7.88	12.05	-4.17	-53
15	कोडरमा	2017-18	16.42	12.41	4.01	24.4	16.36	12.86	3.50	21
16	लातेहार	2017-18	38.35	35.53	2.82	7.3	82.95	38.46	44.48	54
17	मानगो	2017-18	25.22	29.78	-4.56	-18.1	62.86	40.72	22.14	35
18	मेदिनीनगर	2017-18	115.18	27.82	87.36	75.8	91.26	32.2	59.06	65
19	पाकुड़	2017-18	34.44	16.02	18.42	53.5	22.56	18.88	3.68	16
20	सरायकेला	2017-18	22.08	8.93	13.15	59.6	19.98	9.64	10.34	52
21	आदित्यपुर	2018-19	106.94	31.22	75.72	70.8	106.91	24.29	82.62	77
22	वासुकिनाथ	2018-19	26.94	48.37	-21.43	-79.5	6.48	22.19	-15.71	-242
23	चक्रधरपुर	2018-19	53.70	20.36	33.33	62.1	55.71	28.75	26.97	48
24	चतरा	2018-19	81.762	10.7618	71.00	86.8	82.875	24.5525	58.32	70
25	छतरपुर	2018-19	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
26	धनबाद	2018-19	1717.36	218.3	1499.06	87.3	1717.39	210.24	1507.15	88
27	दुमका	2018-19	29.26	19.51	9.75	33.3	12.77	19.65	-6.88	-54
28	गढ़वा	2018-19	85.71	28.07	57.64	67.2	85.64	18.94	66.69	78
29	गिरिडीह	2018-19	104.41	67.83	36.59	35.0	104.42	60.30	44.11	42
30	गोड्डा	2018-19	58.95	54.68	4.27	7.2	41.64	53.59	-11.95	-29
31	हजारीबाग	2018-19	97.54	52.68	44.86	46.0	94.61	57.26	37.35	39
32	जामताड़ा	2018-19	17.44	16.44	1.00	5.7	18.68	20.99	-2.31	-12
33	झुमरीतिलैया	2018-19	81.25	38.59	42.66	52.5	81.31	38.71	42.60	52
34	जुगसलाई	2018-19	21.87	8.58	13.29	60.8	21.84	9.30	12.54	57
35	कोडरमा	2018-19	47.47	24.76	22.71	47.8	21.24	28.21	-6.97	-33
36	लातेहार	2018-19	82.21	14.22	67.99	82.7	82.43	25.23	57.19	69
37	मानगो	2018-19	58.27	48.22	10.05	17.2	60.11	32.93	27.18	45

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	वर्ष	प्राप्तियाँ				व्यय			
			बजट	वास्तविक	भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	बजट	वास्तविक	भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता
38	मेदिनीनगर	2018-19	142.76	31.54	111.22	77.9	130.24	25.37	104.87	81
39	पाकुड़	2018-19	30.85	21.12	9.73	31.5	18.20	22.43	-4.23	-23
40	सरायकेला	2018-19	28.65	7.24	21.41	74.7	47.12	9.85	37.27	79
41	आदित्यपुर	2019-20	72.43	23.89	48.54	67.0	60.82	19.57	41.25	68
42	वासुकिनाथ	2019-20	31.35	25.33	6.02	19.2	32.48	12.12	20.36	63
43	चक्रधरपुर	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
44	चतरा	2019-20	89.9443	15.059	74.89	83.3	91.163	9.3136	81.85	90
45	छतरपुर	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
46	धनबाद	2019-20	503.37	457.74	45.63	9.1	452.5	279.85	172.65	38
47	दुमका	2019-20	39.20	30.82	8.38	21.4	38.69	25.07	13.62	35
48	गढ़वा	2019-20	58.81	17.96	40.85	69.5	58.38	21.37	37.01	63
49	गिरिडीह	2019-20	282.50	85.72	196.78	69.7	282.51	81.14	201.37	71
50	गोड्डा	2019-20	52.58	46.93	5.65	10.7	49.94	40.56	9.38	19
51	हज़ारीबाग	2019-20	60.96	38.64	22.32	36.6	66.02	33.9	32.12	49
52	जामताड़ा	2019-20	19.86	19.08	0.77	3.9	54.07	17.57	36.50	68
53	झुमरीतिलैया	2019-20	81.98	44.19	37.80	46.1	82.18	42.44	39.74	48
54	जुगसलाई	2019-20	62.55	14.71	47.84	76.5	68.26	5.67	62.59	92
55	कोडरमा	2019-20	40.57	19.10	21.47	52.9	42.80	21.61	21.19	49
56	लातेहार	2019-20	82.18	18.96	63.22	76.9	82.63	23.93	58.70	71
57	मानगो	2019-20	84.37	42.28	42.09	49.9	85.38	29.31	56.07	66
58	मेदिनीनगर	2019-20	58.42	47.08	11.34	19.4	50.51	18.45	32.06	63
59	पाकुड़	2019-20	33.11	25.99	7.12	21.5	20.01	25.61	-5.60	-28
60	सरायकेला	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
61	आदित्यपुर	2020-21	97.83	53.92	43.91	44.9	93.26	39.67	53.59	57
62	वासुकिनाथ	2020-21	108.53	18.26	90.27	83.2	10.86	17.14	-6.28	-58
63	चक्रधरपुर	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
64	चतरा	2020-21	15.2783	17.5338	-2.26	-14.8	12.0159	9.9923	2.02	17
65	छतरपुर	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
66	धनबाद	2020-21	975.8	198.99	776.81	79.6	973.23	167.78	805.45	83
67	दुमका	2020-21	45.24	23.85	21.39	47.3	44.49	20.41	24.09	54
68	गढ़वा	2020-21	58.81	17.96	40.85	69.5	58.38	21.37	37.01	63
69	गिरिडीह	2020-21	397.68	85.84	311.84	78.4	397.64	68.82	328.82	83
70	गोड्डा	2020-21	58.89	46.68	12.21	20.7	55.93	40.56	15.37	27
71	हज़ारीबाग	2020-21	184.36	71.89	112.47	61.0	82.49	22.32	60.17	73
72	जामताड़ा	2020-21	21.79	18.19	3.60	16.5	67.39	12.51	54.88	81
73	झुमरीतिलैया	2020-21	82.47	50.62	31.85	38.6	82.49	37.55	44.93	54
74	जुगसलाई	2020-21	36.72	8.00	28.72	78.2	36.99	10.06	26.93	73
75	कोडरमा	2020-21	60.28	17.80	42.48	70.5	52.87	11.70	41.17	78
76	लातेहार	2020-21	34.17	21.06	13.11	38.4	32.62	21.46	11.15	34
77	मानगो	2020-21	38.5	25.38	13.12	34.1	39.07	31.9	7.17	18
78	मेदिनीनगर	2020-21	101.3	48.36	52.94	52.3	26.3	19.09	7.21	27
79	पाकुड़	2020-21	30.23	26.88	3.36	11.1	23.81	20.99	2.82	12

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	वर्ष	प्राप्तियाँ				व्यय			
			बजट	वास्तविक	भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	बजट	वास्तविक	भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता
80	सरायकेला	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
81	आदित्यपुर	2021-22	106.79	35.34	71.45	66.9	55.51	7.72	47.79	86
82	वासुकिनाथ	2021-22	29.27	33.66	-4.39	-15.0	29.27	55.09	-25.82	-88
83	चक्रधरपुर	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
84	चतरा	2021-22	13.2583	19.9145	-6.66	-50.2	4.5807	12.7051	-8.12	-177
85	छतरपुर	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
86	धनबाद	2021-22	438.45	166.17	272.28	62.1	429.98	111.73	318.25	74
87	दुमका	2021-22	45.50	28.83	16.67	36.6	44.01	28.84	15.17	34
88	गढ़वा	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं		
89	गिरिडीह	2021-22	399.08	81.73	317.35	79.5	3990.53	61.25	3929.28	98
90	गोड्डा	2021-22	65.96	28.19	37.77	57.3	62.64	24.61	38.03	61
91	हजारीबाग	2021-22	256.51	40.44	216.07	84.2	105.82	40.38	65.44	62
92	जामताड़ा	2021-22	154.70	31.68	123.03	79.5	69.67	29.86	39.81	57
93	झुमरीतिलैया	2021-22	75.22	30.02	45.20	60.1	75.69	25.53	50.16	66
94	जुगसलाई	2021-22	37.74	23.01	14.73	39.0	38.04	14.84	23.20	61
95	कोडरमा	2021-22	16.42	12.41	4.01	24.4	16.36	12.86	3.50	21
96	लातेहार	2021-22	27.05	17.88	9.18	33.9	26.45	23.36	3.09	12
97	मानगो	2021-22	82.65	58	24.65	29.8	90.44	30.48	59.96	66
98	मेदिनीनगर	2021-22	153.5	75.51	77.99	50.8	97.66	66.62	31.04	32
99	पाकुड़	2021-22	24.57	26.77	-2.20	-8.9	17.17	24.20	-7.02	-41
100	सरायकेला	2021-22	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(स्रोत: लेखापरीक्षित श.स्था.नि. के बजट)

(2017-18 से 2021-22 में प्राप्ति में भिन्नता 18 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में 4 प्रतिशत और 2,622 प्रतिशत के बीच थी। दूसरी ओर, दस नमूना जाँचित श.स्था.नि. में व्यय 12 प्रतिशत और 9,950 प्रतिशत के बीच था।)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>

